खण्ड-245, अंक-7
बुधवार, 23 माघ, शक संवत् 1885
(12 फरवरी, 1964 ई0)

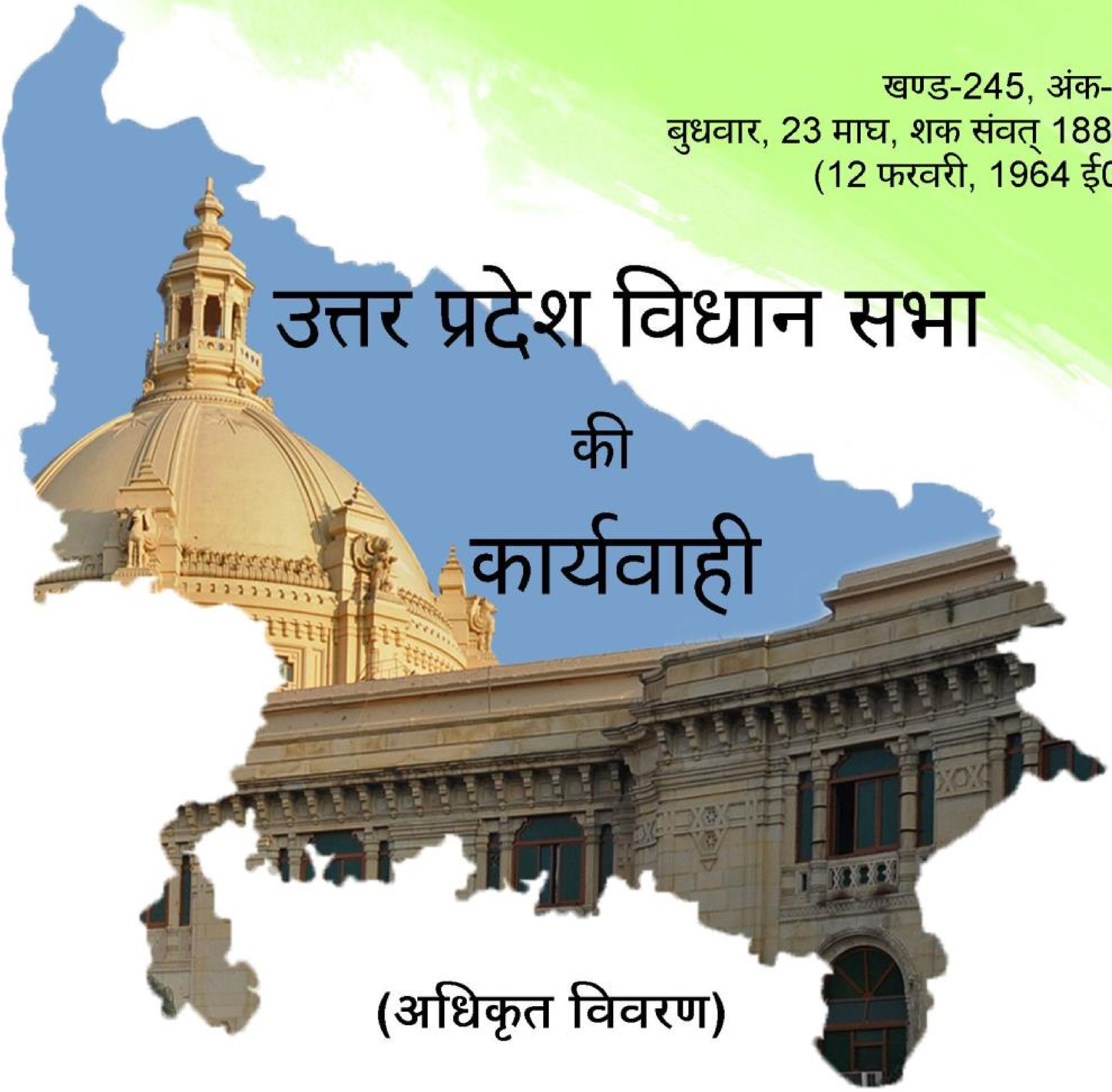

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 245 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६४३–६४७
प्रश्नोत्तर	६४७–६७०
प्रश्नों के स्थगन के सम्बन्ध में आपत्ति	६७०–६७१
श्री नैनसिंह की रिहाई की सूचना	६७१
श्री सुखलाल (लखनऊ) की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	६७१–६७७
मुख्य मंत्री द्वारा अपने भाषण में कथित असत्य कथन करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुमति नहीं दी गयी)	६७८
"हिन्दुस्तान टाइम्स" में सदन की कार्यवाही गलत प्रतिवेदित होने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुमति नहीं दी गयी)	६७८–६७९
सरकार के आदेश के विरुद्ध श्री नैनसिंह को देर से कारागार से मुक्त करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना (स्थगित कर दी गयी) ..	६७९
विशेषाधिकार के प्रश्न की जानकारी	६७९–६८०
श्री सुखलाल, जनसंघ के अन्य कार्यकर्ताओं तथा किसानों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अनुमति नहीं दी गयी) ..	६८०–६८१
हमीरपुर जिलान्तर्गत चरखारी के बाजार को लूटने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	६८१–६८२
प्रदेश में शीतलहर आदि से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६८२–७०५
प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	७०५–७०९
१९६३–६४ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद ..	७०९–७३०
१९६३–६४ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर मतदान—	
अनुदान संख्या १—बृहत् जोतकर (स्वीकृत)	७३०
अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी (स्वीकृत)	७३०
अनुदान संख्या ४—बिक्री-कर (स्वीकृत)	७३१
अनुदान संख्या ६—स्टाम्प (स्वीकृत)	७३१
अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन (स्वीकृत) ..	७३१
अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	७३१
अनुदान संख्या १३—कारागार (स्वीकृत)	७३२
अनुदान संख्या १४—पुलिस (स्वीकृत)	७३२
अनुदान संख्या १५—खाद्य तथा रसद तथा अन्य संगठन (स्वीकृत) ..	७३२

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या १७—शिक्षा (स्वीकृत)	७३२
अनुदान संख्या १८—चिकित्सा (स्वीकृत)	७३३
अनुदान संख्या १९—जन-स्वास्थ्य (स्वीकृत)	७३३
अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास (स्वीकृत)	७३३
अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन (स्वीकृत) ..	७३३
अनुदान संख्या २४—उद्योग (स्वीकृत)	७३४
अनुदान संख्या २५—नियोजन और एकीकरण (स्वीकृत) ..	७३४
अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय (स्वीकृत)	७३४
अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण (स्वीकृत)	७३४
अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्वीकृत)	७३५
अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत)	७३५
अनुदान संख्या ३२—अभियंत्रण (इंजीनियरिंग संस्थायें) (स्वीकृत) ..	७३५
अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (स्वीकृत)	७३५—७३६
अनुदान संख्या ३६—संचार-साधनों का सुधार (स्वीकृत) ..	७३६
अनुदान संख्या ३७—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान (स्वीकृत) .	७३६
अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान (स्वीकृत)	७३६
अनुदान संख्या ३९—परिवहन (स्वीकृत)	७३६—७३७
अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते तथा निवृत्ति वेतन (पेंशनें) (स्वीकृत) ..	७३७
अनुदान संख्या ४३—लेखन सामग्री और मुद्रण (स्वीकृत) ..	७३७
अनुदान संख्या ४४—वन (स्वीकृत)	७३७
अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत) ..	७३७—७३८
अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत) ..	७३८
अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	७३८
अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	७३८
अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	७३८—७३९
अनुदान संख्या ५४—निवृत्ति वेतन की संराशि का भुगतान (स्वीकृत) ..	७३९
अनुदान संख्या ५५—राज्य व्यापार की योजनायें (स्वीकृत) ..	७३९
अनुदान संख्या ५६—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	७३९
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३—६४ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६४ (विचारोपरान्त पारित)	७३९—७४७
अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों के नामों की घोषणा	७४७—७४८
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ के अननुमोदनार्थ संकल्प (विवाद जारी)	७४८—७५९
नत्थी	७६०—७६१

विधान सभा
मुजफ्फर पुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १२ फरवरी, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बज दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३६७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल सर्मी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री,
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णाचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री

पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह उपमंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा शिक्षा उपमंत्री डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १२ फरवरी, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

डी० जी० सी० का सेवा निवृत्ति काल

**१—श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिलों में न्यायाधीशों की भांति डी० जी० सी० गणों का सेवा निवृत्ति काल बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

जी नहीं ।

**२—श्री शारदाभक्तसिंह—

यदि हां, तो कब तक यह घोषणा की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—

डी० जी० सी० का सेवा निवृत्ति काल बढ़ाना सरकार अभी जरूरी नहीं समझती ।

तारांकित प्रश्न

*१–३—श्री विष्णुप्रतापसिंह, श्री बब्बनसिंह, श्री ईश्वरशरण तथा श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

[४ थे बुधवार के लिए स्थगित किये गये ।]

पन्नीजी शुगर एण्ड जनरल मिल्स, बुलन्दशहर में अपरेंटिस

*४—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या श्रम मंत्री १८ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १ और २ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि क्या पन्नी जी शुगर ऐंड जनरल मिल्स, बुलन्दशहर ने सरकार की ओर से नोटिस प्राप्त करने के बाद भी गवर्नमेंट ट्रेंड एप्रेंटिस अपने यहां प्रशिक्षण के लिये रखे ? यदि नहीं, तो उनके खिलाफ अब तक कोई कानूनी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जी हां, पन्नी जी शुगर मिल्स ने अब अप्रेन्टिस रख लिये हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि नियमानुसार कितने अपरेंटिस उस मिल को रखने थे और कितने उसने रखे हैं इस वर्ष ?

श्री बनारसीदास—

नियमानुसार ८ शार्ट टर्म और एक फुल टर्म अपरेंटिस उनको रखने थे। इनमें से उन्होंने ६ रख लिये हैं और बाकी को रखने के लिये कहा गया है। चूंकि अब उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया है, इसलिये कोई प्युनिटिव कार्यवाही की जरूरत नहीं है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सरकार की ओर से कितने ही नोटिसेज उस मिल को दिये जा चुके हैं और उन नोटिसेज के प्राप्त करने के बावजूद भी अभी तक उस मिल ने उन आदेशों और उन नोटिसेज का पालन सही तौर पर नहीं किया है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैंने तो यह उत्तर दिया कि नोटिस देने के बाद उन्होंने ६ अपरेंटिस रख लिये हैं। सिर्फ २ शार्ट टर्म अपरेंटिस और १ फुल टर्म अपरेंटिस अभी उनको रखने हैं जिसके लिये उनको लिखा गया है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि डेढ़ या दो साल से बराबर वह मिल टालती रही और अभी भी उसने दो कम रखा है, तो उन दो को कब तक रखेगी ?

श्री बनारसीदास—

यह तो मैंने अर्ज किया कि गत साल मार्च, ६३ में जब उनको नोटिस दिया गया, उसके बाद ६ को रख लिया। बाकी २ के बारे में भी उनको लिखा गया है और आशा की जाती है कि वे रखेंगे।

आगरा के मेंटल हास्पिटल तथा सरोजिनी नायडू अस्पताल के मुअत्तल कर्मचारी, नर्सों की ड्यूटी तथा सैलाइन की बोतल पर खर्च

*५—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरे के मेंटल हास्पिटल तथा सरोजिनी नायडू अस्पताल में काम करने वाले कितने कर्मचारी, १९५६ में मुअत्तल किये गये तथा उनमें से कितने डायरेक्टर

स्वास्थ्य विभाग द्वारा १९६० में बहाल किये गये ? क्या उक्त कर्मचारियों की अपील के कुछ मामले अब भी सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं और अब तक उन पर कोई निर्णय न किये जाने के कारण क्या हैं ?

मुख्य मंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

सन् १९५६ में आगरा के मेंटल हास्पिटल तथा सरोजिनी नायडू अस्पताल में काम करने वाले ५ कर्मचारी मुअत्तल किये गये थे। उनमें से १ कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा सन् १९६० में बहाल किया गया।

केवल एक कर्मचारी का प्रत्यावेदन सरकार के विचाराधीन है जिस पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक की टिप्पणी अभी अपेक्षित है।

*६---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नर्सों को बिना अतिरिक्त भत्ता पाये रात की १२ घंटे की लगातार ड्यूटी महीनों देनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुये इस विषय में उचित निर्देश जारी करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय---

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नर्सों को बिना अतिरिक्त भत्ता पाये रात में १२ घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, किन्तु यह ड्यूटी एक-एक महीने के लिये बारी-बारी से लगायी जाती है।

*७---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट वार्ड्स में रोगियों से सैलाइन की बोतलें लगवाई का पच्चीस रुपया प्रति बोतल के हिसाब से चार्ज किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस फीस को कम करने पर विचार कर रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट वार्डों में रोगियों से एक बार सैलाइन की बोतल लगवाने का ३७ रुपये ५० नये पैसे चार्ज किया जाता है।

फीस कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

जो एक कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने ६० में बहाल किया था उसी का मामला विचाराधीन है या किसी दूसरे का ?

श्री बंशीधर पांडेय---

निश्चित सूचना तो नहीं है लेकिन जो मामला विचाराधीन है वह उन्हीं का हो सकता है क्योंकि जिसको स्वास्थ्य निदेशक ने सजा दिलाई उसी की अपील शासन में आई है।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

मेरी इस सूचना को सही मानकर कि ५६ से जब वह सस्पेंड था और ६० में बहाल किया गया तो क्या सरकार इस मामले में जांच करायेगी कि अभी तक स्वास्थ्य सेवा निदेशक की टिप्पणी उसकी दरख्वास्त पर क्यों नहीं आई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सन् ५६ से मुअत्तल किये गये थे लेकिन उनको फिर सन् ६० में बहाल कर दिया गया। तीन साल के इंक्रीमेंट रोक दिये गये थे और यह आदेश दिये गये थे कि ज्योंही तीन साल पूरे हो जायं तो जो रेगुलर वेतन उनका होता उसी से स्टार्ट कर दिया जायगा। इस तरह से नान-रेकरिंग-लास उनको था।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

चार साल बाद बहाल किया तो चार साल के बाद अब ६४ तक भी डायरेक्टर साहब की टिप्पणी क्यों नहीं आई, इसका क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

डायरेक्टर का ३ फरवरी का एक पत्र आया है और उसमें लिखा है कि वे शीघ्र ही अपनी टिप्पणी भेजेंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

जो ५ आदमी मुअत्तल किये गये थे उनमें से ३ के बारे में क्या निर्णय लिया गया, वे बरखास्त कर दिये गये या आज भी मुअत्तल हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

५ में से ४ को सुपरिंटेंडेंट ने ही मुअत्तल किया था और उन्होंने ही रिइंस्टेट कर दिया था। तीन मेल अटेन्डेंट थे और एक फीमेल।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

जिन नर्सों से १२ घंटे ड्यूटी ली जाती है उनको ४ घंटे का ओवरटाइम सरकार देती है या नहीं और अगर नहीं देती तो सरकार इस पर विचार करेगी कि उनको ओवरटाइम दिया जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय—

१२ घंटे की ड्यूटी रात्रि में ही ली जाती है और शासन के विचाराधीन ओवरटाइम की बात अभी तक तो नहीं है। अस्पतालों में नर्सों की कमी है और रात्रि में ८ घंटे की ड्यूटी के बाद १ बजे वह छूटती हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से भी १ बजे वह कहां जायंगी, १२ घंटे काम करती हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न तो एक मर्तबा यूसुफ साहब ने बहुत जोरों से उठाया था और माननीय मंत्री जी ने कहा था कि रात के १२ घंटे दिन के ८ घंटे के बराबर हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर बता सकता हूं क्योंकि मैं हास्पिटल में रहा हूं। १२ घंटे रात में काम लेने की वजह से नर्सें गौर के साथ मरीजों की सेवा नहीं कर पातीं, कोई चाय पीने चली जाती है, कोई स्वेटर बुनने लगती है और कोई नींद लेने लगती है। दूसरे १२ घंटे काम लेने से स्वास्थ्य के लिये भी हानिकारक है। तो इस विषय में कोई निश्चित कदम माननीय मंत्री जी उठायेंगे कि ८ घंटे की ही ड्यूटी रखी जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अभी ऐसी कोई बात विचाराधीन नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का खयाल करेंगे कि सेलाइन की बोतल की कीमत तो ६–७ रुपये ही है और उसकी लगवाई ३७ रुपये ५० नये पैसे प्राइवेट वार्ड्स में ली जाती हैं, तो इसकी लगवाई में कुछ कमी करने की घोषणा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मंत्री जी ने बताया कि चार वर्ष हो गये लेकिन डायरेक्टर महोदय की रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है । इस तरह के मामले अक्सर देखे जाते हैं कि हेड आफ दी डिपार्टमेंट नीचे के लोगों की रिपोर्ट देने में प्रायः देरी करते हैं । तो इस तरह से जो चार वर्षों का उनका वेतन इकट्ठा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन होगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उनकी तनख्वाह नहीं रुकी है ।

*८—श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—

[४थे बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

अजुध्या शुगर फैक्टरी, राजा का सहसपुर का गन्दा पानी

*९—श्री हेतरामसिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि अजुध्या शुकर फैक्ट्री, राजा का सहसपुर की डिस्टिलरी का खराब शीरा एक खुली तथा टूटी-फूटी कच्ची नाली द्वारा अरिल नदी को जाता है जिसके कारण रास्ते के गांव बिचौला, खडऊआ, सतारन, बहादरपुर आदि की जनता को काफी परेशानी होती है, बीमारी फैलती है, बहुत से आदमी मर चुके हैं, बदबू के कारण राहगीर उधर से निकल नहीं पाते और गर्मी के दिनों में जब नदी का पानी सूख जाता है, तो उस शीरे के पानी को पीकर बहुत से मवेशी मर जाते हैं ? क्या सरकार नाली को पक्की तथा ढकी हुई बनाने के लिये तथा ऐसी नदी में गिराने के लिये जिसमें बारह महीने पानी चलता है कोई कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

कथित फैक्टरियों का गंदा पानी कुछ दूर तक एक पक्की खुली नाली और फिर एक दो मील कुछ दूर तक कच्ची बरसाती नाली से बह कर अरिल नदी में जाता है । इस पानी से आदमियों या जानवरों के मरने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । इन नालियों का बन्द करना ठीक नहीं समझा गया है क्योंकि खुली नाली में एफ्युलुएन्ट बहने से Oxidation होता रहता है जिससे उसकी स्थिति में सुधार होता है । इस पानी को अरिल नदी में जाने से रोकना मौजूदा परिस्थिति में संभव नहीं है ।

श्री हेतरामसिंह—

मंत्री जी ने कहा कि कुछ नाली पक्की बनी हुई है और शेष कच्ची खुदी हुई है । मैं यह निवेदन करूंगा कि मिल से नदी तक कोई नाली नहीं बनी हुई है, न कच्ची न पक्की । क्या मंत्री महोदय इसकी कोई इन्क्वायरी करायेंगे ? इसके अवाला खडउआ, सतारन और बिचौला गावों में कितने आदमी इस गंदे पानी की बीमारी से अब तक मर चुके हैं इसकी भी इन्क्वायरी करायेंगे ? और यह नदी साल में पांच महीने बिल्कुल सूख जाती है और शीरे का गन्दा पानी उस नदी के गड्ढों में भर जाता है जिसे मवेशी आदि पीते हैं और बीमार हो कर मर जाते हैं ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार ६ हजार फीट लंबी पक्की नाली है और ढेढ़ मील लंबी कच्ची नाली है, इसके बाद पानी अरिल नदी में पड़ता है। इस संबंध में एक एफ्लेंट बोर्ड है जिसके अध्यक्ष डायरेक्टर आफ मेडिकल ऐन्ड पब्लिक हैल्थ सर्विसेज हैं। गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि फैक्ट्री ऐक्ट के मातहत इस तरह के प्रश्न आते हैं और कोई अगर इसका प्रबंध ठीक न करे तो उसका प्रोसीक्यूशन हो सकता है। इस बोर्ड ने इस पर विचार किया है कि यह समस्या संसार के तमाम देशों में पाई जाती है कि किस तरह से फैक्टरी एफ्युलुएंट बहाया जाय कि कोई नुकसान न हो। इसके संबंध में कुछ ऐक्सपैरीमेंट्स गोला फैक्टरी में खासतौर से हो रहे हैं। जब उनका परिणाम मालूम होगा तो बोर्ड इस बात की चेष्टा करेगा कि वह फैक्टरी को आदेश दे कि किस तरह फैक्ट्री एक्यूलेंट को बहाने का प्रबंध किया जाय जिससे हानिकारक सिद्ध न हो।

श्री हेतरामसिंह—

क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि वहां पर जरा भी कच्ची नाली तक नहीं खोदी गई है और ४/५ फीट का ढेर हो जाता है और पानी उस नदी में जाता है जिसमें ५ महीने पानी नहीं रहता। वह पानी खड़उवा और सतारन गांव के पास से होकर जाता है और सड़े हुये पानी की वजह से वहां गंदगी हो जाती है जिससे आम रास्ता बन्द है? अगर कोई और प्रबंध न हो सके तो इतना प्रबंध हो जाय जिससे रास्ता चलने लगे और पानी उसी सूखी नदी में निकल जाय?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, इस संबंध में मैंने उत्तर दिया कि ६ हजार फीट पक्की लंबी नाली है और बाकी कच्ची है। हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको एनफोर्स कर सकते हैं या नहीं। बराबर इस बात का प्रयत्न रहता है कि फैक्टरी ऐक्ट के मातहत कि वे एफ्युलुएंट के लिये मार्ग बनायें। हम इस संबंध में देखेंगे कि परसुयेशन के द्वारा क्या किया जा सकता है।

(श्री हेतरामसिंह जी के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह कहा कि इस संबंध में वे पूछेंगे कि क्या हो सकता है।

श्री हेतरामसिंह—

श्रीमन्, वे कहते हैं कि ६ हजार फीट लंबी पक्की नाली है जब कि वहां पर १०० फीट भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप कहते हैं कि १०० फीट भी नाली नहीं है और वे कहते हैं कि ६ हजार फीट है तो इससे समस्या हल नहीं होगी।

श्री हेतरामसिंह—

श्रीमन्, इसकी वे जांच करायेंगे कि वहां पक्की नाली है या नहीं?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, अवश्य हम इस बात की जांच करायेंगे कि वहां पर ६ हजार फीट लंबी पक्की नाली है या नहीं।

*१०—श्री ज्वालाप्रसाद—

[४थे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*११—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

[४थे बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१२—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—

[४थे बुधवार के लिये स्थगित किया गया]

बड़ागांव व बिरांव अस्पताल में डाक्टर न होना

*१३—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बड़ागांव व बिरांव सरकारी अस्पताल वाराणसी में क्रमशः एक वर्ष व दो वर्ष से डाक्टर नहीं हैं और इसके संबंध में प्रश्नकर्त्ता ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री को दिसम्बर, १९६३ में एक प्रार्थना-पत्र भी दिया था ? क्या सरकार उन स्थानों में डाक्टर की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां, इन चिकित्सालयों में निम्नलिखित तिथियों से डाक्टर नहीं है :—

बड़ागांव	..	..	.. २२-८-६३
बिरांव	..	..	.. २२-७-६१

उचित संख्या में डाक्टर उपलब्ध होने पर वहां डाक्टर भेजने की व्यवस्था की जायगी ।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि बड़ा गांव ब्लाक में दो गांवों में डिसपेंसरी है और दोनों में डाक्टर नहीं है २२ अगस्त, १९६१ और २२ अगस्त, १९६३ से ? क्या मंत्री जी वहां डाक्टर जल्दी से जल्दी भेजने की कृपा करेंगे ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीन सदस्य को विदित है करीब-करीब २०० डिसपेंसरीज ऐसी हैं जहां डाक्टर नहीं है । यह तो नाम का बड़ागांव है वैसे छोटा गांव है ।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, वह तो हमें विदित है, मंत्री जी के कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पुराने डाक्टर को हटाकर जो दूसरी जगह भेज दिया गया है उनको लौटाने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो आवश्यकता की दृष्टि से कर दिया जाता है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, पूर्वी जिलों में डाक्टरों की बहुत आवश्यकता है और बहुत सी डिसपेंसरीज ऐसी हैं जहां डाक्टर नहीं हैं तो क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि पश्चिमी जिले का कोई डाक्टर जो लखनऊ मेडिकल कालेज से पास हो या अन्य पश्चिमी जिले के कालेजों से पास हो वह पूर्वी जिलों में जाना नही चाहता है, इसलिये गोरखपुर में मेडिकल कालेज की योजना पर विचार किया जाय जिससे पूर्वी जिलों की क्लाइमेटिक कंडीशन्स को लोग बरदाश्त कर सकें और जनता की सेवा कर सकें ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बड़ागांव के बारे में है ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन अस्पतालों में डाक्टर के अभाव की शिकायत, माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने के पहले भी कुछ लोगों ने प्रार्थना-पत्र के रूप में की थी ? यदि हां, तो यह कितने प्रार्थना-पत्र थे और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो पूरे प्रदेश भर का है, एक ही अस्पताल का थोड़े ही है। ढाई सौ पुरुषों के अस्पतालों में और ९५ स्त्रियों के अस्पतालों में पूरे प्रदेश में डाक्टर नहीं हैं। वह तो सारे प्रदेश की शिकायतें आयी होंगी। मुझे ठीक ज्ञान नहीं हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि यह ढाई सौ अस्पतालों में कई साल से डाक्टर नहीं हैं, यह काफी शोचनीय स्थिति है, जहां लाखों जनता के ऊपर एक अस्पताल बना हुआ है वहां डाक्टर नहीं है, वहां डाक्टरों की कमी पूरी करने के लिए जिन अस्पतालों में एक से अधिक डाक्टर हैं, या जो दूसरी डिग्रियां ले रहे हैं, बी० एम० बी० एस०, बी० ओ० एस० क्या-क्या निकाल रहे हैं, इन डाक्टरों को जहां बिल्कुल डाक्टर नहीं हैं, पोस्टिंग करने पर विचार करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

इस तरह की सारी बातों को गवर्नमेंट वक्तन-फवक्तन ध्यान देती रहती है, जो सबसे ज्यादा सहूलियत की बात होती है उसके ऊपर काम किया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन स्थानों में डाक्टर नहीं है, उनमें जो कम्पाउन्डर्स भेजे जाते हैं वह सीनियर मोस्ट होते हैं ?

श्री राममूर्ति—

ट्रेंड होते हैं।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टरों की कमी पूरी करने के संबंध में जो हाई पावर कमेटी बनी थी उसकी कोई मीटिंग पिछले आठ महीनों से नहीं हुई है और उसने कोई निर्णय नहीं दिया है, इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

बात यह है कि माननीय सदस्य के चले जाने से बहुत सी कमियां पैदा हो गयी हैं, उनको पूरा किया जायगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि कई वर्षों से सैकड़ों अस्पताल बगैर डाक्टर के चल रहे हैं तो क्या इस बात पर मंत्री जी जल्दी ध्यान देंगे कि इसका बहुत शीघ्र प्रबंध हो सके ताकि उस इलाके के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कालेज दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, और जो डाक्टर उनमें पढ़ रहे हैं उनकी संख्या पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ गयी है लेकिन समाज का ऐसा ढंग है कि जो लड़के शहरों में आ जाते हैं उनका रंगढंग दूसरा हो जाता है। चूंकि उनका रंगढंग

बदल जाता है इसलिए उनकी शादी भी ऐसी जगह होती है जहां रंगढंग बदला होता है। ग्रामीण जनता में काम करने में खासी परेशानी की चीज है। हम सहूलियत देना चाहते हैं लेकिन ऐसा मर्ज पैदा हो गया है कि जिसका किसी एक डाक्टर से वास्ता नहीं है बल्कि समाज के एक ढंग से वास्ता है। अब जैसे-जैसे तरक्की उसमें होगी या उन्नति होगी वैसे ही हमारा काम आगे चलेगा और हम तो कोशिश कर ही रहे हैं।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे कि जो छात्र मेडिकल कालेजों में पढ़ते हैं उनसे बांड भराया जाता है और सरकार उनको ट्रेनिंग देती है, शिक्षा देती है, तो क्या वह इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि अगर वह देहातों में जाकर सेवा नहीं करेंगे तो उनकी डिग्री छीन ली जायगी ?

श्री राममूर्ति--

डिग्री तो जो मिल गई, वह मिल गई, वह छिनती नहीं है।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

माननीय मंत्रीजी अपनी विवशता और असहायावस्था का प्रदर्शन हर जवाब में कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो छात्र देहातों से शहरों में आ गये हैं और वह जाना नहीं चाहते हैं, उसमें भी मजबूरी है तो क्या जो डाक्टर डिग्री लेकर बनते हैं उनको किसी प्रकार से बाध्य किया जायगा कि कम से कम कुछ वर्ष उन्हें देहातों में काम करना अनिवार्य होगा वरना उनको वह सुविधायें नहीं मिलेंगी जो दी जाती हैं.....

श्री अध्यक्ष--

आप यह चाहते हैं कि डिग्री का वितरण उसके बाद होगा ?

श्री बंशीधर पांडेय--

अभी तक श्रीमन्, ६० रुपया प्रतिमास के हिसाब से ६ छात्रवृत्तियां लखनऊ, आगरा और कानपुर के मेडिकल कालेजों में दी जाती हैं और वह छात्रवृत्तियां उन छात्रों को दी जाती हैं जो यह बांड भरते हैं कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इस काम को करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने यह प्रश्न किया था कि जो छात्र इस बांड के अनुरूप देहात में काम नहीं करते हैं तो उनको क्या सजा दी जाती है, क्या उनकी डिग्री छीन ली जाती है ? तो आपकी तरफ से कहा गया कि डिग्री जो दे दी गई वह दे दी गई। अब प्रश्न यह है कि डिग्री न दी जाय जब तक कि चार वर्ष तक देहात में वह काम न करें, क्या इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति--

यह विचाराधीन एक ऐसी बात है जिस पर गौर किया जा सकता है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

मंत्री महोदय ने यह कहा कि चार साल तक जब तक देहात में काम न करें तब तक उनकी डिग्री रोक ली जाय, इस पर विचार करेंगे तो क्या इस अवधि में कोई विशेष सुविधा देहात में काम करने वाले डाक्टरों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

वह विचाराधीन है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या मंत्री जी के पास इस बात की जानकारी है कि जो डाक्टर उत्तर प्रदेश में डाक्टरी पढ़कर पास करते हैं उनमें से बहुत सारे विदेश चले जाते हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ मेडिकल कालेज से और दूसरे कालेजों से बहुत से डाक्टर जो सरकार की छात्रवृत्ति से या दूसरी तरह से पास करके निकलते हैं वह ज्यादातर विदेशों में चले गये हैं, क्या इसकी सूचना उनके पास है और यदि नहीं तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसके लिए तो अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया कि सूचना की आवश्यकता होगी। फिर कोई ऐसी बात आयेगी तो सरकार उसको देख लेगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय धर्मसिंह जी के एक प्रश्न को माननीय मंत्री जी ने हंसी में टाल दिया। पिछले दस साल से प्रश्न यह है कि जो डाक्टर निकलते भी हैं वह या तो देहात में जाते नहीं प्रैक्टिस करने के लिए और प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या वह विदेशों में चले जाते हैं, इस तरह की एक गंभीर समस्या है जिसके कारण सैकड़ों अस्पताल ऐसे हैं कि जहां चार-चार, पांच-पांच और छः-छः साल से डाक्टर नहीं हैं, और यह एक गंभीर समस्या है। इस बात का ध्यान रखते हुये यहां हाउस में इस पर बराबर जोर डाला गया तो सरकार से एक हाई पावर कमीशन नियुक्त किया गया और यहां हाउस में तत्कालिक मुख्य मंत्री के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वह जल्द से जल्द अन्तरिम रिपोर्ट देगा और उसके बाद अपनी पूर्ण रूप से रिपोर्ट देगा ताकि इस समस्या का हल निकल सके। अभी धर्मसिंह जी ने पूछा कि इस कमीशन को बने हुये काफी समय हो गया है लेकिन उसकी अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई और यह समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। मैं चाहता हूं कि पूरी संजीदगी के साथ माननीय मंत्री जी इस सदन को यह आश्वासन दें कि इस बजट सेशन के बाद वह कमीशन अपनी कोई रिपोर्ट देगा ताकि समस्या का समाधान निकल सके ? ऐसा मंत्री जी आश्वासन देंगे ?

श्री राममूर्ति—

मैं इस बात का अहसास करता हूं, जो माननीय सदस्य ने अपने विचार सदन के सामने रखे उनका सरकार को भी पूरा अहसास है। इस संबंध में कमेटी बिठा दी गई है जो इस विषय पर बड़ी संजीदगी के साथ विचार कर रही है कि क्या ऐसे कदम उठाये जांय जिनसे हर डाक्टर, जो कालेज से डिग्री लेकर निकले, उसको गांव में लाजिमी जाना पड़े। ऐसी बात सरकार के सामने है। चूंकि अभी तक कोई निश्चय नहीं हुआ है, इसलिये अभी कुछ नहीं बतलाया जा सकता ?

वनस्पति घी में रंग मिलाने का प्रयास

*१४—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोई रंग वनस्पति घी में मिलाने के लिये सरकार ने तलाश कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं, क्योंकि कोई उपयुक्त रंग नहीं मिल सका ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह प्रश्न कई बार विधान सभा के सामने आया है और बार-बार यह कहा गया है कि रंग की तलाश की जा रही है तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार कौन सा रंग चाहती है और उसको क्या-क्या कठिनाई उस रंग के तलाश करने में हो रही हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई बार यहां आ चुका है। सन् १९५० में यू० पी० गवर्नमेंट ने एक प्राइज़ १० हजार रुपये का अनाउन्स किया कि घी में मिलावट के लिये ऐसा कोई रंग हो, जो गर्म करने पर या किसी प्रकार से कैमिकल प्रयोग करके हटाया न जा सके, उसको घी में मिलाया जा सके। वह सारे सजेशन मांगे गये। कोई ऐसा सजेशन या प्रस्ताव नहीं आया जो विशेषज्ञों के द्वारा जांच करने पर स्थायी रूप से निश्चय किया जा सके। उसके बाद फिर ५५ में २५ हजार रुपये का वह इनाम कर दिया। उसके बाद जो आये उसमें रतनजोत, हल्दी और हारसिंगार के नाम थे। जब उनको कैमिकल तरीके से जांच की गई तो वह भी असफल साबित हो गये। तो आज तक कोई ऐसा रंग नहीं आया जो निश्चित किया जा सके। इसी वजह से सरकार अभी तक किसी निश्चित फैसले पर नहीं पहुंच सकी है।

श्री झारखण्डेराय—

क्या माननीय मंत्री जी या सरकार को इस बात की सूचना है कि इस तरह का रंग कई जगह निकाला गया लेकिन जिन कम्पनियों के हाथ में वैजिटेबिल घी के उत्पादन और वितरण का अधिकार है उनके द्वारा बड़ी लम्बी रकम इनाम के रूप में, माननीय मंत्री जी या सरकार जितना इनाम घोषित करती है उससे कई गुणा इनाम, चोरी की शक्ल में उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है, इसलिये कोई सफलता इसमें नहीं हुई, ऐसी कोई शिकायत माननीय मंत्री जी को मिली है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि यदि भारतवर्ष के वैज्ञानिक लोग इस तरह का रंग नहीं निकाल सके तो विदेशों के वैज्ञानिकों से कंटैक्ट करने का प्रयत्न किया जायगा और प्रयास किया जायगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस बात का प्रयास हो रहा है। अगर बाहर के लोग भी आना चाहें तो जो हमने मांग की है उसमें वह आ सकते हैं।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या मंत्री जी ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगी कि जब तक ऐसा रंग न निकले इस वैजिटेबिल को तरल रूप में ही रखा जाय, उसे जमाया न जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला देवरिया)—

सरकार इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कर नहीं सकती।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या देवरिया जिले में रामकोला स्थान के बाबूराम शुक्ल ने कोई रंग इसके लिये बतलाया था जिसमें कोई खराबी नहीं थी, लेकिन सरकार ने उस पर कोई विचार नहीं किया ?

श्री राममूर्ति--

एक आम उत्तर दे दिया गया है। हर एक शख्स का नाम बतलाना सम्भव नहीं है।

संकिसा में जल व्यवस्था

*१५--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में संकिसा में बौद्ध जयंती के अवसर पर हर साल बहुत बड़ी भीड़ होती है और क्या शाक्य कहने वाले लोग वहां के कुंओं का पानी नहीं पीते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनके पानी पीने की कोई व्यवस्था करने की कृपा करेगी?

श्री बंशीधर पांडेय--

फर्रुखाबाद जिले में मु म्मदाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित संकिया में बौद्ध जयंती के अवसर पर काफी भीड़ इकट्ठा होती है। जिले से प्राप्त सूचना से इस कथन का कोई आधार नहीं ज्ञात होता है कि शाक्य कहलाने वाले लोग वहां के कुंओं का पानी नहीं पीते हैं फिर भी जिला परिषद् ने यात्रियों की सुविधा के लिये संकिसा ग्राम सभा से कूप निर्माण कराने के लिये कह दिया है।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि २५ मई, १९५६ को जब बौद्ध जयंती मनायी गई थी उस सभा में माननीय राममूर्ति जी सभापति थे और मैं भी उसमें उपस्थित था। वहां सैकड़ों लोगों ने (शाक्यों) ने मांग की थी कि चूंकि हमने यह भूमि दान दे दी है इसलिये हम इस स्थान का पानी नहीं पीते और बाहर सराय ग्राम से पानी भर कर लाते हैं। इस तरह से जो उनको कठिनाई हो रही है उसके लिये क्या संकिसा की हद के बाहर कोई पानी का प्रबन्ध सरकार करायेगी?

श्री राममूर्ति--

लोग इस कदर कमेटियों में अध्यक्ष बना देते हैं कि याद नहीं रहता, और यह तो सात साल पुरानी बात है लेकिन अगर वहां पीने का पानी का कोई इंतजाम नहीं है तो वह करना सरकार का काम है। लिहाजा माननीय सदस्य बतला दें कि मेला कब होगा, उसके पहले वहां इन्तजाम कर दिया जायगा।

"फाउण्डेशन फार न्यु एजूकेशन संस्था

*१६--श्री रघुनाथसिंह--

क्या विकास मंत्री ११ दिसम्बर, १९६३ के प्रश्न १६८ के सदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर वाराणसी के जिलाधीश ने खंड मंडलाधीश से जो जांच कराई, उक्त पत्र की शिकायतों के विवरण क्रम में उस जांच का विवरण क्या है?

श्री बंशीधर पांडेय--

जांच अभी अपूर्ण है; पूर्ण हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित विभागों से परामर्श किया जायेगा। अतएव जांच का विवरण अभी प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह--

मैंने सुरेया मोहान गांव के निवासियों की दयनीय स्थिति देखकर एक साल पहले प्रार्थना-पत्र दिया था और उस समय प्रश्न पूछने पर ८ महीने पहले जवाब दिया गया कि खंड मंडलाधीश ने जांच पूरी कर ली है। लेकिन फिर जब प्रश्न पूछा गया तो आप कहते हैं कि जांच अभी अधूरी है? तो पहले की जांच क्या थी और उसमें अब अधूरापन क्या है?

श्री बंशीधर पांडेय--

उस दरख्वास्त में बहुत-सी बातें थीं जो कई विभागों से सम्बन्धित थीं। उनके बारे में विभागों को ब्योरेवार लिखा जायेगा। पूरा विवरण आने पर वह आपको दिया जायगा।

श्री रघुनाथसिंह--

मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि ११ दिसम्बर, १९६३ को जो जवाब दिया गया था उसमें जांच पूरी करने की बात कैसे लिखी गयी थी और अब जो अधूरेपन की बात कही गयी है उसका आधार क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जब मैंने जवाब दिया था वह खंड मंडलाधीश की रिपोर्ट पर आधारित था। उसमें यह था कि अन्य विभागों से जानकारी हासिल की जा रही है कि निश्चित जिम्मेदारी किसकी है। कुछ इत्तला उसमें बाकी रह गयी थी उसकी ही जांच हो रही है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस जांच के लिये किन-किन विभागों को लिखा गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

माननीय सदस्य मेरे कक्ष में आ जायं तो मैं वह सब उनको दिखला दूंगा।

श्री उग्रसेन--

क्या मंत्री जी उसको सदन के सामने रखेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

सदन में रखने की क्या बात है, मैं तो दिखाने को तैयार हूं, आप आ जायं देख लें।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

प्रश्न कर्त्ता महोदय के पत्र की मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

वह तो प्रश्नकर्त्ता जानते हैं, वह दरख्वास्त मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह--

क्या मैं यह जानकारी का प्राप्त कर सकता हूं कि जब साल भर लिखे हुये हो गया और अभी तक जांच हो रही है, तो क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके जांच पूरी होने पर उससे इस सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

इसमें शीघ्र ही कार्यवाही की जा रही है।

*१७-१८--श्री रघुनाथसिंह--

[४थे बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१९-२०--श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)--

[४थे बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२१--श्री दौलतलाल--

[४थे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

सयाना क्षेत्र में महिला चिकित्सालय की आवश्यकता

*२२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सयाना, जिला बुलन्दशहर में जोकि एक बहुत बड़ा कस्बा है अब तक एक जनाना अस्पताल कायम करने पर सरकार ने किन कारणों से विचार नहीं किया ? क्या वहां एक जनाना अस्पताल कायम करने पर सरकार जल्द से जल्द विचार करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

राज्य में महिला चिकित्सकों एवं महिला कम्पाउन्डरों की अत्यधिक कमी होने के कारण बहुत से राजकीय चिकित्सालय बिना महिला चिकित्सकों के हैं। इन परिस्थितियों में नये महिला चिकित्सालय स्थापित करना सम्भव नहीं है। सयाना के समीप ही ६ मील की दूरी पर एक महिला चिकित्सालय मौनबहादुर नगर में कार्य कर रहा है जिस से सयाना क्षेत्र की महिलाओं की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त सयाना में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहा है जिसमें जच्चा-बच्चा की सुविधायें उपलब्ध हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुये सयाना में एक महिला चिकित्सालय स्थापित करने का प्रश्न उस समय तक नहीं उठता जब तक राज्य में महिला चिकित्सकों एवं महिला कम्पाउन्डरों की कमी दूर न हो जाय और उन जगहों पर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध न कर दी जायं जिनकी आवश्यकतायें सयाना से अधिक हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सयाना एक बहुत बड़ा कस्बा है और बुलन्दशहर में जब कि उस से छोटी-छोटी जगह पर जनाना अस्पताल हैं, यहां पर नहीं है ? तो इतना बड़ा कस्बा होते हुये भी क्या वे समझते हैं कि सयाना में जनाना अस्पताल की जरूरत नहीं है ?

श्री राममूर्ति—

जरूरत है, मगर उसके लिये एक प्रोग्राम बना हुआ है जिसके अनुसार यह काम होता है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

श्रीमन्, सयाना जिले से भी काफी दूर है और बहुत पिछड़ा हुआ है। तो क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वहां पर जनाना अस्पताल न खोल कर दूसरी जगह मौन बहादुर में उसको क्यों खोला गया ?

श्री राममूर्ति—

उस प्रोग्राम में वह आ गया होगा और वहां से उसकी रिपोर्ट आयी होगी, तभी वहां खुला होगा।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

कई साल से सरकार ने कम्पाउन्डर्स की ट्रेनिंग को बन्द कर दिया है और उत्तर में सरकार ने यह कहा है कि कम्पाउन्डर्स की कमी के कारण यह नहीं हो सका। तो क्या सरकार समझती है कि उनकी ट्रेनिंग को बन्द कर देने से उनकी कमी को दूर किया जा सकेगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसके लिये सूचना चाहिये, यह देखना होगा कि कब ट्रेनिंग बन्द हुई और क्या बात है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रदेश में महिला डाक्टर की कमी है, मंत्री जी महारानी लक्ष्मी बाई के झांसी जिले में महिलाओं के लिये डाक्टरी का कालेज खोलने पर विचार करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

मेडिकल कालेज तो सब जगह मिक्स्ड हैं। अलग से कहीं नहीं खोला है।

*२३--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

[४थे बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

*२४-२६--श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)--

[४थे बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथोलोजी विभाग की जांच रिपोर्ट

*२७--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री दिनांक ३० अक्तूबर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५ एवं ३६ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि रिपोर्ट विश्वविद्यालय को निर्णय करने के लिये सरकार द्वारा कब भेजी गई और अब तक उसके प्राप्त न होने का कारण क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

कथित रिपोर्ट १२ नवम्बर, १९६२ को भेजी गई थी। सरकार को अभी तक इसके वापस न मिलने का कारण यही है कि विश्वविद्यालय अभी तक उस पर आवश्यक कार्यवाही नहीं कर सका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर गया है कि इस रिपोर्ट में ५८-५९ के लेखे-जोखे का सवाल है जिसमें मेडिकल कालेज के अधिकारियों ने गड़बड़-घोटाला किया था और हाउस में, श्रीमन्, आपको याद होगा, ६० में सवाल उठाया गया था, जिस पर तात्कालिक मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त जी ने एक कमेटी बनाई थी। सरकार ने उसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय के पास भेजी, एक साल से ज्यादा हो गया, अभी तक विश्वविद्यालय ने उस पर फैसला नहीं किया है ? क्या इसका कारण सरकार की लापरवाही नहीं है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह बात सही है कि पैथालाजी विभाग में इक्विपमेंट और इन सब चीजों के खरीदने में गड़बड़ी हुई। इस में सरकार ने बहुत कार्यवाही की है। ७ तारीख को डिप्टी सेक्रेटरी ऐजूकेशन को इन्क्वायरी दी गई और ७ नवम्बर को इनकी रिपोर्ट आई। १२ नवम्बर, १९६२ को सरकार ने उसे विश्वविद्यालय के पास भेजा। उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का टर्म सितम्बर ६२ में ही समाप्त हो गया। नयी काउंसिल ने फिर २७ जनवरी, १९६३ को सरकार से कुछ कमेंन्ट्स मांगे कि कौन-कौन-सी बातें और चार्जेज थे, जिन्हें सरकार ने साफ कर के उनके पास भेज दिया। वी० सी० ने कहा है कि अब वह शीघ्र ही इस पर रिपोर्ट भेजेंगे।

सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा

*२८--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा सरोजिनी नायडू अस्पताल की नई बिल्डिंग बनाने की योजना अब तक कार्यान्वित न किये जाने का क्या कारण है ? इस इमारत का बनाना कब से आरम्भ हो जायगा ?

श्री बंशीधर पांडेय--

सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा की नई इमारत बनाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। मेडिकल कालेज व सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा में कुछ नई इमारतें बनाने तथा वहां की पुरानी इमारतों में सुधार किये जाने का एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसके अन्तर्गत ७ निर्माण कार्य हैं। इन में से ४ के लिये भूमि लेने का प्रश्न देर से तय होने तथा यह निर्णय लेने में कि इनके लिये एक ही तखमीना बनाया जाय या प्रत्येक के लिये अलग-अलग तखमीना बनाये जायं देर हो गई है। इन चार कार्यों के लिये अब दो प्रारम्भिक तखमीने सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हैं। इनके लिये विस्तृत तखमीने बनने के बाद और उन पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो सकेगा, शेष तीन कार्यों के तखमीने अभी नहीं बन पाये हैं।

*२९--श्री बालोजी अग्रवाल--

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा सरोजिनी नायडू अस्पताल में टी० बी० के विस्तरे (बेड्स) सरकार और बढ़ाने वाली है? यदि हां, तो कितने?

श्री बंशीधर पांडेय--

टी० बी० की १० शय्यायें बढ़ाने का प्रस्ताव है।

*३०--श्री बालोजी अग्रवाल--

क्या सरकार कृपया इस बात की जांच करायेगी कि सरोजिनी नायडू अस्पताल में मरीजों को अस्पताल से दवायें न देकर उनसे बाजार से दवायें मंगाई जाती हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों है?

श्री बंशीधर पांडेय--

दवाओं के लिये स्वीकृत धनराशि व स्टाक में उनकी उपलब्धि के आधार पर रोगियों को दवायें अस्पताल से मुफ्त दी जाती हैं। कुछ दवायें जो चिकित्सक रोगी की हालत देखते हुये अस्पताल के स्टाक के अलावा लिखते हैं और जिन रोगियों में इन्हें खरीदने की सामर्थ्य होती है उन्हें बाजार से लाने को कहा जाता है। किसी भी रोगी को अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों से वंचित नहीं रखा जाता।

श्री बालोजी अग्रवाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन कार्यों के दो प्रारम्भिक तखमीने सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हैं वे कौन से कार्य हैं और जिन ३ कार्यों की स्वीकृति नहीं हुई है वे कौन से हैं?

श्री बंशीधर पांडेय--

एक है अनाटामी, फिजियालाजी और फारमैकालाजी इत्यादि विभागों के लिये कालेज की नयी इमारत, यह १०,६४,६८० रुपये के लिये ५८-५९ में स्वीकृत हुआ। दूसरा सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज में सोशल तथा प्रिवेंटिव मेडिसिन के सिलसिले में २,७६,००० रुपया। उसी कालेज में स्टाफ क्वार्टर्स में सुधार के लिये भवनों का निर्माण ३३,९८,५२० रुपया। चेस्ट सर्जरी यूनिटों के भवनों का निर्माण १,२४,२०२ रुपया, २०० शय्याओं की वृद्धि के सम्बन्ध में है ९७,६४० रुपये, फिजीकल तथा मेडिकल विभाग की स्थापना के सम्बन्ध में १,८४,००० मेडिकल विकास सेक्शन के लिये भवनों के निर्माण की भी बात है और पहले ४ कार्यों के लिये तखमीने बनाये जायें, इस प्रकार की बात हो रही है।

श्री बालोजी अग्रवाल--

टी० बी० की १० शय्यायें कब तक बढ़ा दी जायेंगी?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला रायबरेली)—

इसके लिये डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ के आदेश जा चुके हैं।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

दवाओं के बारे में सारे प्रदेश में भ्रष्टाचार की सरकार जांच करायेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसकी सूचना सरकार को नहीं है।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

आगरा अस्पताल में अनुदान कम होने से बाहर की दवाइयां लिखी जाती हैं। तो क्या सरकार अनुदान बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वहां की रोगियों की संख्या इत्यादि को देखते हुये ही सारे अस्पतालों के अनुदान निर्धारित किये जाते हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार हर अस्पताल में एक ऐसा रजिस्टर कायम करवायेगी कि हर वह मरीज जिसे बाहर से दवाई लाने को कहा जाय, वह दवाई लाकर उसमें दर्ज कर दे, ताकि यह मालूम हो सके कि कितने की बाहर से दवाई आई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह बड़े ब्यौरे की बात है। खरीदने का आदेश उन्हीं को दिया जाता है जो खरीद सकते हैं। बाकी को तो सब दवाइयां अस्पताल से ही मिलती हैं। माननीय सदस्य अपना सुझाव लिख कर डिटेल में दे दें तो उसे देख लेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

परसों का किस्सा है कि सहारनपुर में ओमप्रकाश नाम के एक व्यक्ति की बहू अस्पताल में दाखिल हुई। ८ दिन से वह मरण-शय्या पर पड़ी है और लोगों से चन्दा जमा करा के उसका इलाज कराया जा रहा है। वहां की लेडी डाक्टर ने ९६ रुपये के टीके लिखकर उसे दिये। मेरे जाने के बाद और सिविल सर्जन के कहने पर वही टीके अस्पताल से उपलब्ध हुये। क्या इसकी जानकारी सरकार कराने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

इसे लिखकर दे दें तो पूरी जांच करा ली जायगी।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

क्या सरकार इस प्रश्न को सूचना समझ कर इसकी जांच करायेगी कि दवाइयां अस्पताल से चोरी चली जाती हैं और मरीजों को नहीं मिल पाती हैं ?

श्री राममूर्ति—

इन तमाम बातों के लिये तो आडिट और मुआयना वगैरह होता है लेकिन अगर स्पेसिफिक तौर पर हमको कुछ बताया जायगा तो सरकार उसकी जांच करायेगी।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि मरीजों को अस्पताल में दवाइयों के न मिलने का एक मात्र कारण यह है कि सिविल अस्पतालों से दवाइयां बाजार में बिक जाती हैं ? लखनऊ सिविल अस्पताल से हजारों की दवाइयां चोरी गयीं और उसका मुकदमा चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी ने जो बात कही उसका ध्यान रखना चाहिये। अगर कोई स्पेसिफिक केस उनकी नजर में लाया जायगा तो वह उसकी जांच करायेंगे। एक आम शिकायत के बारे में वह कहते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकते।

श्री लखपतराम शर्मा --

श्रीमन्, मुकदमा अदालत में चल रहा है, क्या इस प्रकार की दूषित प्रथा को मन्त्री जी रोकने के लिये कार्यवाही करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय --

मुकदमा चल रहा है, उसके फैसले का इन्तजार कर रहे हैं।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--

सभी माननीय सदस्यों की शिकायत है, तो अब भी क्या उसके बारे में लिखकर देने की आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि सन् १९५८ में यह प्रपोजल स्वीकृत हो चुका था लेकिन अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं हो पायी है, तो ६ वर्ष तक इसको कार्यान्वित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय --

इसमें कुछ काम १९५८ के हैं, कुछ १९६३-६४ के और कुछ १९६१-६२ के, इस प्रकार से अलग-अलग कार्य थे जिनमें से ४ कार्य हो चुके हैं और ३ कार्य अभी शेष हैं ?

श्री छत्रपति अम्बेश --

मैं स्पेसीफिकली १९५८ के कार्य के बारे में पूछना चाहता हूं कि उसमें प्रगति न हो सकने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय --

मैंने निवेदन किया कि इसमें भूमि सम्बन्धी कुछ अड़चनें थीं, वे अब पूरी हो चुकी हैं। इसके बारे में मेरे पास सूचना नहीं है कि सन् १९५८ का कौन सा कार्य था।

*३१--श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री कैलाश (जिला देवरिया) --

[४थे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

बोरिंग के सामान की देखभाल

*३२—श्री गणेशचन्द्र काछी —

क्या यह सत्य है कि जो सरकार के बोरिंग मिकेनिक हैं, उन्हें जो सामान और पाईप बोरिंग के लिये दिये जाते हैं, उस सामान के और पाइपों के रखने के लिये किसी भी विकास खंड में व्यवस्था नहीं है ?

श्री बंशीधर पांडेय —

बोरिंग का सामान जिले के गोदाम में रक्खा जाता है। इस गोदाम के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर गोदाम की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि बोरिंग मेकेनिकों को केवल आवश्यक सामान ही दिया जाता है और एक कृषक के कुयें की बोरिंग का कार्य पूरा हो जाने पर सामान दूसरे कृषक के स्थान पर ले जाया जाता है। बोरिंग कार्य समाप्त हो जाने पर सामान जिले के गोदाम में जमा कर दिया जाता है। अतः विकास खंड स्तर पर सामान जमा रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करेगी कि जब तक दूसरे काश्तकार के यहां सामान जाता है तब तक बहुत समय लग जाता है और अगर बारिश हो जाती है तो सामान के सड़ने और जंग लगने की भी गुंजाइश रहती है, ऐसी सूरत में क्या सरकार विचार करेगी कि विकास खंडों में ऐसे सामान के रखने के लिये स्थान बना दिये जायं ?

श्री राममूर्ति —

सड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, जंग लग सकती है, लेकिन कुआं बोर करने के बाद स्टोर में सामान लाने की नौबत ही नहीं आती, सामान एक कुयें का काम खत्म होने के बाद दूसरे कुयें पर चला जाता है। इसलिये और खर्चा बढ़ाने की आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती है।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो बोरिंग का सामान दिया जाता है, उसमें काश्तकार को कितना पाइप सप्लाई किया जाता है ?

श्री राममूर्ति —

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

गांधी स्मारक चिकित्सालय, लखनऊ, में रक्त का प्रयोग

*३३—श्री रामेश्वरनाथ (जिला बरेली) —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६३ में गांधी मेमोरियल और उससे सम्बन्धित लखनऊ के अस्पतालों में कुल कितनी बोतल खून मरीजों के नाम पर दिया गया और क्या उस सबका प्रयोग किया गया ? यदि नहीं, तो उसका प्रयोग न होने के कारण क्या वह बेकार हो गया ?

श्री बंशीधर पांडेय —

गांधी स्मारक तथा सम्बन्धित चिकित्सालय, लखनऊ में १९६३ में कुल २,८३९ रक्त की बोतलें मरीजों के नाम पर दी गईं। उनमें से २,८३० खून की बोतलें प्रयोग की गईं। ९ बोतलें निर्धारित समय में प्रयोग नहीं की जा सकीं और खराब हो गईं।

श्री रामेश्वरनाथ--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ९ बोतल २१ दिन तक क्यों बाहर पड़ी रहीं, इसे न मरीजों को लगाया जा सका और न ब्लड बैंक को वापस पहुंचाया जा सका ?

श्री बंशीधर पांडेय --

इन बोतलों के बाहर पड़े रहने की तो सूचना नहीं है लेकिन जो ९ बोतल खराब हो गयीं उसके लिये जो व्यक्ति जिम्मेदार ठहराये गये उन्हें सरकार ने वार्निंग भी दी और कुछ से वसूल करने का भी आदेश दिया है।

*३४-३५--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) --

[४थे बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३६--श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री कैलाश--

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*३७-३९--श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा) --

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४०--श्री वेद राम (जिला एटा)--

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*४१-४२--श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४३-४४--श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी) --

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४५--श्री कैलाश--

[३रे सोमवार के लिये प्रश्न ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४६--श्री कैलाश--

[४थे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*४७-४९--श्री बांके लाल (जिला देवरिया) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय --

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५०--श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा) --

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*५१-५२--श्री अहमद बख्श--

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५३-५५--श्री उग्रसेन --

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५६--श्री कैलाश--

[४ मार्च १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*५७–५८—श्री विजयसिंह (जिला जालौन) —

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५९—श्री ज्वाला प्रसाद कुरील —

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

कोलअसला परगना में नाद नदी पर पुल

*६०—श्री ऊदल —

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के परगना कोलअसला में नाद नदी में गांव सभा सराय व उत्तर तरफ घरसौना के सामने जो कच्ची सड़क जाती है वहां आवागमन को देखते हुये एक पुल बनवाने पर सरकार विचार कर रही है या करेगी ? क्या सरकार को पता है कि बरसात के ४,५ महीनों में पुल न होने से आम जनता को काफी कठिनाई होती है?

श्री बंशीधर पांडेय —

सूचना एकत्र की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव) —

[४थे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

बरेली जिले में मुअत्तल पंचायत मंत्री

२—श्री हरीशकुमार गंगवार —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बरेली में कितने ऐसे पंचायत मन्त्री हैं जो १ वर्ष से अधिक मुअत्तल हैं ? उनके मामले तय न करने के कारण क्या हैं ?

श्री राममूर्ति —

जिला बरेली में केवल एक पंचायत मन्त्री ऐसे हैं जो एक वर्ष से अधिक अवधि से मुअत्तल हैं। जेल में बन्द होने के कारण इनका मामला अभी तक तय नहीं हो सका।

३—श्री रघुनाथ सिंह —

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

४–६—श्री मुमताज मुहम्मद खां —

[४थे बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

ऊंचा गांव का विकास खण्ड क्षेत्र

७—श्री मुमताज मुहम्मद खां —

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६० में जब ऊंचा गांव विकास खंड, जिला बुलन्दशहर, का संगठन शासन ने किया था उस विषय में क्या सरकार के प्लानिंग रिसर्च ऐंड ऐक्शन इन्स्टीट्यूट ने सरकार को यह मशिवरा दिया था कि ऊंचा गांव विकास खंड से तीन अदालती पंचायतें कनोना, नरसैना और जड़ौल को निकाल कर जहांगीराबाद विकास खंड में मिला दिया जाय और शासन ने इसको स्वीकृत कर दिया था ?

श्री राममूर्ति --

सन् १९६० में जिला बुलन्दशहर के जिला अधिकारियों की संस्तुति पर प्लानिंग, रिसर्च एन्ड एक्शन इन्स्टीट्यूट ने ऊंचा गांव विकास खंड से तीन अदालती पंचायतें---कदोना, नरसेना और जड़ौल--- को निकाल कर जहांगीराबाद विकास खंड में मिलाने का सुझाव दिया था जिसे विकास आयुक्त ने स्वीकृत किया था।

८---श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या यह सच है कि इस प्रकार से ऊंचा गांव विकास खंड के दो टुकड़े हो जाते थे और बीच में जहांगीराबाद विकास खंड आ जाता था? यदि हां, तो क्या जहाँगीराबाद विकास खंड से, जो इस प्रकार से ऊंचा गांव विकास खंड के बीच में आ गया था कोई, कोरीडोर देने की व्यवस्था की गयी थी?

श्री राममूर्ति ---

जी हां, न्याय पंचायत सरसेना को जहांगीराबाद खंड में मिलाने से ऊंचा गांव खंड के दो भाग हो जाते थे। प्रस्ताव भेजते समय जिला अधिकारियों ने विकास खंडों का नक्शा नहीं भेजा था जिससे यह विषमता स्पष्ट नहीं थी। जिले में इन दोनों विकास खंडों का संगठन पूर्वोक्त रहा तथा व्यवहार में उपर्युक्त तीनों न्याय पंचायतों को ऊंचा गांव विकास खंड का ही भाग माना जाता रहा। अतः कोरीडोर आदि की व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता।

९---श्री मुमताज मुहम्मद खां ---

यदि नहीं, तो क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्लानिंग, रिसर्च ऐन्ड ऐक्शन इन्स्टीट्यूट ने सरकार को ऐसी राय क्यों दी और सरकार ने उसको क्यों स्वीकार किया था?

श्री राममूर्ति---

प्लानिंग, रिसर्च एवं ऐक्शन इन्स्टीट्यूट ने जिला अधिकारियों के परामर्श से दोनों खंडों की जन संख्या की विषमता दूर करने के ध्येय से प्रस्ताव माना था जिसे विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, ने भी स्वीकृत कर दिया।

पीलीभीत जिले की सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार

१०---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार को ज्ञात है कि उप-निबन्धक, सहकारी समिति, बरेली, द्वारा किशन लाल आत्मज धनीराम वैश्य, बनाम परेवा वैश्य क्षेत्रीय समिति (सहकारी) जिला पीलीभीत के मुकदमे में १ अगस्त, १९६३ को निर्णय दिये जाने के पश्चात् भी पीलीभीत के उस निर्णय को कार्यान्वित करने में बाधा पहुंचा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस निर्णय को लागू करने के लिये कार्यवाही करेगी?

श्री बनारसी दास---

उप-निबन्धक सहकारी समितियां, बरेली, ने श्री किशन लाल आत्मज श्री धनीराम वैश्य बनाम परेवावैश क्षेत्रीय सहकारी समिति जिला पीलीभीत की अपील में १-८-६३ को निर्णय देते हुए श्री किशनलाल के विरुद्ध ५०० रु० कर्ज मय सूद की, जो डिग्री सोल आरबिट्रेटर ने दी थी, वह रद्द कर दी और आदेश दिया कि क्षेत्रीय सहकारी समिति इस रकम को श्री मनोहरलाल सेक्रेटरी-कम-मैनेजर से वसूल कर सकती है।

उपरोक्त आदेश का पालन करते हुए श्री किशनलाल से इस रकम की वसूली की कार्यवाही रद्द की जा चुकी है और श्री मनोहर लाल के विरुद्ध आरोप लगाकर मामला

स्थानीय अनुशासन समिति को दे दिया गया है जिसकी एक बैठक हो चुकी है। स्थानीय अनुशासन समिति के निर्णयानुसार वसूली की कार्यवाही की जायगी।

११—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सहकारिता मन्त्री को श्री किशन लाल वैश्य, वाइस-प्रेसीडेंट, क्षेत्रीय सहकारी समिति, परेवा वैश्य, जिला पीलीभीत का दिनांक ११ दिसम्बर, १९६२ को पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें पीलीभीत जिले की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में तथा परेवा क्षेत्रीय सहकारी समिति में होने वाले भीषण भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की शिकायत की गयी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या शिकायत की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री बनारसीदास—

जी हां।

शिकायती पत्र की जांच कराने पर आरोप निराधार पाये गये। शिकायती पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७६०–७६१ पर)

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, मैनपुरी में चिकित्सक न होना

१२—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी में जो औद्योगिक प्रशिक्षण कन्द्र (आई० टी० आई०) सरकार ने खोला है उसको चलते करीब एक साल हो गया है पर अभी तक वहां कम्पाउन्डर व डाक्टर नहीं रखे गये हैं? यदि हां, तो वे कब तक वहां पहुंच जायेंगे?

श्री बनारसीदास—

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, मैनपुरी, में कम्पाउन्डर नियुक्त कर दिया गया है। डाक्टर की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है और उसकी भी नियुक्ति शीघ्र की जायगी।

झांसी की अदालतों में स्टाम्प्स व टिकटों का अभाव

१३—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी में कितने माह से वहां के दीवानी व फौजदारी अदालतों में कोर्ट फीस के स्टाम्प्स व टिकट सही रूप में जनता को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, क्या यह भी सत्य है कि डेढ़ रुपये के टिकट के स्थान पर तीन-तीन व चार-चार रुपये के टिकट जनता को लगाने पड़े, तो सरकार द्वारा उचित कार्यवाही महीनों तक न किये जाने का क्या कारण है?

वित्तमन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

नर्सों का बकाया वेतन

१४—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह सत्य है कि राय बरेली के जिला अस्पताल व बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ, की स्टाफ नर्सों का छुट्टी के समय के वेतन का काफी रुपया रुका पड़ा है? यदि हां, तो वह रुपया उनको कब तक दे दिया जावेगा?

चिकित्सा मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)--

जी हां। वह रुपया उन्हें इस माह के अन्त तक दे दिया जायगा।

१५-१६--श्री बालोजी अग्रवाल--

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रश्नों के स्थगन के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे सवालों के सम्बन्ध में आपसे कुछ निवेदन करना है। आज की कार्यसूची को आप देखने की कृपा करें। कुल सवाल ६० हैं। आप देखेंगे कि ये सारे सवाल करीब २४-१-६४ को सरकार के पास भेजे गये जिनमें से करीब ४३ सवाल स्थगित किये गये हैं और वे सभी ३रे महीने के लिये स्थगित किये गये हैं। नियमों को जहां तक मैं जानता हूं और, श्रीमन्, आपको भी जानकारी है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि मन्त्री जी जब आपसे किसी प्रश्न को स्थगित करने के लिये प्रार्थना करें तो उसके लिये आप उनको दो महीने का वक्त दे दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं बता दूं कि आप २ मास का समय न गिनिये बल्कि यह देखें कि जिस दिन मन्त्री जी की पाली या दिन पड़ता है उस दिन शायद सदन बन्द हो। इधर ५ दिन ईद में सदन बन्द है और फिर आगे ५ दिन होली में बन्द रहेगा, तो दस दिन यह हो गये, इस तरह से २ मास की बात न कहें। आप आकर देख लें और अगर कोई दिक्कत होगी तो हम समझ लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

दफ्तर में देखने की बात नहीं है। अगर मन्त्री जी ने २ मास का समय मांगा है तो इस पर आप की ओर से ध्यान दिया जाना चाहिये और २ मास का समय नहीं देना चाहिये, आर्डर है तभी समय दिया गया होगा, ४-३-६४ की कार्यसूची में रखा है। तो आप की ओर से २ मास के बाद रखने की आज्ञा दी गई और २ मास का समय उत्तर देने के लिये रखा गया। इस तरह से ३ मास हो जाते हैं और इस तरह से हमारे अधिकारों का हनन् होता है। मैं निवेदन करूंगा कि १०-१५ दिन की अभी तक की परिपाटी रही है और अब यह चीज देरी के लिये की जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

आज १२ हो गई, उसके बाद फिर अगला सप्ताह पड़ता है २७ तारीख को, उस दिन होली की छुट्टी है। उसके बाद फिर मार्च ही आता है। २४ तारीख के प्रश्न १२ के लिये रखे गये और अब मार्च में रखे गये हैं। इस तरह से समय लग रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मन्त्री जी के सामने जब प्रश्न आते हैं तो वह महीनों डाक में पड़े सड़ते हैं और कहा जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है। आप कृपया मियाद बांध दें कि कितने दिन तक मन्त्री जी सूचना एकत्र करेंगे, वर्ना रोज सूचना ही एकत्र करते रहते हैं और माननीय बंशीधर पांडेय तो मन्त्री इसीलिये बने हैं कि वह यहां कहते रहें कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, वह मन्त्री इसलिये बनाये गये हैं कि वह सूचना एकत्र कर के आपको दें।

(श्री नाथूराम शिक्षक के खड़े होने पर)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, शिक्षक जी कुछ कहना चाहते हैं, वह कम बोलते हैं उन्हें पहले कहने दें।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मेरी शिकायत यह है कि एक साल से ज्यादा हो गया सवाल पूछे हुए लेकिन आज तक एजेंडे में सवाल नहीं है....

श्री अध्यक्ष--

आप आज की बात करिये।

श्री लखपतराम शर्मा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने अतारांकित प्रश्न १३ की ओर दिलाऊंगा। मैंने उसमें पूछा था....

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी शिकायत करें।

श्री लखपतराम शर्मा--

झांसी में कितने ही मास से वहां की दीवानी व फौजदारी अदालतों में कोर्ट फीस के स्टाम्प्स व टिकट डेढ़ रुपया व ८ आने वाले जनता को नहीं मिल रहे हैं और उनके स्थान पर ३ रुपये और ४ रुपये के टिकट महीनों तक जनता ने लगाये, सरकार द्वारा इस प्रकार किये जाने वाले ब्लैक के विषय में मैंने अपना १३ नम्बर का प्रश्न किया था। इस प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्न भी अतारांकित में डाल दिया गया।

श्री नैनसिंह की रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास अलीगढ़ जेल के जेलर की सूचना आई है जो इस प्रकार है :

"निवेदन है कि श्री नैन सिंह, विधान सभा सदस्य, जो कि इस कारागार में गुड़ आन्दोलन के सम्बन्ध में दिनांक ४-१-१९६४ को परगनाधीश, कैराना, जिला मुजफ्फरनगर, द्वारा डी० आई० आर० धारा १२५ (९) के अधीन ३ माह के लिये साधारण कारावास में दण्ड की अवधि बिता रहे थे, आज फरवरी ७ (सात), १९६४ को सायंकाल मुक्त कर दिये गये।"

श्री सुखलाल (लखनऊ) की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास विशेषाधिकार के कई प्रश्न आये हैं जिनमें से एक माननीय सुख लाल के सम्बन्ध में था कि वह गिरफ्तार किये गये। श्री सुखलाल ज्यों ही आज पुनः बेगम हजरत महल पार्क इस जलूस को संगठित करने पहुंचे कि पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता....

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

उसके साथ आपने जो दूसरी बात पढ़ी कि सदन की कार्यवाही चल रही थी तो जैसा मैंने कहा था, सदन की कार्यवाही चल रही थी इसलिये यह नहीं कह सकते कि तय करके गये थे कि सदन नहीं आवेंगे, क्योंकि समय के पहले ही गिरफ्तार हो गये। जिलाधीश ने आज्ञा दे रखी थी जलूस को यहां तक लाने और निकालने की। तो कैसे उनका पहुंचना वैधानिक हो गया? जब सदन चलता है तो सदस्य प्रयत्न करते हैं कि और कामों को करते हुए भी सदन का काम करते रहें। हम लोगों का सत्याग्रह चलता रहा लेकिन माननीय सदस्यों ने सदन में अपना काम बन्द नहीं किया। अतः उनकी वहां गिरफ्तारी करने से सदन के कार्य में बाधा हुई और मैंने यह भी सूचना दी है कि जिलाधीश ने सदन को गलत बयान भेजा। इसी विशेषाधिकार में चूंकि दो चीजें सम्मिलित हैं इसलिये कह रहा हूं कि जिलाधीश ने गलत बयानी की, क्योंकि माननीय सुखलाल लाउड स्पीकर का प्रयोग कर रहे थे....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें। आपने जो लिखा वह अभी मैंने ऊपर पढ़ा, उसके आगे यह लिखा है--"मुझे यह भी निवेदन करना है कि आज ९.४० प्रातःकाल जिलाधीश ने जिला जन संघ मन्त्री श्री बसन्तलाल गुप्त, को सआदतगंज पुलिस चौकी द्वारा बुलाया ९.४५ पर। प्रातः उनसे डी० एम० से बातें हुई फोन पर।"

तो इसमें आपने कुछ लिखा नहीं और जो आपने प्रतिलिपि भेजी है उससे मालूम होता है कि जो इनकी गिरफ्तारी हुई है वह इस कारण से हुई कि वह लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे थे। एक बात आपने यह कही कि माननीय सदस्य विधान सभा में आना चाहते थे। इसका आपने कोई उल्लेख दरख्वास्त में नहीं किया है जैसा मैंने पढ़ कर सुनाया है। तो जहां तक सूचना का सम्बन्ध है, उसके आधार पर यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता। अब आपने दूसरा दिया है उसी सम्बन्ध में....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

उस दिन मैंने कुछ तथ्यों का बयान किया आपके कहने के अनुसार। आप कार्यवाही देख लें। आपने आज्ञा दी कि मैं लिख कर दे दूं जो घटना घटी हो। मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न मौखिक रूप से....

श्री अध्यक्ष--

आपने तो लिख कर दिया है। जो लिखकर दिया है उसको मैंने अभी तक नहीं देखा है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

कोई नयी सूचना नहीं है, उस संदर्भ में।

श्री अध्यक्ष--

अगर ऐसा है तो मैं पढ़े देता हूं:

"परसों दिनांक १० फरवरी, १९६४ को विधान सभा सदस्य, श्री सुखलाल, को लखनऊ के उप-पुलिस अधीक्षक (सिटी) ने गिरफ्तार करके उन्हें सदन में उपस्थित होकर यहां की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार से वंचित किया, जिससे कि इस आदरणीय सदन के एक माननीय सदस्य को संविधान द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों का हनन हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अस्तु मैं आपके माध्यम से लखनऊ के उप-पुलिस अधीक्षक (सिटी) क विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस देता हूं।

श्रीमन्,

परसों लगभग १० बजे जबकि विधान सभा सदस्य, श्री सुखलाल, स्थानीय बेगम हजरत महल पार्क जीप द्वारा पहुंचे त्यों ही उपरोक्त पुलिस अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया और कहा कि दफा १४४ लगी हुई है। आप जलूस निकालने जा रहे हैं। इसलिये हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं।

इस पर श्री सुखलाल, जो कि अपने कुछ अन्य साथियों सहित केवल चुपचाप जीप में बैठे थे, बोले, "मैं विधान सभा सदस्य हूं। मुझे जनसंघ कार्यालय द्वारा यह स्पष्ट ज्ञात हो गया है कि हमें जिलाधीश ने जलूस निकालने की अनुमति आज ९.४५ प्रातः ही दे दी है और इसीलिये मैं यहां आया हूं। अपने निर्वाचन-क्षेत्र से आये किसानों का मांग-पत्र सरकार को देना है तथा सदन की कार्यवाही में भी भाग लेने के लिये विधान सभा जाऊंगा। आप मुझे अकारण बन्दी बनाकर मेरे सदन में पहुंचने के अधिकार को न छीनें।

इसके बाद श्री सुखलाल द्वारा बार-बार यह कहने पर भी कि हमें जिलाधीश द्वारा जलूस निकालने की अनुमति मिल गयी है, आप जिलाधीश से पूछ लें जिनका निवास तथा कार्यालय दोनों ही घटनास्थल के बिल्कुल पास हैं, उक्त पुलिस अधिकारी ने श्री सुखलाल को गिरफ्तार कर लिया और इस प्रकार अकारण ही उन्हें इस आदरणीय सदन में आने से रोका गया है और वह अब भी जेल में बन्द हैं। अर्थात् उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है।"

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

मेरा निवेदन यह है कि जिस समय आपने यह कहा कि फोन पर मुझ को सूचना प्राप्त हुई तो उस आधार पर मैं विस्तृत विवरण नहीं दे सका।

श्री अध्यक्ष---

जो मैंने पढ़ कर सुनाया था वह भी इस प्रकार है---विस्तार में विवरण देना न मेरे लिये संभव था और न आपके लिये। जितना मैंने पढ़ कर सुनाया वह इस प्रकार है---अभी एक सूचना मेरे पास श्री पुरी, सचिव, विधान मण्डल ने लखनऊ के जिलाधीश की जी० पी० पांडेय से टेलीफोन द्वारा प्राप्त होने पर भेजी है जो इस प्रकार है। "अभी पूर्वाह्न ११ बजकर ४० मिनट पर श्री जी० पी० पांडे, जिलाधीश, लखनऊ ने मुझे टेलीफोन पर यह सूचना दी कि श्री सुखलाल, सदस्य, विधान सभा, ७ व्यक्तियों सहित आज लगभग साढ़े दस बजे प्रातः हजरत महल पार्क, लखनऊ, में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के भंग करने के फलस्वरूप गिरफ्तार कर लिये गये। श्री सुखलाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत ५ व्यक्तियों से अधिक के जमा होने तथा लाउड स्पीकर का प्रयोग करने के प्रतिबन्ध को लाउड स्पीकर पर नारे लगा कर तोड़ा। श्री पांडे ने यह सूचित किया है कि वे विहित प्रपत्र में सूचना थोड़ी देर में माननीय अध्यक्ष की सेवा में भेजेंगे।"

तो आपके पत्र से और इस सूचना में यह अन्तर है कि आप कहते हैं कि लाउड स्पीकर प्रयोग में नहीं आये और वे कहते हैं कि प्रयोग में आये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

जिलाधीश ने सदन को तथा अध्यक्ष को मिसइन्फार्म किया जब कि दफा १४४ को तोड़ने की उन्होंने इजाजत दे दी थी जिसे कि मैं अध्यक्ष महोदय को दिखा चुका हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

जुलूस निकालने का आदेश मिल चुका था और उसमें ७ आदमी थे जो गिरफ्तार कर लिये गये और जिलाधीश कहते हैं कि १४४ को तोड़ने में गिरफ्तार किये गये; तो यह दोनों बातें कैसे हो सकती हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने के मन्तव्य से, सिटी मैजिस्ट्रेट, लखनऊ, ने जाब्ता फौजदारी की धारा १४४ के अन्तर्गत दो आदेश जारी किये थे, जो लखनऊ शहर में १० फरवरी को लागू थे। पहला आदेश दिनांक १८ जनवरी का था। इसके द्वारा लाउड स्पीकर या इस प्रकार के ध्वनि प्रसारित करने वाले यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया था, जब तक कि इनके प्रयोग की लिखित अनुमति निर्धारित अधिकारी से न ले ली गई हो। दूसरा आदेश दिनांक ५ फरवरी का था। इसके द्वारा शहर में निर्धारित अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना पांच या इससे अधिक व्यक्ति के सार्वजनिक स्थान में एकत्रित होने, मीटिंग करने, प्रदर्शन करने, नारे लगाने, इत्यादि पर रोक लगायी गयी थी।

जिला मंत्री, भारतीय जनसंघ, लखनऊ, ने सिटी मैजिस्ट्रेट को ६-२-६४ को यह सूचित किया था कि १० फरवरी को जनसंघ की ओर से लगभग १० हजार पाला पीड़ित किसानों का जुलूस निकाला जायगा और लाउड स्पीकर प्रयोग करने तथा जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी। ९ फरवरी तक सिटी मैजिस्ट्रेट ने कोई अनुमति प्रदान नहीं की थी। ९ फरवरी की रात को करीब १० बजे जनसंघ के जिला मन्त्री श्री बसन्त लाल गुप्ता ने जिला मैजिस्ट्रेट से फोन पर सम्पर्क कर यह बताया कि उन्हें अनुमति नहीं मिली है और इस पर विचार करने के लिये आग्रह किया। उन्होंने यह बताया कि वह सादतगंज पुलिस स्टेशन के सामने रहते हैं, और दूसरे रोज प्रातःकाल थाने के टेलीफोन पर उनको बुलाया जा सकता है।

१० फरवरी को जिला मैजिस्ट्रट ने करीब पौने दस बजे पूर्वाह्न में सादतगंज पुलिस स्टेशन के टेलीफोन पर श्री बसन्त लाल गुप्त से सम्पर्क स्थापित किया। श्री गुप्त ने बताया कि काश्तकारों की संख्या थोड़ी होगी, जुलूस बेगम हजरत महल पार्क से चलकर सीधा रोशन-दौला कचहरी तक जायगा, जहां पर यह लोग अपनी मांग एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने रख कर तितर-बितर हो जायेंगे, इस सीमित मांग और उद्देश्य के लिये उन्होंने जुलूस की अनुमति मांगी। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि इसके लिये उन्हें सिटी मैजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति मिल जायगी। इसकी लिखित अनुमति थोड़ी देर के बाद सिटी मैजिस्ट्रेट ने दे दी। लाउड स्पीकरों के प्रयोग की अनुमति की न तो श्री बसन्त लाल गुप्त ने कोई बात की और न कोई अनुमति मौखिक अथवा लिखित दी गई।

साढ़े दस बजे पूर्वाह्न के करीब हजरत महल पार्क के उत्तर ओर वाली महात्मा गांधी रोड पर श्री सुखलाल, सदस्य विधान सभा, अन्य सात व्यक्तियों के साथ, लाउड स्पीकर पर नारे लगाते पाये गये। यह लाउड स्पीकर एक जीप नम्बर (D. L. E 7803) पर मय चालू मशीन के लगा था। श्री सुखलाल व उनके साथी यह नारे लगा रहे थे —

"धारा १४४ तोड़ेंगे।
रोजी रोटी दे न सके,
वह सरकार निकम्मी है।
हर जोर जुलुम के टक्कर में,
जनसंघ हमारा साथी है।"

इत्यादि

वहां वह ३० या ४० आदमी एकत्रित हो गये थे। घटनास्थल पर दो गजटेड अधिकारी भी पहुंच गये थे। मना करने पर भी जब श्री सुखलाल व उनके साथियों ने लाउड स्पीकर पर नारे लगाना बन्द नहीं किया तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

श्री उग्रसेन—

आप जिलाधीश से पूछिये कि गलत सूचना क्यों दी। यह तोता-मैना के किस्से से तो काम बनता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ तो जाइये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

ये गिरराज धरन रस्तोगी जो गुप्ता जी के इलेक्शन इन्चार्ज थे वही हैं या कोई और हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या "तोता-मैना" शब्दों का प्रयोग करना संसदीय है ?

श्री अध्यक्ष—

ये जिसके मुंह से निकले उसके लिये संसदीय है।

माननीय टम्ब्रेश्वर प्रसाद जी, आपका और जो उन्होंने पढ़ा उसमें अन्तर तो इतना ही है कि आप कहते हैं कि लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं हुआ और वे कहते हैं कि प्रयोग हुआ ?

*श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद—

और अन्तर है। मैंने आपसे यह निवेदन किया कि सुखलाल जी की लिखित सूचना में गड़बड़ी की गयी है। हजरतगंज लिख कर काट दिया गया है। मैंने आपको बताया कि किसी तरह की यह बात जिलाधीश महोदय से नहीं हुई कि लाउड स्पीकर वहां नहीं जा सकते। तीसरी बात मैंने बतायी कि वहां केवल ७ आदमी थे जो गिरफ्तार किये गये। यह सूचना मुझे सबसे बड़े अधिकारी से मिली है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। प्रिविलेज कमेटी में जब यह मामला जायगा तो बताऊंगा। उन्होंने रोशनुद्दौला कचेहरी तक जुलूस जाने की आज्ञा दे दी थी। उसमें हजरतगंज लिखा हुआ है और फिर काटा गया है। उस कटे हुये पर किसी अधिकारी के दस्तखत नहीं हैं। तो कैसे मान लिया जाय कि हमको हजरतगंज जाने की अनुमति नहीं दी गयी। उसके बाद कचेहरी के पास कैसरबाग का चित्र मैं आपको दिखाता हूं जहां पुलिस अधिकारी जनसंघ के झंडे को नोच रहे हैं, इस कद्र प्रेजुडिस्ट वे थे जनसंघ से (श्री टम्ब्रेश्वर प्रसाद ने हाथ में एक फोटो लेकर दिखाया)। उनको यह सूचना होते हुए कि हमको जलूस निकालने की आज्ञा मिल गयी है उन्होंने जानबूझ कर सुखलाल जी को गिरफ्तार किया और इस समय तक यह सरकार उनको गिरफ्तार किये हुए है और सदन के कार्य से वंचित किये हुए है। इसलिये आपके इंटरवेन्शन की बड़ी आवश्यकता है।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

आपके पास जिलाधीश ने दो बिरोधाभास की सूचनायें भेजीं। एक तो यह कि उन्हें जुलूस निकालने की आज्ञा दी गयी और दूसरे उन्होंने दफा १४४ को तोड़ा। तो जब जुलूस निकालने की आज्ञा दे दी गयी तो फिर दफा १४४ को तोड़ने का क्या सवाल ? इसलिये दो विरोधाभास की सूचनायें उन्होंने आपकी खिदमत में भेजीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

जिस वक्त शुरू में जुलूस निकला उस वक्त उन लोगों के पास लाउडस्पीकर था या नहीं ? अगर लाउडस्पीकर उन्होंने इस्तेमाल किया तो कचहरी तक जाने में उसका इस्तेमाल किया या नहीं ? अगर किया तो शुरू में ही उसे क्यों नहीं गैरकानूनी घोषित किया गया और शुरू में ही उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सूचना पढ़ी होगी । उसमें लिखा है कि श्री सुखलाल कह रहे थे कि हम धारा १४४ तोड़ेंगे । यह घटना उस समय हुई है जब कि उनको परमीशन मिल गई थी । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह का बयान दिया गया है, निश्चय ही गलत है, क्योंकि जब परमीशन मिल गई थी तो यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि हम १४४ दफा तोड़ेंगे । मालूम होता है कि इन दोनों बातों में विरोधाभास है और सत्य नहीं हैं । दूसरी बात यह कही गई कि उन्होंने परमीशन दे दी थी कि जिलाधीश को वह अपना मांग-पत्र दे सकेंगे । जब कचेहरी में पहुंचे तो जैसा कि तय था वहां वह नहीं मिले तो वे लोग उनके बंगले पर जा रहे थे, रास्ते में पकड़ लिये गये । लाउड स्पीकर से बोलने की बात बनाकर लिखी गई है जो नितान्त असत्य है ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि जब जलूस का आदेश मिल गया और यह स्पष्ट है कि हम सब लोग जिन्दगी भर जुलूस निकालते रहे हैं और जब तक जियेंगे निकालते रहेंगे, हमें भी रिक्शे वालों का जुलूस निकालने की परमीशन मिल गई है और हम भी अपना जुलूस निकालेंगे, तो क्या हम कहेंगे कि धारा १४४ तोड़ेंगे और श्रीमन्, आप क्या फैजाबाद में यह नारा लगायेंगे कि हम धारा १४४ तोड़ेंगे ?

*श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, जो आज्ञा मिली, उसे जहां तक मैं सुन सका, उसमें यह नहीं लिखा है कि लाउड स्पीकर की पाबन्दी है । जब उन्होंने आज्ञा दे दी तो निश्चय ही उसमें यह निहित था कि वह लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर सकते हैं । अगर लाउड स्पीकर की पाबन्दी थी तो आज्ञा में लिख देना चाहिये था । श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि आपने व्यवस्था दी है कि अगर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित होता है और उसमें कोई कमी होती है तो संशोधन कर लेते हैं । श्रीमन्, कुंवर, ज्योति प्रसाद के हथियार सस्पेन्ड किये थे, उस प्रश्न की आपने सदन में अनुमति दे दी थी । इसमें दो प्रश्न हैं । अथारिटीज का कहना यह है कि जुलूस निकालने में उन्होंने लाउड स्पीकर से नारे लगाये, इसलिये धारा १४४ भंग की । मेरा निवेदन यह है कि नौकरशाही ने परमीशन तो दे दी लेकिन अपने बचाव के लिये लाउड स्पीकर का सहारा लिया । अगर लाउड स्पीकर की पाबन्दी लगानी थी तो आज्ञा में लिख देना चाहिये था कि लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होगा । मेरा निवेदन यह है कि अभी आप अपनी व्यवस्था न दें । पहले सारे विषय का अध्ययन कर लें कि कौन-सा वरजन ठीक है, माननीय सदस्य का या सरकार का, इसके बाद व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं इसका अध्ययन कर लूं । लेकिन आपको स्वीकार नहीं हुआ । इसलिये मैं चाहता था कि व्यवस्था दे दूं ताकि आपके दिल में शक न रहे कि पूछकर कर रहा हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उग्रसेन—

हम नहीं चाहते कि आप अध्ययन न करें, आप पूर्णरूपेण अध्ययन करें।

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं जानना चाहता हूं कि १४४ धारा जो तोड़ी है और उनको गिरफ्तार किया है तो कोई मुकदमा चलेगा ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

जी हां।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं। मैं बाद में सुन लूंगा। मैं दूसरा विषय ले चुका हूं, आप बैठ जाइये, मैं सुन लूंगा।

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, जब हम बोलते हैं तो....

श्री अध्यक्ष—

इस समय मैं नहीं सुनूंगा, बाद में सुनूंगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

आपका यह कहना कि बाद में सुना जायगा, इसका क्या मतलब है ?

श्री रघुनाथसिंह—

सब को सुनेंगे तो हमें क्यों नहीं सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको सुनूंगा लेकिन अभी कुछ दूसरा विषय ले लिया है। तो माननीय कल्पनाथ सिंह की सूचना आयी है। उन्होंने कहा कि श्री नैनसिंह को सरकार के आदेश के बावजूद भी सदन की सेवा से जानबूझ कर वंचित किया गया है। माननीय कल्पनाथ सिंह मुझे मिल कर बता देंगे कि क्या तथ्य है। तब मैं कहूंगा निर्णय दूंगा।

श्री रघुनाथसिंह—

मेरा यह निवेदन है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब लखनऊ के जिलाधीश का जनसंघ को जुलूस निकालने का आदेश मिल चुका है, उसके बाद उनको दफा १४४ में गिरफ्तार जो किया गया है, उस पर वैधानिक कार्यप्रणाली के अधार पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, उस पर आपकी जानकारी और निर्णय जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं अपनी राय न दूंगा। मैं यहां जज होकर बैठा हूं।

मुख्य मन्त्री द्वारा अपने भाषण में कथित असत्य कथन करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय गयाप्रसाद जी की एक और विशेषाधिकार की सूचना है। इस सम्बन्ध में उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री के ऊपर यह आरोप लगाया है, उसे मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं --

"जैसा कि ७ फरवरी सन् ६४ को सदन में श्रीमान् की सेवा में मैंने माननीया मुख्य मंत्री श्रीमती सुचेता कृपालानी, के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी थी, इस संबंध में निवेदन है कि राज्य के परिवहन मंत्री के विरुद्ध मेरे द्वारा अपने भाषण में भ्रष्टाचार के गंभीर अभियोग की सफाई में माननीया मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में असत्य कथन का सहारा लेकर जिस प्रकार मंत्री के भ्रष्टाचार को छिपाने का अनुचित प्रयत्न किया, उससे उनके द्वारा सदन का निश्चित रूप से अवमान हुआ है।"

मैं इस संबंध में आदरणीय सदन से कुछ मौलिक बातें कहना चाहता हूं। किसी के ऊपर यह आरोप लगाना कि अमुक असत्य बात कही है इस सदन की परम्परा के विरुद्ध है। अगर कोई महानुभाव कोई आरोप लगाते हैं कि जो बात कही गयी है वह असत्य है और इस कारण से असत्य कथन किया गया है कि सदन को धोखा दें और जानबूझ कर यह असत्य बात कही है, तो उसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। जब यह कहा जाय कि किसी आदरणीय सदस्य ने जानबूझ कर सदन को धोखा देने के लिये असत्य बात कही है तो केवल इतना ही कह देना पर्याप्त नहीं है, उनको यह तथ्य देने पड़ेंगे कि इन इन तथ्यों पर व कारणों से हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि तोड़-मरोड़ कर सदन को धोखा देने के लिये यह असत्य बात कही गयी है। जब तक सूचना में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जाता कि किन-किन तथ्यों के आधार पर वह इस परिणाम पर पहुंचे हैं और चाहते हैं कि आप भी पहुंचिए, तब तक ऐसी सूचना विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं मानी जायगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको अस्वीकार किया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय मुख्य मंत्री ने जो यह कहा कि मुजफ्फर साहब की सास को जब परमि : मिला था तब वह मिनिस्टर नहीं थे, यह गलत बात है। माननीय मुख्य मंत्री ने मुजफ्फर साहब के भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास किया है।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, आप बैठ जाइए। यह विषय अब समाप्त हुआ।

"हिन्दुस्तान टाइम्स" में सदन की कार्यवाही गलत प्रतिवेदित होने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुमताज मुहम्मद खां का एक विशेषाधिकार की सूचना का प्रश्न "हिन्दुस्तान टाइम्स" के विरुद्ध है। वह इस आधार पर है कि उसमें शास्ति के संबंध में जो सूचना छापी थी उसमें यह लिखा था कि "रिप्रिमांडिंग आफ थ्री यू० पी० एम० एल० एज० इज पुट आफ"। यह "यू० पी० एम० एल० एज०" लिखा है जब कि जिनके विरुद्ध शास्ति की कार्यवाही करनी थी वह हमारे सदन के सदस्य नहीं हैं। यह गलत छपा है।

इस संबंध में पत्रकारों से मैं निवेदन अवश्य करना चाहता हूं। यह भ्रम है समाचार पत्र में कि उनको इस सदन की कार्यवाही छापने का अधिकार है। जहां तक मैंने अध्ययन किया है,

किसी को भी इस सदन की कार्यवाही छापने का अधिकार नहीं है। लेकिन जनहित की दृष्टि से यह उचित समझा जाता है कि इस आदरणीय सदन की कार्यवाही छप जाय ताकि जन-समुदाय को मालूम हो जाय कि उनके प्रतिनिधि क्या काम कर रहे हैं। इस विचार से समाचार-पत्र में यहां की कार्यवाही छापी जाती है और नियम के विरुद्ध होते हुए भी जनहित की दृष्टि से हम उसे सहन करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए समाचार पत्रों का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने उत्तरदायित्व को समझें और इस सदन की कार्यवाही को बिलकुल सही-सही तौर पर छापें। अगर वह गलती करते हैं और हम यह अनुमान लगायेंगे कि वह इस सदन के गौरव के प्रति उदासीन हैं या जो गौरव इस सदन को प्राप्त है और जो गरिमा उसे प्राप्त है, उस गौरव और गरिमा को गंभीरतापूर्वक नहीं समझ रहे हैं, तो हम मजबूर होंगे कि गलत छापने पर कुछ कार्यवाही करें। इस प्रकार की कई गलतियां हमारे सामने आ चुकी हैं। हमें विश्वास है कि हमारे समाचार-पत्र अपने उत्तरदायित्व को समझ कर गलतियां न करेंगे।

सरकार के आदेश के विरुद्ध श्री नैनसिंह को देर से कारागार से मुक्त करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, आपके सामने कल्पनाथ सिंह जी ने एक चीज रखी थी और वह रेडियोग्राम दो तारीख को गया था लेकिन ७ तारीख तक माननीय नैन सिंह नहीं छूट पाये, आपने कहा कि आप उनसे बात करेंगे तो यह चीज तो बिलकुल साफ थी, आखिरकार होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों हुआ कि पांच दिन तक.....

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे बता दूं। उसमें कोई बात नहीं है। जहां तक विशेषाधिकार की सूचना का प्रश्न है वह एक बड़ी गंभीर चीज होती है जिसमें हमारा भी दायित्व और आपका भी दायित्व है। तो वह सूचना चूंकि पूरे तौर पर ठीक-ठीक मेरी समझ में नहीं आयी इसलिये मैं चाहता था कि उनसे बातचीत कर लूं।

विशेषाधिकार के प्रश्न की जानकारी

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

मान्यवर, मेरा नम्र निवेदन है कि जो आपने व्यवस्था दी वह बहुत सुन्दर है।

श्री अध्यक्ष--

काहे के बारे में ?

श्री नेकराम शर्मा--

माननीय गया प्रसाद जी ने जो प्रश्न उठाया था उसके ऊपर, मान्यवर, यह बिलकुल सही है कि प्रश्न उठाने के साथ-साथ उसके कारण होने चाहिये।

श्रीअध्यक्ष--

वह तो अब समाप्त हो गया।

श्री नेकराम शर्मा--

मेरा एक निवेदन यह है कि आपने जो व्यवस्था दी वह बिलकुल सही है, लेकिन इस सदन में जो कारण थे वह कह दिये गये थे और माननीय गया प्रसाद जी के पास....

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) ---

आपने इसी सवाल पर हमको रोका और एक दूसरे सदस्य को इसी पर जान बूझकर मौका दे रहे हैं .....

श्री अध्यक्ष--

मैं नहीं दूंगा। प्लीज, आप बैठ जायं।

श्री सुखलाल, जनसंघ के अन्य कार्यकर्त्ताओं तथा किसानों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक कामरोको प्रस्ताव माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी का आया है, जिसमें यह कहा गया है कि "श्री खुबलाल, एम० एल० ए०, राज्य जनसंघ के उपाध्यक्ष एवं लखनऊ के भूतपूर्व नगर प्रमुख, श्री गिर्राज धरण रस्तोगी तथा लखनऊ जनसंघ संगठन मन्त्री, श्री सत्यपालसिंह, सहित बहुत से किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया।" मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है। इसका कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

आप तो कोई बात स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। अभी आपके सामने माननीय मन्त्री जी ने गलतबयानी की है जिसको आपने स्वीकार कर लिया है....

श्री अध्यक्ष--

मैंने अभी तक अपना कोई निर्णय उसके ऊपर नहीं दिया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद --

माननीय मन्त्री जी उन लोगों के ऊपर १४४ का मुकदमा चलाने वाले हैं। वह सब लोग एक आज्ञा के अन्दर अपना जलूस निकाल रहे थे। अब उनके ऊपर एक मुकदमा चलने वाला है। अब उसके विषय में और क्या हो सकता है सिवाय इसके कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में आपके सामने उसको प्रस्तुत किया जाय?

श्री अध्यक्ष--

अगर यह प्रश्न है तो सीधी बात यह है कि हमारे विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में हमारी और इंग्लैन्ड की परम्परायें समान हैं। वह यह है कि गैरहाजिरी कानून में क्रिमिनल आफेन्स जिसको कहते हैं, जहां पर फौजदारी से सम्बन्धित कोई काम होता है, उसमें गिरफ्तार हो तो यह समझा जाता है कि चूंकि देश और प्रदेश, कामनवेल्थ की राज्यों की सुरक्षा, सिक्योरिटी, सर्वोपरि है---अतः इस दृष्टि से क्रिमिनल आफेन्स के सम्बन्ध में कोई प्रश्न कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं आ सकता है। यह निश्चित है कि १४४ के सिलसिले में गिरफ्तारी हुई। अगर वह गिरफ्तारी गलत तौर पर हुई तो अदालत में जो कार्यवाही होगी वहां पर जवाब दिया जायगा। यहां सदन में फौजदारी के सिलसिले में गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता है, इस वास्ते कि वह सिर्फ सुरक्षा के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद --

आप मेरी बात सुन लें। आप फौजदारी की बात न करें। आपने उस आज्ञा पत्र को मान लिया है। १५० लोगों पर लाउड स्पीकर के प्रयोग का चार्ज लगाया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)। [* * *]

हमीरपुर जिलान्तर्गत चरखारी के बाजार को लूटने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं नियम ५२ की सूचना दे रहा हूं। माननीय रियासत हुसैन जी की सूचना को मैंने स्वीकार किया है जो मैं पढ़ कर सुना रहा हूं।

(श्री शारदाभक्त सिंह के खड़े होने पर)

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री शरादाभक्तसिंह (जिला हरदोई) —

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, आप बैठ जाइये। मैंने दूसरा आइटम ले लिया है।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

(श्री छत्रपति अम्बेश के खड़े होने पर)

अम्बेश जी, मैं एक चीज ले रहा हूं और बार-बार आप बीच में खड़े हो जाते हैं। आप बैठिये। माननीय रियासत हुसैन जी ने एक नियम ५२ की सूचना दी थी, जो मैं पढ़ रहा हूं।

श्री उग्रसेन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अन्याय है। सैकड़ों किसान जाड़े-पाले में यहां आये थे और उनके साथ यह हरगोविन्द सिंह अन्याय करते हैं।

(सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सभा त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय रियासत हुसैन जी ने जो नियम ५२ की सूचना दी थी उसे मैं पढ़ कर सुना रहा हूं :—

"जिला हमीरपुर के हेडक्वार्टर चरखारी, जिसकी आबादी तकरीबन १५,००० की है, वहां का बाजार दिनांक ११ फरवरी, १९६४ को दिन-दहाड़े तकरीबन सौ आदमियों ने जो लाठी, बल्लम और दीगर हथियारों से मुसल्लह थे लूट लिया। प्रदेश की तथा उस इलाके की खासतौर से खाद्यान्न की कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं और उस इलाके में गेंहूं सेर ६ छटांक, चना १ सेर ५ छटांक फी रुपये बिक रहा है। रबी और खरीफ की फसलों को बारिश की कमी तथा बर्फ के पड़ने के कारण बहुत नुकसान पहुंचा है। चरखारी के बाजार के लूट जाने से लगभग १ लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इस घटना के कारण जिला हमीरपुर तथा तमाम प्रदेश की जनता में बहुत बेचैनी और सरकार के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न है।"

इस पर माननीय खाद्य मन्त्री जी कब बयान देंगे ?

[× × ×] माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी) --

कल दे दूंगा।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर) ---

श्रीमन्, यह भूखे लोगों का सवाल है ....

श्री अध्यक्ष---

कल आप पूंछ लें, कल के लिये यह रखा जायेगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर) ---

यह सारे प्रान्त के बारे में कल स्टेटमेंट होगा ?

श्री अध्यक्ष--

अब कल बयान आयेगा, देख लीजियेगा। रोज तो बयान आते हैं।

प्रदेश में शीतलहर आदि से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

यह स्टेटमेंट जो बटा है इसको पढ़ा हुआ समझा जायेगा और यह प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनेगा।

*माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन) ---

जैसा हम सभी को ज्ञात है, इस वर्ष जनवरी के मध्य से लेकर पन्द्रह-बीस दिनों तक प्रदेश एक तीव्र शीत लहर से ग्रस्त रहा और साथ में कुछ क्षेत्रों में कभी कभी पाला भी पड़ा। शीत लहर निस्संदेह अत्यन्त तीव्र थी और हम सभी प्रदेश की फसलों और निवासियों पर इसके सम्भावित कुप्रभाव के विषय में चिन्तित थे। मुझे सदन को यह सूचित करते हुये खेद है कि प्रदेश में इस शीत लहर के प्रकोप से ४ मनुष्यों के प्राण गये। उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करना अपना प्रथम कर्त्तव्य समझता हूं। यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि शीत लहर से ४६ पशु भी मर गये।

सूखा तथा पाले से खड़ी फसलों को क्षति पहुंची है। फसलों की क्षति का इस समय सही मूल्यांकन करना कठिन है। फिर भी राजस्व अधिकारियों ने, जो इस अवधि में लगातार प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करते रहे, मोटे तौर पर अनुमान लगाये हैं जो सदन की सूचना के लिये संलग्न विवरण-पत्र में संकलित हैं। निर्धारित नियमों के अनुसार राजस्व अधिकारियों द्वारा वास्तविक क्षति का मूल्यांकन किया जा रहा है और जहां आवश्यक होगा, वहां रबी की किस्त में जो १५ अप्रैल, १९६४ के पश्चात् देय होगी, छूट दी जावेगी।

क्षति के विवरण-पत्र से यह प्रकट होता है कि सबसे अधिक क्षति अरहर की फसल को पहुंची है। मोटे तौर पर अरहर इस समय खड़ी फसलों के क्षेत्रफल के ६ प्रतिशत भाग में है। अन्य फसलों जैसे मटर, चना, आलू, सरसों तथा सब्जी को भी क्षति पहुंची है, किन्तु उतनी नहीं जितनी अरहर को। प्रभावित क्षेत्रों का अन्दाजा विवरण-पत्र में दी गई सूचना से लगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखने योग्य है कि पाले से हुई क्षति की मात्रा में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में ही अन्तर नहीं पड़ता वरन् एक ही क्षेत्र के भिन्न-भिन्न खेतों में भी उनकी दशा के अनुसार अन्तर पड़ जाता है। साधारणतया सिंचित खेतों को उसी क्षेत्र के असिंचित खेतों की अपेक्षा

---

*अध्यक्ष की आज्ञा से पढ़ा हुआ माना गया।

बहुत कम हानि होती है। क्षति के सही मूल्यांकन के लिये प्रभावित क्षेत्रों की विस्तृत पड़ताल की आवश्यकता होती है और यह कार्य राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

मैं यहां यह भी कह दूं कि सन् १९६१–६२ में भी प्रदेश में तीव्र शीत लहर से क्षति पहुंची थी। उस वर्ष पूरे प्रदेश में अरहर को ५६ प्रतिशत और चने को १७ प्रतिशत क्षति पहुंची थी। मुझे आशा है कि सदन मुझसे इस बात में सहमत होगा कि ऐसी स्थिति में कुछ आत्म-नियन्त्रण आवश्यक है और कोई ऐसी बात न कही जाय जिससे प्रभावित व्यक्तियों का मनोबल गिरे और जन-साधारण की समस्यायें और बढ़ जायें।

शासन ने सदैव, उन किसानों के प्रति, जिनकी फसलें दैवी आपदाओं से क्षतिग्रस्त हो गई हों, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई है और फसलों को हुई क्षति का सही-सही मूल्यांकन करने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है जिससे किसानों को नियमानुकूल मालगुजारी में छूट मिल सके। सरकार द्वारा अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत अन्य सहायता कार्य भी किये जाते हैं। प्रदेश में ९१५ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई हैं तथा ४३५ और दुकानें निकट भविष्य में खोलने का प्रस्ताव है। लोगों को, जहां भी आवश्यक समझा गया, तकावी ऋण देकर सहायता की गई है। इसके लिये मण्डलों के आयुक्तों को धनराशियां दी जा चुकी हैं और अतिरिक्त धनराशि की मांगों पर सरकार द्वारा बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाता है। असहायों को अहेतुक सहायता दी जाती है। जब प्रदेश में शीत लहर का प्रकोप रहा उस समय कुछ जिलों में आश्रयस्थलों का और जलाने की लकड़ी का भी प्रबन्ध किया गया। प्रत्येक जिलाधीश के पास कुछ धनराशि दैवी आपदा सहायता कोष में रहती है। वह इस कोष में से और सरकार द्वारा दी गई धनराशि से लोगों की सहायता की आवश्यक मांगों को पूरा करते हैं।

जो क्षेत्र खरीफ में बाढ़ से प्रभावित हुये थे और पुनः सूखे और पाले से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ऐसे क्षेत्रों में मालगुजारी की बकाया की वसूली को स्थगित कर देने का विचार है। इन क्षेत्रों में तकावी की वसूली जिलाधीशों द्वारा या तो स्थगित की जा चुकी है या की जा रही है। कुछ जिलों में टेस्ट वर्क स्वीकृत किये जा चुके हैं। ये कदम किसानों को सूखे और पाले से हुये कुप्रभावों का सामना करने में सहायता करने के दृष्टि-कोण से लिये गये हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाज के सभी वर्गों के और सरकार के मिले-जुले प्रयत्नों से हम इस आपदा पर विजय पाने में समर्थ होंगे।

उत्तर प्रदेश में जनवरी-फरवरी, १९६४ में शीतलहर एवं पाले के कारण हुई हानि का विवरण-पत्र

क्रम-संख्या	जिले का नाम	प्रभावित तहसील का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	फसलों को हानि का हवाला	मृत्यु	
					मनुष्य	पशु
१	२	३	४	५	६	७
	मेरठ मण्डल —					
१	देहरादून ..	चकराता ..	९०	गेहूं .. २५ न० पै०	..	१०
		सदर ..	१३९	गन्ना .. ३७ ,,		
				चना .. ६२ ,,		
			२२९	सरसों .. ६२ ,,		
				गेहूं-चना .. ४३ ,,		
				जौ, मसूर .. २५ ,,		
				आलू .. ३१ ,,		
				मटर .. ६२ ,,		
				करमकल्ला .. २५ ,,		
२	सहारनपुर ..		२,१६३	अरहर .. ४० से १०० न० पै०	..	..
				गेहूं, गन्ना .. १२ से ४० ,,		
				मटर .. २५ से ४० ,,		
				चना .. २५ से ६० ,,		
				मसूर .. १० से ५० ,,		
				जौ .. १५ से ४० ,,		
				तिलहन .. २५ से १०० ,,		
				सब्जी .. ३७ से ५० ,,		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३	मुजफ्फरनगर	..	सदर जानसठ कैराना बुढाना			गेहूं, चना, मटर अरहर, गन्ना, आलू, अन्य सब्जी, असिंचित क्षेत्रों में।	६ से ३७ न० पै०	..	..	..
४	मेरठ	..	सदर	..	२२४	गेहूं, सरसों, मटर ..	..	..	२	..
			मवाना	..	३०४	आलू ..	२५ से ३० न० पै०			
			हापुड़	..	३२६	चना, जौ ..	१२ न० पै०			
			सरधना	..	२०८	अरहर ..	५० न० पै० से अधिक			
			गाजियाबाद	..	३४२	सब्जी ..	२५ न० पै०			
			बागपत	..	२५१					
					१,६५५					
५	बुलन्दशहर	..	चारों तहसीलें	..	१,५५३	अरहर, मटर ..	५० से १०० न० पै०	..	..	..
						सरसों ..				
						सब्जी, विशेषतया आलू	६० न० पै०			
	आगरा मन्डल—									
६	अलीगढ़	..		..	१,७७४	अरहर ..	६० न० पै०	..	..	..
						मटर ..	२५ ,,			
						सब्जी ..	४० ,,			
						आलू ..	२५ ,,			
७	मथुरा	..	सदर		९९९	गेहूं, जौ ..	१२ से २५ न० पै०	..	..	..
			छाता	..	..	चना ..	२५ से ६० न० पै०			
			माठ	..	..	गेहूं, चना ..	३७ न० पै०			
			सादाबाद	..		जौ-चना ..	२५ से ५० न० पै			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	प्रभावित तहसील का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	फसलों को हानि का हवाला		मृत्यु	
						मनुष्य	पशु
१	२	३	४	५		६	७
				मटर	.. २५ से ६० न० पै०		
				तिलहन	.. २५ से १०० न० पै०		
				अरहर	.. ५० से १०० न० पै०		
				जायद	.. २५ से ४० न० पै०		
				सब्जियां	.. २५ से १०० न० पै०		
८	आगरा ..	आगरा ..	१,१८२	अरहर	.. ७५ से १०० न० पै०	..	..
		इतमादपुर ..		चना	.. ५० से १०० न० पै०		
		फिरोजाबाद ..		मटर	.. १५ से ७५ न० पै०		
		बाह ..		गेहूं	.. १२ से ३७ न० पै०		
		सैरागढ़ ..	..	जौ	.. १२ से ३७ न० पै०		
		किरावली ..	..	सरसों	.. २५ से ५० न० पै०		
				मिश्रित फसलें	.. २५ से ५० न० पै०		
				आलू	.. १५ से ६२ न० पै०		
				सब्जियां	.. ३७ से ७५ न० पै०	१	
९	मैनपुरी ..	पाचों तहसीलें ..	१,१७२	अरहर, सरसों, मटर, आलू, चना, सब्जियां	६ से ७५ न० पै०		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१०	एटा	..	चारों तहसीलें	..	१,४१०	अरहर, मटर, मसूर, सरसों, तम्बाकू, गेहूं, जौ, चना	.. १२ से ७५ न० पै०	..	..	..
						सब्जियां	.. २५ से ५० न० पै०			
	रुहेलखंड मन्डल :—									
११	बरेली	..	सदर	..	६०३	अरहर	.. ३७ से ९० न० पै०	..	..	..
			बहेड़ी	..	४५५	मटर	.. २५ से ३७ न० पै०			
			आंवला	..	३०७	तम्बाकू	.. २५ से ७५ न० पै०			
			फरीदपुर	..	३८८	तिलहन	.. ३७ न० पै०			
			नवाबगंज	..	२४७	गेहूं	१२ से २५ न० पै०			
					————	चना	.. २५ न० पै०			
					२,०००	जौ	.. ,, ,,			
					————	मसूर	.. ,, ,,			
						सरसों	.. ७५ न० पै०			
						सब्जियां व आलू	.. २५ से ७५ न० पै०			
१२	बिजनौर	..	जिले का अधिकांश भाग			अरहर, मटर, सरसों	६२ से ७५ न० पै०	..	..	..
						अन्य रबी फसलें	.. २५ न० पै०			
						सब्जियां भी प्रभावित हुईं				
१३	बदायूं	..		..	२,०९७	अरहर, सरसों	.. २५ से ७५ न० पै०	..	..	..
						तिलहन, मटर, तम्बाकू, टमाटर, गेहूं, जौ, चना एवं अन्य सब्जियां	२५ से ५० न० पै०			

क्रम-संख्या	जिले का नाम	प्रभावित तहसील का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	फसलों को हानि का हवाला		मृत्यु	
						मनुष्य	पशु
१	२	३	४	५		६	७
१४	मुरादाबाद ..	बिलारी ..	२,९७८	आलू ..	२५ नये पैसे ..	..	..
		मुरादाबाद ..	..	अरहर ..	२५ से ७५ न० पै०		
		सम्भल ..		चना, गेहूं-चना	२५ न० पै०		
		अमरोहा ..		गेहूं-मटर, जौ, सब्जियां			
		हसनपुर ..	..	आलू, टमाटर			
		ठाकुरद्वारा					
१५	शाहजहांपुर ..	पवायां ..	८१०	गेहूं, चना, जौ	५० से ६० न० पै० (सिंचित क्षेत्रों में)।	..	..
		जलालाबाद ..	४४०	मटर			
		तिलहर ..	६३१	अरहर, तिलहन ..	७५ न० पै० (असिंचित क्षेत्रों में)	..	
		सदर ..	५४०	गेहूं, जौ ..	२५ से ४० न० पै० (असिंचित क्षेत्रों में)।		
				सब्जियां ..	६० न० पै० (असिंचित क्षेत्रों में)।		
			२,४२१				
१६	पीलीभीत ..	सदर ..	१९१	अरहर ..	५० से ७५ न० पै० ..	.	.
		बिसलपुर ..	४७५	गेहूं, चना	१२ से ५० न० पै०		
		पूरनपुर ..	३५१	जौ, मसूर, मटर			
			१,०१७				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

					आलू, सब्जियां	..	२५ से ७५ न० पै०			
					लाही, अलसी	..	२५ से ५० न० पै०			
					सरसों	..	१२ से ८० न० पै०			
१७	रामपुर	..	सभी तहसीलें	..		अरहर, मटर, सरसों	.. ६२ न० पै० तक	..	..	
					सब्जियां	..	५० न० पै० तक			
	इलाहाबाद मंडल—									
१८	फर्रुखाबाद	..	चारों तहसीलें	..	१,७३१	गेहूं, जौ, चना	.. २५ न० पै०	..	..	..
						मटर, तम्बाकू	.. २५ से ३७ न० पै०			
						सरसों, अरहर	.. २५ से ७५ न० पै०			
						सब्जियां	.. २५ न० पै०			
१९	इटावा	..	सदर	..	१,२७६	अरहर	.. ५० से ७५ न० पै०	..	..	..
			भर्थना	..		चना, मटर, तिलहन, सब्जियां, बेझर	५० न० पै०	..		
			विधुना							
			औरैया	..						
२०	कानपुर	..	सदर	..	३६०	अरहर	.. १०० न० पै०	..	..	..
						लाही, बेझर	.. ७५ न० पै०			
						चना	.. ६२ न० पै०			
						आलू	.. ३७ न० पै०			
						गेहूं	.. २५ न० पै०			
			अकबरपुर	..	२९७	अरहर, चना, लाही	७५ न० पै०	..	..	..
						मटर	.. ६० न० पै०			
						आलू	.. ४० ,,			
						बेझर	.. २५ ,,			
						गेहूं, जौ	.. २० ,,			
			घाटमपुर	..	३२२	अरहर	.. १०० ,,			
						चना, मटर, मसूर	.. ६२ ,,			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	प्रभावित तहसील का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	फसलों को हानि का हवाला			मृत्यु	
							मनुष्य	पशु
१	२	३	४	५			६	७
				लाही	..	३७ न० पै०		
				बेझर, सब्जियां	..	२५ ,,		
		बिल्हौर	.. ४१९	अरहर	..	७५ ,,		
				चना, आलू, मटर,	..	५० ,,		
				लाही	..	४० ,,		
		भोगनीपुर	.. ३४२	अरहर, चना, मटर, आलू।		४० ,,		
		डेरापुर	.. ३४६	अरहर	..	७५ ,,		
			----------	चना, बेझर	..	६० ,,		
			२,०८६	मटर, लाही, मटर,	..	४० ,,		
			----------	आलू	..	२५ ,,		
२१	फतेहपुर	.. सदर	.. १,५५८	अरहर	..	४० से १०० न० पै०	..	..
		बिंदकी	.. ..	मटर	..	२५ से ७५ न० पै०		
		खागा	.. ..	चना	..	३० से ७५ न० पै०		
				गेहूं	..	२० से ५० न० प०		
				जौ	..	२० से ७५ न० पै०		
				तिलहन	..	२५ से ७५ न० पै०		
				आलू व अन्य सब्जियां		२५ से ७५ न० पै०		
२२	इलाहाबाद	.. सब ८–तहसीलें	.. प्रायः सभी ग्राम	अरहर	..	७५ से ८५ न० पै०	..	.. ..
				मटर, चना	..	६२ से ९० न० पै०		

उत्तर प्रदेश विधान मंडल

					सरसों	..	८५ न० पै०
					जौ, गेहूं	..	३७ से ६० न० पै०
					सब्जियों को भी अधिक क्षति पहुंची।		
	झांसी मण्डल—						
२३	बांदा	..	सदर	..	१३०	चना, अरहर,	२५ से १०० न० पै०
			बबेरू	..	६७	मसूर, गेहूं, चना,	
			मऊ	..	८	सरसों	
			कर्बी	..	१२२		
			नरायनी	..	१३५	सब्जियां व तम्बाकू को भी क्षति पहुंची	
					४५२		
२४	हमीरपुर	..	सदर	..	१९४	अरहर,	.. २५ से १०० न० पै०
			भदाहा	..	१०९	चना,	.. ५० न० पै०
			महोबा	..	२४	मटर, तम्बाकू	२५ न० पै०
			चरखारी	..	२२६	रेंड़ी।	
			रथ	..	२२२		
					७७५		
२५	झांसी	..	सदर	..	४६	चना, मसूर, अरहर,	१० से २५ न० पै०
			मोंठ	..	२६९	अलसी	
			मऊरानीपुर	..	१७४	मटर	
			ललितपुर	..	२४९	आलू, पान तम्बाकू,	२५ न० पै०
			महरौनी	..	३४०		
			गौरोथा	..	१६४		
					१,२४२		

क्रम-संख्या	जिले का नाम	प्रभावित तहसील का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	फसलों को हानि का हवाला			मृत्यु	
							मनुष्य	पशु
१	२	३	४	५			६	७
२६	जालौन ..	उरई ..	१,०१९	अरहर	..	१२ से ७५ न० पै०	..	..
		जालौन ..	..	चना	..	१० से ८७ न० पै०		
		कालपी ..	..	मटर	..	१० से ३७ न० पै०		
		कोंच ..		अलसी	..	२ से १२ न० पै०		
				सरसों	..	१२ से ५० न० पै०		
				गेहूं, चना	..	१२ से ५० न० पै०		
				मसूर	..	१२ से ३७ न० पै०		
				लाही	..	१९ से २५ न० पै०		
				जौ-चना	..	१२ से ५० न० पै०		
				सब्जियां	..	२ से ७५ न० पै०		
				रेंड़ी	..	२५ से ३७ न० पै०		
	वाराणसी मण्डल--							
२७	वाराणसी ..	सम्पूर्ण जिला ..	२,४४१	मटर, अरहर, आलू, चना, शकरकन्द ।		६ से ३० न० पै०	..	..
२८	मिर्जापुर ..	सदर ..	१,२८५	गेहूं, चना, जौ ..			..	..
		चुनार ..	२२९	बेझर, मटर, मसूर, अलसी, सरसों सब्जियां		२५ से ७५ न० पै०		
		राबर्ट्सगंज ..	(सूचना अप्राप्त)।					
			१,५१४					

२९	जौनपुर	..	सदर	..	८५९	गेहूं, जौ	..	१२ से २५ न० पै०	..	..	..
			मड़ियाहूं	..	७३०	चना	..	१२ से ७५ न० पै०			
			मछलीशहर	..	२४१	अरहर, मटर	..	२५ से ७५ न० पै०			
			शाहगंज	..	१,२२६	सब्जियां व	..				
			केराकत	..	८४१	आलू को साधारण क्षति पहुंची।					
					३,८९७						
३०	गाजीपुर	..	सभी तहसील	..	३,४०९	मटर, अरहर, मसूर, चना, शकरकन्द, मिर्च।		१९ से ३७ न० पै०	..	..	..
३१	बलिया	..	सदर	..	..	मटर, अरहर, गेहूं, जौ, चना, मसूर।		१२ से ५० न० पै०	..	..	..
			बांसडीह		..						
			रसरा			सब्जियां	..	५० न० पै०			
	गोरखपुर मण्डल—										
३२	बस्ती	..	सभी ६ तहसील		मटर ..	मटर	..	४० से ७५ न० पै०	..	..	..
					सभी ग्राम	अरहर	..	४० से ७५ न० पै०			
						गेहूं	..	२५ से ६० न० पै०			
						जौ	..	२५ से ५० न० पै०			
						तिलहन		५० से ७५ न० पै०			
						चना	..	२५ से ५० न० पै०			
						टमाटर	..	२५ से ६० न० पै०			
						आलू	..	२० से ५० न० पै०			
						पान	..	५० से ७५ न० पै०			
३३	आजमगढ़	..	सभी ६ तहसील	..	५,६५४	आलू, मटर, अरहर, चना इत्यादि।		१२ से ३० न० पै०	..	..	..
						अन्य रबी की फसलें	..	१२ नये पैसे से कम			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	प्रभावित तहसील का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	फसलों को हानि का हवाला		मृत्यु	
						मनुष्य	पशु
१	२	३	४	५		६	७
३४	गोरखपुर ..	फरेंदा ..	४,६९०	सभी रबी की फसलें	१० से ७५ न० पै०	.. ..	..
		बांसगांव ..	..	अरहर, केला, सब्जियां	.. ७५ न० पै०		
		सदर ..	..				
		महराजगंज ..	..				
३५	देवरिया ..	सलीमपुर ..	३,८१५	गेहूं, जौ ..	१२ से ५० न० पै०	.. ..	..
		देवरिया ..	..	अरहर, मटर	१२ से ७५ न० पै०		
		हाटा ..		आलू, टमाटर, बैगन..	५० न० पै० तक		
		पड़रौना					
	कुमायूं मण्डल--						
३६	अल्मोड़ा ..	..	..	खड़ी फसलों को अधिक से अधिक २५ नये पैसे की क्षति पहुंची।		..	..
	लखनऊ मण्डल--						
३७	राय बरेली ..	सभी तहसील ..	१,८१७	अरहर ..	५० से ७५ न० पै०	.. ..	..
				मटर, चना, सरसों, सब्जियां।	३७ से ७५ न० पै०		
				गेहूं, जौ	बुरी तरह से प्रभावित नहीं।		
३८	सीतापुर ..	सभी तहसील ..	२,३७२	अरहर ..	७५ से १०० न० पै०	.. ..	६
				चना ..	५० से ७५ न० पै०		
				मटर ..	७५ न० पै०		
				सरसों ..	७५ न० पै०		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

					गेहूं, जौ	..	२५ से ५० न० पै०		
					सब्जियां	..	५० से ७५ न० पै०		
३९	उन्नाव	..	सभी तहसील ..	१,७८९	अरहर	..	९० से १०० न० पै० ..	..	..
					चना, गेहूं	..	३७ से ५० न० पै० (सिंचित क्षेत्रों में)।		
					जौ, बेझर	..	६० से ५० न० पै० (असिंचित क्षेत्रों में)।		
					आलू	..	७५ न० पै०		
४०	हरदोई	..	सभी तहसील	२,०६१	गेहूं, जौ, अरहर, सरसों, मटर, मसूर, चना, गेहूं-चना, गेहूं-जौ,		५० से १०० न० पै०	..	..
					आलू	..	६० न० पै० ऊपर		
४१	लखनऊ	..	सभी ३ तहसील ..	९६१	अरहर, मटर,	..	७५ से १०० न० पै० ..	..	..
					चना	..	६० से १०० न० पै०		
					गेहूं	..	५० से ७० न० पै०		
					आलू	..	३० से ६० न० पै०		
					जौ, गेहूं-जौ	..	५० से ७० न० पै०		
							आम का बौर सूख गया।		
४२	खीरी	...	सभी ३ तहसील	१,२००	अरहर मटर, सरसों, आलू एवं सब्जियां		५० से १०० न० पै०	..	३०
					अन्य फसलें	..	३० से ५० न० पै०		
	फैजाबाद मण्डल–								
४३	फैजाबाद	..	सदर ..	..	चना मटर, अरहर	..	३७ से ६२ न० पै० ..	..	..
			बीकापुर ..	..	गेहूं, जौ	..	२५ से २६ न० पै०		
			अकबरपुर ..	..	सब्जियां	..	३७ से ५० न० पै०		
			टांडा						

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	प्रभावित तहसील का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	फसलों को हानि का हवाला		मृत्यु	
						मनुष्य	पशु
१	२	३	४	५		६	७
४४	गोंडा ..	बलरामपुर ..	२,८३२	अरहर ..	५० से १०० न० पै०	१	..
		उतरौला ..	..	गेहूं, जौ, चना ..	२५ से ७५ न० पै०		
		सदर ..	..	मटर ..	४० से १०० न० पै०		
		तरबगंज ..	..	सरसों तथा अन्य फसलें।	२५ से १०० न० पै०		
४५	बहराइच ..	सदर ..	१,९०३	अरहर ..	६० से १०० न० पै०	..	..
		नानपारा ..	..	गेहूं ..	४० से ७५ न० पै०		
		कैसरगंज ..	..	जौ ..	४० से ६० न० पै०		
				चना ..	४० से ७५ न० पै०		
				मटर ..	६० से १०० न० पै०		
				तिलहन ..	२५ से ६० न० पै०		
				आलू ..	२५ से ६० न० पै०		
				टमाटर ..	४० से १०० न० पै०		
				मसूर ..	२५ से ७५ न० पै०		
				अन्य फसलें। ..	२५ से ६० न० पै०		
४६	सुल्तानपुर ..	सदर ..	८५९	गेहूं, जौ ..		..	..
		अमेठी ..	४६१	मिश्रित गेहूं ..	५० से १०० न० पै०		
		कादीपुर ..	७८३	गेहूं, जौ ..			
		मुसाफिरखाना ..	४२६	मिश्रित जौ			
			————	अरहर, तिलहन			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

				२,५२९	मटर तथा चना	..	६० से २०० न० पै०		
					अन्य	..	५० से २०० न० पै०		
					सब्जियां	..	६० से ७५ न० पै०		
४७	प्रतापगढ़	..	सदर	.. ७०३	अरहर, मटर				
			कुन्डा	.. ७१२	चना, गेहूं	..	७५ न० पै० तथा अधिक		
			पट्टी	.. ८२७	बेझर	..			
					जौ, तथा अन्य फसलें		५० से ७५ न० पै०		
				२,२४२					
					सब्जियां	..	५० से ७५ न० पै०		
४८	बाराबंकी	..	रामसनेहीघाट	.. २,०९२	मटर	..	३० से १०० न० पै०	..	.. ..
			फतेहपुर	.. चना,	चना, अरहर	..	२५ से १०० न० पै०		
			हैदरगढ़	.. ..	गेहूं	..	२५ से ६० न० पै०		
			नवाबगंज	..	जौ-चना मिश्रित	..	२५ से ७५ न० पै०		
					गेहूं-जौ मिश्रित	..	२५ से ६० न० पै०		
					जौ	..	१५ से ६० न० पै०		
					बेझर	..	२५ से ६० न० पै०		
					अफीम	..	२५ से ४० न० पै०		
					अन्य	..	२५ से ६० न० पै०		
					आलू	..	२५ से ७५ न० पै०		
					बैंगन व टमाटर	..	६०न० पै० (लगभग)		
					प्याज	..	५० नये पैसे से कम	..	
	उत्तराखंड मण्डल :								
४९	उत्तरकाशी	..	..	..	केवल एक तहसील में रुपये में २५ नये पैसे की सामान्य			..	..
			कुल योग	.. ७६,४०९				४	४६

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

यह स्टेटमेंट जो सदन में बटा है इसको देखने से प्रतीत होता है कि पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर पाले से फसल को क्षति पहुंची है। चने आदि की फसल तो पानी न बरसने से पहले ही खराब थी, इस पाले से और भी खराब हो गई है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि सरकार विचार कर रही है कि लगान की वसूली स्थगित कर दी जाय। कुछ दूकानें खोलने पर भी सरकार विचार कर रही है। तो मैं जानना यह चाहता हूं कि क्या माननीय राजस्व मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि इस समय वे पूरे प्रदेश में लगान की वसूली स्थगित कर देंगे और जहां पर आठ आने से अधिक का नुकसान हुआ है वहां लगान माफ कर देंगे तथा हर न्याय पंचायत के अन्दर सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की व्यवस्था करेंगे और वहां टेस्ट वर्क चालू करवा देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैं माननीय सदन की इत्तला के लिये अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार भरसक प्रयत्नशील है कि किसानों की हम मदद करें और मेरा निवेदन है कि सभी दलों के लोग भी इसमें हमको अपना सहयोग दें। जहां तक मालगुजारी के स्थगन का सवाल है, जहां पर बाढ़, सूखा आदि पहले आया है और अब पाले से नुकसान हुआ है वहां पर तो हम जरूर पोस्टपोन कर देंगे, लेकिन जहां पर खरीफ की फसल अच्छी हो गयी है, वहां पर भी पोस्टपोन करना किसी तरह से जस्टीफाइड नहीं होगा। जहां पर रबी और खरीफ दोनों फसलें खराब हुई हैं, ओले आदि के कारण भी, वहां हम पोस्टपोन कर देंगे।

श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, जो विधायक बस्ती जिले से आते हैं उन्होंने अपने यहां की हालत देखकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट लिखकर भी दिया था कि वहां पर गेंहूं, जिसमें ६० नये पैसे का नुकसान हुआ है, को छोड़कर बाकी १६ आने का नुकसान है जब कि इस रिपोर्ट में वहां पर नुकसान इससे कम दिखाया गया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अभी तो रफ स्टेटमेंट बनाया गया है। एक्युरेट फिगर्स अभी नही आ पायी हैं। हम समझते हैं कि हमारे मित्रों को शिकायत है। अभी हम अन्दाज लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हमारे पास फाइनल रिपोर्ट आ जायेगी तो हम सदन की आज्ञा का पालन करेंगे। जो इस समय हम कर सकते थे वह हमने किया है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो आंकड़े दिये गये हैं वह अलीगढ़ के बारे में बिलकुल गलत हैं। अलीगढ़ की तो मैं जानता हूं कि वहां पर आलू-अरहर और मटर की फसल १०० प्रतिशत मारी गयी है। क्या मंत्री जी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, श्री रामकुमार शास्त्री जी को अलीगढ़ का दौरा करने के लिये भेजेंगे जिससे वास्तविकता मालूम पड़े ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

उनको हम दौड़ायेंगे लेकिन ४८ जिलों में कहां तक दौड़ायेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आंकड़े सही हो जायं।

श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)---

जो आंकड़े माननीय मंत्री जी ने बहराइच के बारे में दिये हैं, क्या मंत्री जी उनका आधार बतायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

माल का महकमा है ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आखीर पैरा में जो जवाब दिया गया है कि ६ क्षेत्र बाढ़ से भी प्रभावित हो गये थे और अब सूखा और पाले से भी प्रभावित हुये हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे क्षेत्रों में मालगुजारी और बकाया की वसूली को स्थगित करने का विचार है, तो क्या स्थगन के आदेश दे दिये गये हैं या अभी विचार ही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कलेक्टर को पहले ही आदेश दे दिये गये हैं कि जो वे मुनासिब समझें वे करें ।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

जहां तक बनारस का सम्बन्ध है रिपोर्ट में ६ पैसे से ३० पैसे तक का नुकसान बताया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की रिपोर्ट करने वाले कौन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

माल के आफीसरान करते हैं। कलेक्टर को भी आदेश है । एस० डी० ओ० तथा तहसीलदार मौके पर जाते हैं ।

श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि माल के महकमें वाले तमाम जमीन को ही देखते हैं कि कितनी में फसल है और कितनी में नहीं है ? क्योंकि काश्तकार रोटेशन से काश्त करता है इसलिये इस हिसाब से जो नुकसान होता है उसका ५० प्रतिशत ही दिखाया जाता है और शिड्यूल के मुताबिक ५० फीसदी नुकसान पर छूट दी जाती है और उसके कम पर नहीं । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसी प्रकार से छूट दी जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमारे जो रूल्स हैं वे सभी जानते हैं, हम बेकायदा काम नहीं करते ।

श्री रामअधीनसिंह (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव मानने की कृपा करेगी चूंकि अधिकारियों द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं वे भ्रामक हैं इसलिये इस काम के लिये मंत्रि-मंडलीय स्तर पर जांच करा कर आंकड़े प्रस्तुत किये जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं दरख्वास्त करूंगा कि कि इस जिम्मेदारी को आप अपने मत्थे न लीजिये नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जायगी । आंकड़े माल महकमें को ही इकट्ठा करने दीजिये ।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पाले के पहले अनावर्षण और फसलों में रोग लग जाने के कारण फसलें बर्बाद हो गयी हैं जिसकी सूचना माननीय मंत्री जी को दी गयी, तो उस विषय में क्या कार्यवाही हुई और पाले के बाद इन बर्बाद हुये क्षेत्रों के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

सारे नुकसानात की जांच हो रही है और जो मुनासिब व कायदे की बात होगी, हम करेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

शीतलहरी, ओले और पाले से किसानों का करीब १५ जनवरी से ही नुकसान हुआ है और आज १२ फरवरी है। इस बीच में इस प्रदेश के अन्दर इतने लोग मरे हैं और फसलों का नुकसान हुआ है जिससे किसान बड़े दुखी व त्रस्त हैं, तो १५ जनवरी से १२ फरवरी के अन्तर्गत सरकार ने किसानों की कौन-कौन सहायता की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जिलाधीशों के पास मैंने रुपये रख दिये हैं और उनके पास प्रेचुइट्स रिलीफ फंड भी है। और रुपये की जरूरत होने पर उसे प्रांट करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने फरमाया था कि कायदे कानून की पूरी-पूरी पाबन्दी करेंगे, लेकिन यह जो पाला पड़ा है, इसमें भी पुराने कायदे कानून को लागू करेंगे तो किसानों की जो तकलीफ है वह दूर नहीं हो सकेगी। पुराना कायदा कानून यह है कि लेखपाल रिपोर्ट देगा कानूनगो साहब को और कानूनगो साहब तहसीलदार को रिपोर्ट देंगे, तहसीलदार साहब डिप्टी साहब को देंगे और फिर वह कलेक्टर के यहां से हो कर आपके पास पहुंच जाता है। उस मुकाम पर जहां किसान होता है कोई नहीं पहुंच पाता। इसलिये माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करें कि सही-सही आंकड़े उपलब्ध हो सकें। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि जितने भी सदन के माननीय सदस्य हैं वे अपने-अपने क्षेत्रों के जिम्मेदार हैं और वहां की स्थिति अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिये उनकी रिपोर्ट पूरी की पूरी मान ली जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

माननीय सदस्य की यह दरख्वास्त स्वीकार करने के योग्य नहीं है।

श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)--

जो शीतलहर व पछुआ हवा से नुकसान हुआ है, यह बहुत बड़ा अहम मसला है इसलिये मैं समझता हूं कि इस मामले पर दो दिन डिबेट होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

क्या आप चाहते हैं कि इस मसले पर डिस्कशन के लिये दो दिन रखा जाय ?

श्री शीतलप्रसाद--

जी हां।

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

जितने महानुभाव सदस्यगण अभी बोले हैं उससे पता चलता है कि वे इस पाले से हुये नुकसान से बहुत विचलित हैं। मैं उनको बतला दूं कि हम लोग भी इससे बहुत विचलित हैं। किसानों की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है और यह नुकसान केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि दूसरे प्रान्तों में भी फैला हुआ है। हमने पहले ही अधिकारियों को हिदायत कर दी है कि वे इसकी सही रिपोर्ट हमारे पास भेजें। मुझे इन दिनों कई जिलों में दौरा करने का मौका मिला है और जहां-जहां मैं गयी वहां के अधिकारियों व एम०एल० एज० से भी मैंने इस बारे में पूछ-ताछ की और इनडिवीजुअली नुकसानात को असेस करने की कोशिश हम कर रहे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर जो बहस हुई उसमें भी मैंने कहा था और राज्यपाल ने भी अपना कंसर्न जाहिर किया था। अपने भाषण में मैंने कहा था कि दूसरे दलों के नेतागण को बुलाकर हम जल्दी इस विषय में बातचीत करने वाले हैं, तो उसके लिये २० तारीख मैंने तय कर लिया है और आप लोगों को इनविटेशन जा रहा है। वहां हम लोग बैठकर इस पर बातचीत कर लेंगे।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। छूट की बात तो होती रहेगी परन्तु इस रिपोर्ट को देखने से ऐसा मालूम होता है कि इस प्रदेश में अन्न कम पैदा होने के कारण बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम २-३ मास में हमारे सामने आने वाला है और उसके निवारण के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी विशेषज्ञों को बुलाकर परामर्श करें कि अब से बरसात से पहले तक क्या कोई जायद फसलें उगाई जा सकती हैं ताकि अन्नभाव की कुछ पूर्ति हो सके? परन्तु इस काम को तत्काल, बगैर समय खोये हुये आरम्भ करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—

सुझाव बहुत अच्छा है और २० तारीख को विशेष बैठक में यह सब तय कर लिया जायगा और जो संभव कदम होंगे वह उठा लिये जायेंगे।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, इस रिपोर्ट को देखने से मालूम होगा कि गाजीपुर एक ऐसा जिला है कि जिसकी सब तहसीलें शीत और पाले से प्रभावित हुई हैं और माल मंत्री जी जानते हैं कि अक्तूबर मास में वहां ओला भी पड़ चुका है और उस से भी गाजीपुर की २ तहसीलें कुप्रभावित हुई थीं। मैं माल मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि वर्तमान नियमों के अनुसार जब किसान की पूरी खेती पर १० आने से अधिक क्षति होती है तब उसे छूट दी जाती है और आज सदन के सामने मंत्री जी कह रहे हैं कि वह जो उनके नियम हैं उन्हीं का इस बार भी पालन करेंगे। आप इस पर जरा गम्भीरता से ध्यान दें और विचार करें कि अगर किसी के एक प्लाट पर ही ओला पड़ा है तो उसको उसके उतने ही नुकसान के लिये छूट दी जा सके। क्या मंत्री जी लेखपाल की ऐसी रिपोर्ट पर छूट देंगे या नहीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अध्यक्ष महोदय, हमारे सूबे में दिक्कत यह है कि बन्दोबस्त में यहां प्लाटवाइज मालगुजारी असेस नहीं हुई है बल्कि वह खातेवार हुई है वरना इस प्रश्न पर हम कई बार विचार कर चुके हैं, हमारे साथियों और अफसरों ने इस पर गौर किया है और इस दिक्कत की वजह से हम इसको हल नहीं कर सकते हैं, यही हमारी मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष—

मेरा निवेदन है कि अब २० तारीख को बैठक हो रही है, हर पार्टी के नेता आपस में बैठकर इस चीज के लिये कोई हल चाक-आउट कर लेंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

यह सवाल किसानों की छूट का है, इसमें नियम और सिद्धान्त की बात नहीं है। ...

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

मेरा सुझाव है कि इस प्रदेश में प्राकृतिक आपदायें बहुत हो रही हैं और किसानों का लगान माफ करने और एकस्ट्रा क्राप पैदा करने के सुझाव सदन के सामने आये हैं। इसलिये किसानों की आर्थिक दशा और सुधारने की दृष्टि से मैं मुख्य मंत्री जी के सामने सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में भी पंजाब की तरह क्राप-इन्श्योरेन्स को जारी करने की कृपा करें, उससे किसानों का लाभ होगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी का जो वक्तव्य निकला है उसके सम्बन्ध में मैं माननीय माल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरदोई जिले में ९ नद हर साल खरीफ की फसल को बरबाद कर देते हैं और लगातार बिलग्राम तहसील में लगान का स्थगन होते-होते किसानों पर लाखों रुपया बकाया का हो गया है। इस साल वहां खरीफ तो खत्म हो ही गई थी और अब रबी भी खत्म हो गई है। इस तरह से १२, १३ साल से बराबर स्थगन हो रहा है तो यह स्थगन का कर्जा उन किसानों को कहां ले जायगा ? क्या आज माननीय राजस्व मंत्री जी साफतौर पर यहां ऐलान करेंगे कि हरदोई जिले के ऐसे किसानों की तमाम पुरानी बकाया माफ होगी और इस साल का पूरा लगान माफ किया जायगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

यह तो बड़ा मुश्किल है। अभी ऐलान कर दिया है, लेकिन देखा जायगा।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)---

शाहजहांपुर के जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं इनमें सत्य नहीं दिखाई पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं इसकी पुनः जांच करायें किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा। जिलाधीश ने मुझे बताया कि लोग मेले में आते-जाते मर गये सर्दी से।

श्री अध्यक्ष---

नुकसान फसल का हुआ, आप आदमियों के मरने के बारे में कह रहे हैं।

श्री राममूर्ति 'अंचल'---

शाहजहांपुर तहसील में कई आदमियों को पकड़ा जा रहा है, वहां वसूली बन्द होनी चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जहां-जहां फ्लड आये हैं, खरीफ मारी गई है वहां तो बन्द करेंगे।

श्री उग्रसेन---

देवरिया में वसूली जबरदस्ती हो रही है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

माफ़ी के नियम बहुत पुराने और काफ़ी गलत हैं कि ६ आने से अगर कम का नुकसान रहता है तो माफी नहीं मिलती है। क्या मंत्री जी इन नियमों में परिवर्तन करेंगे जिस से माफ़ी संभव हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इतनी जल्दी तरमीम नहीं हो सकते। अगर वह खत्म हो जायगा तो वह भी खत्म हो जायगा।

श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)---

राबर्ट्सगंज तहसील में दो साल से बराबर सूखा पड़ रहा है जिसकी रिपोर्ट अधिकारी वर्ग नहीं देता इस अकर्मण्यता से वहां लोगों को बड़ी परेशानी है। हमने सूखे के लिये लिख कर दिया पर कोई जवाब नहीं मिला। तो क्या इस झूठी रिपोर्ट के साथ उन लिखी हुई दरख्वास्तों को मंत्री जी सही ले कर जांच करायेंगे और हमारे क्षेत्र को सूखा-ग्रस्त घोषित करेंगे ताकि उनको भी छूट की सारी सुविधायें मिल सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैं सही आंकड़े पता लगाऊंगा।

एक सदस्य---

अधिकारियों की जो रिपोर्ट पाले के बारे में आयी है वह गलत है। इटावा जिले में अरहर बिलकुल नष्ट हो गई है, मटर १६ आने बरबाद हो गई, चना १२ आने नष्ट हो गया है ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो सभी कह रहे हैं।

श्री वसी नकवी (जिला रायबरेली)---

मंत्री जी ने कहा कि उन इलाकों में जहां बाढ़ आयी है वहां छूट जरूर दी जायगी। मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अक्तूबर के महीने में फसल कटी थी और अक्तूबर, १९६४ में फसल काटी जायगी, यानि साल भर बाद किसान को गल्ला मिलेगा ऐसी हालत में यह जानते हुये कि उनके बच्चों को खाने को नहीं है और जानवरों का चारा नहीं है तो वह तमाम सुविधायें उन लोगों को भी दी जायेंगी जहां बाढ़ नहीं आयी थीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैंने तो कहा सबके साथ हमारी हमदर्दी है, जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह सब के साथ करेंगे।

श्री विश्वनाथ पांडेय "प्रणव" (जिला मिर्जापुर)---

मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे कि एक तरफ तो इलाहाबाद में काफ़ी नुकसान दिखाया गया है और हमारे जिले में जो उस से मिला हुआ है, पठारी है जहां उपज भी कम होती है वहां नुकसान कम दिखाया गया है ....

श्री अध्यक्ष---

यह तो सभी कह रहे हैं।

श्री विश्वनाथ पांडेय "प्रणव"---

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो सूचना है उसमें लिखा हुआ है कि जो इलाके उपजाऊ हैं वहां तो रुपये में १२ आने का नुकसान हुआ और जहां पर इलाका उपजाऊ भी नहीं है, हमारे यहां मिर्जापुर में, वहां पर २५ प्रतिशत नुकसान हुआ जबकि वहां अरहर की केवल सूखी डंठल ही रह गयी हैं।

श्री अध्यक्ष---

इसका ध्यान रखा जायगा। आप तो लेक्चर दे रहे हैं।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)---

रायबरेली जिले में तहसीलदार और डिप्टी ने भी अरहर की फसल को देखा तो कहीं हरी अरहर दिखाई नहीं दी तो क्या माननीय मन्त्री जी जांच कराके सही रिपोर्ट देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इस सवाल के अतिरिक्त कि हमारे जिले की रिपोर्ट गलत है और कोई बात कहनी है तो कहें।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष जी, पूर्व इसके कि आप मुझे सवाल पूछने की आज्ञा दें मैं इस समय इसलिये खड़ा हुआ हूं कि जो छोटे किस्म की नेचुरल कैलेमिटीज हैं, उन पर सदन में एक आध दिन बहस हो जाया करती है और माननीय सदन की हालत यह है कि आपकी निगाह किधर पड़ी और किधर न पड़ी। इसमें आपको संतुलित करना पड़ता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे एक दिन इस सवाल पर आप बहस करायें। माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि २० तारीख को नेता लोगों की एक बैठक करेंगे लेकिन नेता लोगों से मुख्य मन्त्री को अपनी राय बनाने में मदद मिल सकती है। पूरे सदन की क्या राय है, लोगों के क्या विचार हैं। इस पर इस सदन में उसी समय प्रकाश पड़ सकता है जब कि इस सदन के सम्मानित सदस्यों को समय मिले।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है और इस सदन की मेज पर रखा है उसको सभी लोग इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले भ्रामक कहते हैं। मैं फिर से निवेदन करता हूं कि जो तिथि आप निश्चय करें, उस तिथि पर बिलकुल असरटेन करके बतायें कि कितना नुकसान हुआ है किस जिले में कितने-कितने आदमी मरे। बस्ती जिले में हाथी मर गया उसका जिक्र नहीं पर बहराइच जिले का, कि इसमें कितनी अरहर जल गयी, जिक्र है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान बुन्देलखंड के इलाके की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और जगहों की तरह वहां भी नुकसान हुआ। अतः मेरा सुझाव है कि इस समय इस बात की जरूरत है कि तमाम माननीय सदस्यों के विचार आपके सामने आ सकें। इसलिये आवश्यक है कि माननीय सदस्यों को गाड़ी की सुविधा दी जाय ताकि वे अपने-अपने क्षेत्र में जा कर इन पांच दिनों में वहां की स्थिति को देखें और उसके बारे में अपनी रिपोर्ट आपके सामने रख सकें।

श्री अध्यक्ष---

इसमें १० मिनट लग गये हैं। आप कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

एक बात सुन लीजिये। २० तारीख को माननीय मुख्य मन्त्री ने निश्चय किया है कि वे एक बैठक करेंगी।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

श्रीमन्, मुख्य मन्त्री के सुझाव से कुछ नहीं होगा। नेता लोग बातें करते हैं सिद्धांतों की। इससे कुछ नहीं होने वाला है।

श्री उग्रसेन---

मुख्य मन्त्री ने नेताओं का नाम लिया। जो हमारा फैसला होगा उसे वह मानेंगी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह निवेदन कर दूं कि २० तारीख को मुख्य मन्त्री जी से बातचीत होने के बाद में प्रयत्न करूंगा कि इसके ऊपर बहस हो जाय।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

२० तारीख से पहले क्या आप कोई ऐसा आदेश देंगे कि जो गलत सूचना मिली है उस पर कार्यवाही की जाय?

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह कि दफा ५२ या कामरोको प्रस्ताव जो लोग दिये हैं उनका नाम पुकारने में आपको प्राथमिकता देना चाहिये। ऐसी बराबर गलती आपसे हो रही है और इस तरह से जो लोग सवाल देते हैं उनकी हकतल्फी होती है। तो ऐसी गलती आप पुनः तो नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

जब तक मैं मनुष्य हूं मुझसे गलती होती रहेगी, किन्तु जान बूझ कर नहीं।

प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

चिकित्सा उप मन्त्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

भारतीय चिकित्सा पद्धति, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध चार आयुर्वेदिक कालेजों में छात्रों द्वारा चलाई जा रही हड़ताल से सम्बन्धित एक वक्तव्य मैंने इसी सदन में २३ दिसम्बर, १९६३ को दिया था और यह बताया था कि ललित हरी आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के छात्र १८ अक्तूबर, १९६३ से ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज एवं गुरुकुल आयुर्वेदिक कालेज, कांगड़ी, हरिद्वार के छात्र १९ अक्तूबर, १९६३ से तथा बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी के छात्र २१ अक्तूबर, १९६३ से अपनी मांगों के सम्बन्ध में हड़ताल पर हैं। अभी तक सरकार को कोई भी सूचना ऐसी नहीं मिली है जिससे ज्ञात हो कि छात्रों ने हड़ताल वापस ली हो।

यह सत्य नहीं है कि शासन ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया कि जिससे छात्रवर्ग में उत्पन्न असंतोष कम होता अथवा समाप्त होता। जैसा कि मैंने गत दिसम्बर में भी सदन को अवगत किया था, स्थिति यह है कि प्रदेश के समस्त आयुर्वेदिक कालेजों एवं उनके स्नातकों से सम्बन्धित प्रायः सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने एवं उन पर अपने सुझाव देने के हेतु शासन द्वारा एक जोशी कमेटी का निर्माण जून, १९६१ में किया गया था, जिसने अपने सुझाव शासन को जनवरी, १९६२ में दे दिए। मैंने यह भी बताया था कि ये मामले बहुत जटिल है तथा उन पर बहुत कुछ आयुर्वेद का भविष्य निर्भर करता है। जोशी कमेटी के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये काफी धन की व्यवस्था करनी है। इन्हीं सब दृष्टिकोणों से शासन अभी इन सुझावों पर विचार कर रहा है।

आयुर्वेदिक कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि आगरा विश्वविद्यालय से लिखी पढ़ी बहुत समय से चल रही है किन्तु अभी तक उनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। प्रयत्न जारी हैं।

छात्रों की यह मांग कि उनकी उपाधि का नाम बदल दिया जाय, भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा लखनऊ विश्वविद्यालय, जो इन उपाधियों को वितरित करते हैं, के विचारार्थ भेज दिया गया है। ये दोनों संविधिक संस्थाएं (Statutry Bodies) हैं और जब तक इनकी सम्मति प्राप्त न हो जाय तब तक शासन इस विषय पर कोई निर्णय लेने में असमर्थ है। जहां

[डाक्टर रामनारायण पांडेय]

तक शासन को ज्ञात है लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस विषय में एक कमेटी बनाई है जो इसपर हर दृष्टिकोण से विचार कर रही है।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले भी हैं जिनको शासन ने हाई पावर कमेटी के विचारार्थ भेजा है जैसे, आयुर्वेद के स्नातकों की सेवाओं का वर्ग, स्तर, वेतन क्रम, उनका ग्रामीण राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में लगाया जाना तथा जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पद पर नियुक्ति, आदि। इस कमेटी के सुझाव अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः विदित है कि सरकार स्वयं आयुर्वेद के छात्रों के भविष्य के बारे में जागरूक है तथा उनकी मांगों पर विचार कर रही है। खेद इस बात का है कि यह सब जानते हुए भी इन छात्रों ने भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया है जो कि वर्तमान स्थिति में कदापि सराहनीय नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के छात्रों ने स्थिति को ठीक से समझ कर अपनी हड़ताल वापस ले ली है और वे अपनी कक्षाओं में जाने लगे हैं। छात्रों का यह कार्य बिलकुल अनुचित है तथा उन्हें चाहिये कि जैसा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ के छात्रों ने किया है वे भी अपनी हड़ताल शीघ्र वापस ले लें ताकि उनकी पढ़ाई नियमित रूप से चल सके।

*श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

जो माननीय मन्त्री ने अभी वक्तव्य दिया है और जो अपील की है उसको ध्यान में रखते हुए जो सुविधायें और जो आश्वासन स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के विद्यार्थियों को दिये गये हैं और जिस विश्वास पर उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ली है क्या कम से कम उतनी सुविधा भी उनको देने का विचार सरकार का है जो कि आज हड़ताल पर हैं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जहां तक किसी आश्वासन की बात है इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं है जिसके विषय में माननीय सदस्य इंगित कर रहे हों कि स्टेट आयुर्वेदिक कालेज वालों को दिया गया है, बल्कि स्थिति यह है कि उनसे यह निवेदन किया गया कि वे अपनी कक्षाओं में जायं और उनके लिये सरकार पूरी तरह से सचेत है और जैसा माननीय मुख्य मंत्री ने भी आश्वासन दिया है, इसी सम्बन्ध में कल वे हम लोगों को बुला रही हैं और बात कर रही हैं। सबसे मुख्य प्रश्न आयुर्वेद के विषय में भी यहां पर इन्वाल्ड है जिससे मैं समझता हूं कि यदि ये विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में जाने लगे तो अच्छा होगा उनके सम्बन्ध में और आयुर्वेद के सम्बन्ध में भी।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)---

जो जोशी कमेटी माननीय गुप्ता जी ने निर्मित की थी उसको तीन वर्ष हो गये, उसकी रिपोर्ट क्या है और जैसा आपने बतलाया कि कुछ विश्वविद्यालयों से बातचीत की जा रही है तो वे कौन-कौन से विश्वविद्यालय हैं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

कुछ विश्वविद्यालय नहीं हैं, केवल आगरा विश्वविद्यालय से बातचीत चल रही है। उनको कितने ही पत्र लिखे गये और कितने ही उनके जवाब आये लेकिन उन्होंने अभी तक इसको मन्जूर नहीं किया है। फिर भी हम प्रयत्नशील हैं कि यह किसी न किसी तरह से मन्जूर हो जाय। इसके साथ-साथ फिर वही प्रश्न धन का है जिसकी वजह से रुकावट हो रही है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

जैसे सरकार का कुछ प्रेशर होता है विश्वविद्यालयों पर अपनी बात मनवाने का क्या उसी प्रकार इस विषय में भी सरकार विश्वविद्यालय के ऊपर कुछ प्रेशर डालेगी या केवल चिट्ठियां ही जैसे अब तक लिखती रही वैसे ही लिखती रहेगी?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी नहीं, प्रयत्न पूरी तरह से होगा। अगर नहीं होगा तो चांसलर से निवेदन करेंगे।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या यह सही है कि ९ महीने की ट्रेनिंग पाने वाला सेनीटरी इन्स्पेक्टर इन ५ साल के कोर्स वाले स्नातकों से अधिक तनख्वाह पाता है और ३ महीने की ट्रेनिंग पाने वाले ऐंटी मलेरिया इन्स्पेक्टरों को इनके बराबर तनख्वाह मिलती है? अगर सही है तो क्या मन्त्री जी इस अन्याय को मिटाने के लिये कोई ठोस कदम उठायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य से मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न छात्रों की हड़ताल के बारे में है या अधिकारियों के बारे में है?

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, उनकी मांगों के बारे में हड़ताल है।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मैं निवेदन कर दूं कि मुख्य प्रश्न यह है कि ५ साल के बाद जो विद्यार्थी निकलते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनको वेतन दिया जाय और हमारे औषधालयों में उनको पर्याप्त स्थान दिये जायं?

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

फिर से आप पूछ लीजिये, आपको बुलाया जायगा।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन्टी-ग्रेटेड सिस्टम आफ मेडिसिन के स्नातकों को स्टेट इंटीग्रेटेड डिस्पेंसरीज में स्थान दिया जायगा?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, जैसा मैंने निवेदन किया ये सब मसले विचाराधीन हैं और इस प्रकार से हैं कि जो स्नातक योग्य हैं उनको ऊंचे कैडर में लिया जाय और वहां उनकी खपत की जाय और बाकी को अन्य जगहों पर लगाया जाय क्योंकि सरकार समझती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रदेश की सेवा करने के लिये उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इनको ज्यादा से ज्यादा जगह दी जानी चाहिये।

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि क्या यह तथ्य सही है कि ३ महीने की ट्रेनिंग पाने वाला ऐंटी मलेरिया इन्स्पेक्टर का वेतन-क्रम उतना ही है जितना इनका है और ९ महीने की ट्रेनिंग पाने वाला सैनीटरी इन्स्पेक्टर इनसे अधिक वेतन पाता है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, इसके विषय में सूचना चाहिये।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो १०० मिश्रित चिकित्सालय खुल रहे हैं उनमें लखनऊ आयुर्वेद कालेज के छात्रों को स्थान मिलने का प्राविधान किया गया है, यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इन चार आयुवदिक कालेजों के विद्यार्थियों को भी इनमें स्थान देने की व्यवस्था करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, अभी निवेदन नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक बात यह है कि जो स्तर आज लखनऊ आयुवदिक कालेज का है वह स्तर अभी इन बोर्ड वाले विद्यालयों का नहीं है, जैसा कि जोशी कमेटी की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि हड़ताल का ११४ वां दिन है और भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है, हाई पावर कमेटी को भी काफी समय हो गया है और जोशी कमेटी की रिपोर्ट भी लागू नहीं हो सकी है तो क्या सरकार इन विद्यार्थियों के हित में जल्दी से जल्दी कितने दिनों में निर्णय करने जा रही है ताकि भूख हड़ताल समाप्त हो ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, जल्दी से जल्दी इस सम्बन्ध में प्रयत्न है और कल माननीया मुख्य मन्त्री जी ने बुलाया है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बंध में ११६ दिन से हड़ताल चल रही है और भूख हड़ताल भी कर रखी है, जो एक सीरियस मामला है और इसलिये जोशी कमेटी ने रिपोर्ट दी है। उसे प्रकाशित करने के बाद लागू करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जहां तक जोशी कमेटी की रिपोर्ट लागू होने का प्रश्न है, जो कि मुख्य प्रश्न है, उसके लिये बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है। इतना इस समय सम्भव होगा मैं नहीं कह सकता। यदि उसको पूर्णरूपेण नहीं तो अंश रूप से लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है और यह प्रयत्न होगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा लागू किया जा सके।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि ४ आयुर्वेदिक कालेज और जो लखनऊ का आयुर्वेदिक कालेज है, इनका पाठ्यक्रम एक ही है और खर्चा भी विद्यार्थियों को उतना पड़ता है, लेकिन जब किसी सर्विस के लिये प्रदेश में या प्रदेश के बाहर जाते हैं तो चूंकि लखनऊ का कालेज विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है इस लिये उनको वहां पर प्राथमिकता दी जाती है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, यह सत्य है कि पाठ्यक्रम एक होते हुए भी पढ़ाई का स्तर, गुरूजनों का स्तर एक नहीं है, जैसे कि दो विश्वविद्यालयों में भी अन्तर होता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या मन्त्री जी स्पष्ट बताने की कृपा करेंगे कि यह हाई पावर कमेटी, जोशी कमेटी जिसका उन्होंने जिक्र किया और माननीय सम्पूर्णानन्द की इच्छा थी कि आयुर्वेद चालू हो, लेकिन इनको

डिग्री पांच रुपये वाली मिले और दूसरे लोगों को दूसरी डिग्री मिले, सब को समाप्त करके इन विद्यार्थियों की जो हड़ताल की मुख्य मांग है, उसकी पूर्ति के लिये कोई अन्तरिम व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे यह फसाद टल जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, बाबू सम्पूर्णानन्द जी की इच्छा थी कि आयुर्वेदाचार्य की डिग्री दी जाय, लेकिन आयुर्वेदाचार्य की डिग्री के विरुद्ध लखनऊ आयुर्वेदिक कालेज वालों ने हड़ताल की। उनको आयुर्वेद के नाम से कुछ हीन भावना, इनफीरियारिटी काम्प्लेक्स है। यहां का स्नातक अपने नाम के आगे आयुर्वेद का प्रयोग नहीं चाहता है। पूरा डाक्टर केवल बनना चाहता है। इसी कारण पहले हड़ताल हुई थी। फिर भी जो उनकी यह मांग है कि उनको एलोपैथिक स्नातकों के समकक्ष माना जाय, हम लोग चाहते हैं कि वह मांग स्वीकार हो जिससे उनका वेतन-क्रम, स्टेटस सारी चीजें ऊंची हों। जहां तक नाम का प्रश्न है कि नाम में आयुर्वेद न हो, डाक्टर रहना चाहिये मैं समझता हूं कि इनको आयुर्वेद का नाम ओन करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

यह विषय समाप्त होता है। अब हम उठते हैं। दो बजकर दस मिनट पर फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

१९६३-६४ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे यह निवेदन करना है कि इसमें एक तो सामान्य चर्चा होनी है और एक मतदान होना है। तो जितना टाइम आप चाहें सामान्य विवाद के लिये नियत कर लीजिये। क्या राय है ?

एक सदस्य---

सामान्य विवाद के लिये जरा ज्यादा समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

तो साढ़े चार बजे तक यह चलेगा और उसके बाद फिर मतदान होगा.....

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

श्रीमन्, कुल मिलाकर यह २१ करोड़ का बजट हो जाता है तो इस पर कुछ ज्यादा समय दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

पौने पांच बजे तक कर लीजिये। पौने पांच तक सामान्य विवाद चलेगा।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दूसरी बार सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट हमारे सामने प्रस्तुत है। दिसम्बर में हमने इसी प्रकार का एक अनुपूरक अनुदान पास किया था और अब दूसरी बार जब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

हम फिर इसे देखते हैं तो हमें यह निश्चय-सा हो जाता है कि वास्तव में सरकार के पास बुद्धि की कमी हो गई है क्योंकि यदि ऐसा न होता तो जो मांगें आज प्रस्तुत की गई हैं उन सबका समावेश दिसम्बर वाले अनुदान में किया जा सकता था। परन्तु योजना बनाते समय दिमाग कहीं और रहता है, बुद्धि कहीं और रहती है, शरीर कहीं और रहता है, मन की स्थिति कोई और होती है। यह बात बिलकुल सही है कि सही समय पर सब बातों को एक साथ रखकर कभी योजना नहीं बनायी जाती और प्रशासन का काम नहीं चलाया जाता। श्रीमन्, अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किये जाते हैं, उनकी आवश्यकता भी रहती है, लेकिन विशेष रूप से उस समय रहती है कि जब उसे बिना पास किये हुए फाइनेन्शियल ब्रेक डाउन की स्थिति हो जाय या कोई नयी योजना ऐसी सामने आवे कि जिसके बिना जनता का बड़ा नुकसान होने वाला हो। उसी समय इसका औचित्य होता है। वैसे तो सभी जानते हैं कि जब कभी भी प्राधिकृत, व्यय से अधिक व्यय हो जाय तो यह सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स रखी जाती हैं या ऐसी नयी मदें, जिनके लिये कि बजट में कोई प्राविजन नहीं रहता, उनको हम फिर से अनुपूरक अनुदान के रूप में पेश करते हैं। परन्तु वास्तव में गलत बर्जटिंग या गलत प्रकार से योजना बनाना भी एक मुख्य कारण होता है सप्ली-मेन्ट्री ग्रान्ट्स को रखने का।

इस विषय में मैं और अधिक न कहकर सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमारे बजट बनाने वाले महोदय और सरकारी कर्मचारी इस बात को ध्यान में रखें कि योजना ऐसी बने, व्यय करने का ढंग ऐसा रखा जाय कि बार-बार मामूली तौर से, यूजुअल जैसा आपने बिजनेस बना रखा है उस तरीके पर कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स रखने की जरूरत न पड़े।

श्रीमन्, मैंने इस अनुपूरक अनुदान को देखा और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों को मिलाकर, दिसम्बर वाले को और इस समय जो प्रस्तुत है, इन दोनों को मिलाकर सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स में २१ करोड़ से ऊपर की धनराशि निहित है। २१ करोड़ रुपये का मतलब यह है कि जो हमारा बजट था उसका यह १० प्रतिशत से भी अधिक होता है। १० प्रतिशत से अधिक होने का मतलब यह कि जरूर ऐसी कोई बात अब हमारे सामने आगई कि हमको जिस पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिये। कहीं बजट के बनाने में कमी रह जाती है वरना २ अरब रुपये का हमारा बजट था तो उसमें २१ करोड़ रुपये की सप्लीमेंटरी ग्रांट लेने की बात समझ में नहीं आती।

एक और बात भी है। सप्लीमेंटरी ग्रांट एक या दो मद के लिये ली जाती हैं। यहां पर ५६ मदें हैं उनके ऊपर सप्लीमेंटरी ग्रांट्स मांगी गई हैं। इससे यह जाहिर हो गया है कि सरकार कितनी दूरदर्शी है, इसके कर्मचारी कितने होशियार हैं, कितने बुद्धिमान हैं और भविष्य दृष्टा हैं। यह बात इससे अच्छी तरह से जाहिर हो जाती है। १, २ ग्रांट की बात होती तो शायद हम लोगों को इस पर बहस करने का भी मौका न होता और हम लोग इसकी डिमांड भी न करते कि इस पर बहस की जाय, मगर हम देखते हैं कि १, २ विभाग नहीं बल्कि ५६ विभाग हैं जिनके लिये हमसे करोड़ों रुपये की धनराशि मांगी जा रही है। इसका केवल यही अर्थ है कि इससे पूरे प्रशासन की अदूरदर्शिता जाहिर हो रही है, भविष्य में उनको चाहिये कि वह और अच्छी तरह से दूरदर्शिता और बुद्धिमानी से काम लें।

एक बात और है। जब मैंने इसमें वृहत् जोतकर की मद को पढ़ा और मैंने पीछे की कार्य-वाही को देखा तो जिस समय वृहत जोत-कर यहां पर सदन में प्रस्तुत किया गया था, उस समय इसके साथ वित्तीय ज्ञापन नहीं दिया गया था और जब यहां पर उसकी चर्चा की गयी तो बाद में वह वित्तीय ज्ञापन लाया गया था। पहले यह कहा गया था कि इसमें अतिरिक्त धनराशि का व्यय नहीं होगा लेकिन बाद में वह वित्तीय ज्ञापन रखा गया था। इस तरीके से यह जाहिर होता है कि विरोधीदल जो अपना काम करता है वह जागरूकता से करता है।

उस समय विरोधीपक्ष के लोगों ने यह कहा था कि, उस समय सरकार ने इसको दर्शाया था कि इतना रुपया है और इससे काम चल जायगा। १ लाख ४८ हजार रुपये से काम चल जायगा। अब उस पर हम २ लाख ७३ हजार रुपया खर्च करने जा रहे हैं। उस समय विरोधीदल ने इस बात का संकेत दिया था। इन सब बातों से यह जाहिर हो जाता है कि यह जो सरकारी पक्ष के लोग विरोधीदल पर आरोप लगाते हैं कि विरोधीदल हमको समय रहते चेतावनी नहीं देता, अच्छे सुझाव नहीं देता, गलत है। इस बात से यह जाहिर हो जाता है कि सरकार अपने कर्त्तव्य पर सजग नहीं है, अपनी बातों पर दृढ़ नहीं है और उसके विचार में दृढ़ता नहीं है। जहां तक विरोधीदल का सवाल है वह हमेशा अपने कर्त्तव्य पर जागरूक रहता है।

श्रीमन्, मैं सामान्य तरीके से जो ग्रांट्स हैं उनके ऊपर अपने विचार रखता हूं। जहां तक शिक्षा का प्रबंध है मैं यह कहना उचित समझता हूं कि सरकार जो नये तौर तरीके अपना रही है उससे जनता में, बच्चों में, अभिभावकों में, शिक्षकों में, सभी में असन्तोष है और कोई उनकी पालिसी से सहमत नहीं है। अभी श्रीमन्, पिछले साल से दो पाली की स्कीम हमारे प्रदेश में चालू की गई है। दोपहर तक पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थी पढ़ते हैं। उसके बाद कक्षा दो के ऊपर के विद्यार्थी पढ़ा करते हैं। श्रीमन्, गांव में जाने का मुझे मौका मिला है, वहां इस प्रणाली से सब को असन्तोष है क्योंकि सबेरे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको दोपहर में छुट्टी मिल जाती है और वे खेलते-कूदते फिरते हैं और यह देख कर अभिभावकों को बड़ा असन्तोष रहता है। वह शिक्षकों को कहते हैं कि यह क्या तरीका है। दूसरे, उनकी पढ़ाई का पूरा इंतजाम नहीं हो पाता। शिक्षक उतने ही हैं, बच्चों की तादाद बढ़ गयी है और इसलिये वे उनकी सही देख-रेख नहीं कर पाते। बच्चों में केवल किताबी योग्यता के अतिरिक्त स्कूल में अनुशासन की भावना भी जानी चाहिये। इन दो पाली की व्यवस्था से आज सभी में असंतोष है। निरीक्षक यह नहीं देख पाता कि वास्तव में स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। उसे सही स्थिति का पता नहीं लगता। मैं संक्षेप में इसलिये कह रहा हूं कि मुख्य बजट आ रहा है और उसमें इन सारी बातों की विशद आलोचना होगी। आपने जो इंटरमीडियेट संशोधन विधेयक बनाया है उससे भी कोई फायदा अध्यापकों को नहीं पहुंचा। हमने यह विधेयक इसलिये पास किया था कि प्राध्यापकों की दशा सुधरे, लेकिन हम अपने ध्येय में सफल नहीं हुए। जिस समय आज भी मैनेजमेंट चाहता है उनको निकाल देता है, सस्पेंड कर देता है, उनको छुट्टी नहीं देता और वे बड़ी परेशानी में हैं। इस अमेंडमेंट ऐक्ट आने के बाद भी उनकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ जिसकी चर्चा इस सदन में बार-बार हुई है। मैनेजमेंट बिना जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति के अध्यापकों को मुअत्तल कर देता है, निकाल देता है और फिर अपील करने पर अगर उसकी ऊपर से बहाली हो जाती है फिर भी उसे रखा नहीं जाता। हमारे यहां प्रावीजन है कि उसकी अपील बहाल हो जाने पर अगर प्रबन्धक रुपया देने से इंकार करे तो उसकी तनख्वाह का रुपया ग्रांट से काट लिया जाय, लेकिन आज तक एक भी मिसाल इसकी नहीं है जिसमें किसी अध्यापक को ग्रांट से काट कर रुपया दिया गया हो। मेरे पास केसेज हैं जिनमें चार-चार साल उनको सस्पेंड हुए हो गये, हैं, लेकिन अपीलेट कमेटी में जाने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिला। मैं समझता हूं कि इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिये। अगर मैनेजमेंट सरकारी आज्ञाओं का पालन न करे तो उन पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध होना चाहिये कि न्यायालय की डिग्री की तरह से सरकार के आदेशों का पालन उनसे कराया जा सके। इसी तरह से अगर ज्यादा रुपये का मामला है और अध्यापक जो गरीब है, कोर्ट स्टैम्प देकर अदालत में उसके लिये नहीं जा सकता तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि उसे मैनेजमेंट से बिना कोर्ट स्टैम्प लगाये ही वह रुपया दिलाने का प्रबन्ध किया जाय। इस तरह से उनकी दशा में भी सुधार होगा और उनको संतोष भी होगा। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मैं तो समझता था कि मुझे आधा घंटा मिलेगा और यही समझ कर मैं अपना भाषण कर रहा था। कुछ समय तो और दे दीजिये....

श्री उपाध्यक्ष—

आपके लिये १५ मिनट का समय था, ५ मिनट और ले लीजिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

दूसरी बात मैं श्रीमन्, माल विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। तमाम भारतवर्ष में मुआवजे के लिये जो कानून बने हुये हैं उन सब में उत्तर प्रदेश से ज्यादा मुआवजा देने की बात कही गयी है। उत्तर प्रदेश का किसान इतना बदकिस्मत है कि उस पर हमारे माल मंत्री की कभी कृपा नहीं हो पाती और उसको उचित मुआवजा नहीं मिलता। जब कभी सरकारी काम के लिये या किसी कारखाने आदि के लिये जमीन ली जाती है उसका किसानों को बहुत कम मुआवजा दिया जाता है। उसके लिये नये पैसे का मोलभाव किया जाता है। इस सम्बन्ध में इतना ही नहीं, दुरंगी नीति अख्तियार की जाती है, कहीं मुआवजा कम दिया जाता है, कहीं ज्यादा दिया जाता है। मैं अपने बरेली जिले की बात बताता हूं। वहां पर हवाई जहाज का अड्डा बनाने के लिये जमीन ली गयी, उसका तो ज्यादा मुआवजा दिया गया लेकिन रबड़ फैक्टरी के लिये जो जमीन ली गयी उसका उससे बहुत कम दिया गया। इससे किसानों में बड़ा असंतोष है।

इतना ही नहीं, श्रीमन्, जमीन भी बहुत ज्यादा ले ली जाती है और उसका उपयोग भी १०–२० वर्ष तक नहीं होता। न उसका उपयोग होता है और न ही वह जमीन काश्तकारों को वापस दी जाती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जब भी कभी वह इस सम्बन्ध में कोई बिल लाये तो उसमें इस तरह का भी कोई प्रावीजन हो कि अगर कोई कम्पनी इतनी अवधि के अन्दर अपना काम पूरा नहीं कर लेती तो जमीन काश्तकारों को वापस कर दी जायगी। मैं आपको बताता हूं कि बरेली में जिस रबड़ फैक्टरी के लिये जमीन ली गयी है, उस जमीन पर मुश्किल से १० फीसदी जमीन पर अभी तक उनका कब्जा है, बाकी जमीन खाली पड़ी है। इससे जो आपकी कृषि सम्बन्धी योजना है उसको तो नुकसान पहुंचता ही है, किसानों का भी इससे बड़ा अहित होता है।

एक बात और कहना चाहता हूं। पहले जब अंग्रेज कलेक्टर और हाकिम परगना हुआ करते थे तो जब वे दौरे पर जाते थे तो उनके साथ एक लश्कर जाता था और जहां भी वे जाते थे वहां पर दूध, घी, अंडे तथा मुर्गे आदि का सफाया हो जाता था। आज भी वही हालत है। जब कभी हमारे हाकिम परगने दौरे पर जाते हैं, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं, हर लेखपाल, कानूनगो आदि का यह फर्ज है कि वह उनके लिये तमाम चीजों का प्रबन्ध करें और वह इन चीजों का फ्री इंतजाम कराता है। हाकिम परगना को उसके लिये कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। मेरा निवेदन है कि इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाय।

एक बात और मैं न्याय व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। आज न्याय व्यवस्था में भी आमूल चूल परिवर्त्तन की आवश्यकता है। आज जनता को न्याय बहुत मंहगा और देर से मिल पाता है, साथ ही साथ न्याय अत्यन्त भ्रष्ट हो गया है। सेशन जज की अदालत को छोड़कर नीचे की अदालतों में निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक, एक मुकदमे में ४, ४ और ५, ५ साल लग जाते हैं। अगर किसी प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही करनी हो तो तहसीलदार साहेब तारीख पर तारीख दिये चले जाते हैं। अब जरूरत हो गई है चलती फिरती मोबाइल, कोर्ट्स हमारे यहां स्थापित करने की। यह नहीं होना चाहिये कि अदालत जाने पर मालूम हो कि अफसर फलां काम से गये हैं, इसलिये आज मुकदमा नहीं हो सकता। इससे जनता तंग आ गई है।

मान्यवर, अभी ७ तारीख को दिल्ली की सरकार ने पेंशनर्स के लिये कुछ घोषणा की है और अपने कर्मचारियों के लिये भी २ से १० रुपये तक वृद्धि की बात कही है। यद्यपि यह बहुत कम है तो भी इससे प्रकट होता है कि उनका ध्यान इस ओर है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार का भी ध्यान इधर जायगा और वह शीघ्र ही कुछ घोषणा करेगी।

जगमोहनसिंहजी नेगी की दूरदर्शिता और अच्छे कार्यों के बावजूद भी प्रदेश में खाद्यान्न की स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। अब ४० रुपये मन का गेहूं बिकने लगा है। हमारी सरकार तिलहन और दालों की स्थिति को भी नहीं संभाल पाई है। हम यह कह सकते हैं कि शकर की

चोरबाजारी किसी हद तक रुकी है लेकिन मैं बाजार में गेहूं लेने गया तो लाल गेहूं ही मिला। सफेद गेहूं को लाला लोग ब्लैक मार्केट में अच्छे दामों पर बेचते हैं। मैं इस समस्या की ओर भी खाद्य मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं। यह जरूर है कि नैचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक विपदाओं, से भी हानि पहुंची है। लेकिन जैसे ही राशन शुरू होता है बनिया चोरबाजारी आरंभ कर देता है और इसका एक बड़ा कारण यह है कि सरकार के नियमों में ढिलाई होती है। बंगाल में अकाल पड़ा। वहां के लोगों ने गल्ला होर्ड किया। आज हमारे प्रदेश में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नैचुरल केलैमिटीज से इतनी क्षति नहीं हुई है जितनी कि होर्ड करने वाले लोगों से पहुंची है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर निश्चित रूप से कदम उठावे और उन लोगों से गल्ला निकाल कर भावों को सस्ता करे, अन्यथा पता नहीं कि क्या परिस्थिति उत्पन्न हो जाय, जिससे प्रदेशीय सरकार को अपनी कुर्सी छोड़ देनी पड़े।

श्री विजयसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रथम व द्वितीय Instalments के सप्लीमेंटरी बजट संपूर्ण बजट के १० परसेंट हैं। पहला Instalment ६,३९,२८,३०० था अब दूसरा Instalment १४,६९,९८,७०० है; कुल २१,०९,२७,००० है, जैसा कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने बताया। पर इसमें एक विशेष बात यह है कि जैसे एजूकेशन की ग्रांट नम्बर १७ को देखें, जिसमें सरकार की ओर से पृष्ठ १३ पर स्पष्ट किया गया है कि इसकी सेविंग्स ८४,००० रु० को भी यूटीलाइज किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी सरकार जनता को धोखा देकर करीब ४० करोड़ का बजट पास कराना चाहती है, वह भी ३ घंटे के समय में। नयी चीजों को अब जल्दी में पास कराके आगे बढ़े बजट में लाने की उनके लिये गुंजाइश कर लेना है। यह घुमाव-फिराव की नीति प्रदेश के लिये अच्छी नहीं है। जब सरकार एक दिन के बाद ही सन् १९६४–६५ का बजट लाने वाली है, तो क्या आवश्यकता थी, कौन-सी इमर्जेंसी थी, जिसके लिये आज यह १० परसेंट का बजट ३ घंटे में सरकार पास कराना चाहती है? इस प्रकार टोकेन ग्रांट मांगकर और नये Items को इस रूप से तमाम अन्य चीजों को पास कराना पोलिटिकल करप्शन नहीं है तो और क्या है? कई ग्रांट्स में लिखा है कि सरकार १ मार्च से इस योजना को लागू करने जा रही है जैसे Public Works Establishment Grant No. 37 पृष्ठ ५३ पर है तो इस समय क्या जरूरत थी कि ये करोड़ों रुपये की ग्रांट इसमें लायी जायं? सभी सेविंग्स को मिलाकर यह ४० करोड़ से ऊपर का बजट हो जायगा। सरकार इस बात का जवाब दे कि बजट को भूल भुलइय्या क्यों बनाया गया। यदि फ्रास्ट, डेवलपमेंट, प्लानिंग या खाद्यान्न की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में कोई सप्लीमेंटरी ग्रांट सरकार मांगती तो ठीक भी हो सकता था, परन्तु इस सप्लीमेंटरी बजट का इससे कोई संबंध नहीं है। प्रदेश में विशेष रूप से जालौन जिले में पाले से भारी क्षति हुई, उसके किये Relief की Demand का व्यय कहीं नहीं आया, इसमें जो खर्चे का जिक्र किया गया है वह डेमोक्रेसी का मजाक ही उड़ाया गया है कि केवल ४ घंटे के ही अन्दर हम इतनी इम्पार्टेंट ग्रांट्स को तथा नये Items को जल्दी से पास कर दें। ग्रांट नं० ४ जो सेल्स टैक्स की है, उसमें ३७ नये एसिस्टेंट सेल्स टैक्स अफसर बनाये गये हैं, २ रिवाइजिंग अथारीटीज और ६ असिस्टेंट कमिश्नरों की बात है। इसमें सरकार को बताना चाहिये था कि कितने असेसमेंट केसेज हैं, जिन्हें तय होना है, कितनी पहली जगहें थीं और कितनी एडीशनल जगहों की मांग है। जैसा कि इस प्रकार का ब्योरा इंग्लिश रिजीम में दिया जाता था, हमारे सामने आना चाहिये था। केवल एक सूक्ष्म-सा ब्यौरा सरकार की ओर से पेश हुआ है। ग्रांट नं० १५ में देखें, सिविल सप्लाईज में, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सवाल है। नयी फसल आने वाली है। अब कौन-सा मौका आवेगा कि प्रोक्योरमेंट पर इतना खर्च किया जाय? डिस्ट्रीब्यूशन की हालत तो अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताई। कहीं दूकान है तो गल्ला नहीं है और गल्ला है तो दूकान नहीं है। मालूम होता है कि पोलीटीकल करप्शन के आधार पर यह बजट पेश किया गया है।

मान्यवर, माननीय नेगी जी ने इसी सदन में कहा था कि खंडसारी सरप्लस में है ही नहीं, उसे कंट्रोल करके क्या किया जाय। परन्तु आज उसी के कंट्रोल के लिये करीब १ लाख रुपया

[श्री विजयसिंह]

मांगा जा रहा है। ग्रांट नं० १७, एजूकेशन में सरकार ने ८४,००० बचत को यूटीलाइज करते हुये १०० रुपये की टोकेन ग्रांट मांगी है। इसमें लाइब्रेरीज के लिये भी रुपया रखा गया है। इसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि "वैल एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरीज" के लिये उनकी डिमांड पर यह रुपया दिया जा रहा है। जब वैल एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरीज हैं तो कौन-सी इमर्जेंसी इसकी थी और क्या unavoidable बात थी। क्या इसको नये बजट में नहीं लाया जा सकता था, अगर जरूरत थी तो पिछले बजट में इसको रखा जा सकता था। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार का बजट सरकार पोलिटिकल करप्शन की वजह से लाती है और यह Political game है।

इसी प्रकार मेडिकल की ग्रांट में नार्मल ग्रेड एक्सपेंडीचर में रुपया दिखाया गया है। इसको भी अगले बजट में आसानी से लाया जा सकता था। इसी प्रकार पब्लिक हेल्थ में इंजीनियरों के लिये ६ जीपें खरीदी जा रही हैं। जिस प्रकार से और विभागों के आफीसर अपनी अपनी गाड़ियां रखते हैं और उनको उसका एलाउन्स दिया जाता है उसी प्रकार से इनको भी allowance दिया जाय। इस समय आप जीप दे रहे हैं फिर आप उनको ड्राइवर देंगे, फिर पेट्रोल देंगे, इस प्रकार से करोड़ों रुपया आपका खर्च हो जायगा और जनता के धन का अपव्यय होगा। इसके बजट में कोई इमर्जेंसी की बात नहीं थी।

पी० डब्ल्यू० डी० के लिये ४३१ लाख की ग्रांट मांगी गयी है और कहा गया है कि नार्मल स्टैन्डर्ड की सड़कें नहीं रहीं। क्या पहले से आपके इंजीनियरों को यह मालूम न था कि आगे कितनी बड़ी सड़कों की आवश्यकता होगी ? इस प्रकार से नयी नयी ग्रांट मांगी जा रही हैं। होटल में जिस प्रकार से एक रोटी देकर किसी को एंगेज कर दिया जाता है और फिर दूसरी रोटी दूसरे को दे दी जाती है और नये नये ग्राहक को रोक रखा जाता है इसी प्रकार से सरकार भी सप्लीमेंटरी ग्रांट के द्वारा नये नये आईटम्स के लिये Token Grant मांगकर तथा स्वीकृति लेकर आगे के लिये रास्ता साफ कर रही है कि आगे चल कर बजट के समय ज्यादा बातें न सुननी पड़ें। इन सब बातों को देखते हुए यह साफ जाहिर होता है कि यह पोलिटिकल करप्शन है। और सरकार का Finance विभाग inefficient है। इस बजट से जनसाधारण का कोई कल्याण नहीं हो सकता।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे सम्लीमेन्टरी बजट हो या मेन बजट हो, जो सरकार के द्वारा मांग की जाती है उसको आंकने की केवल एक ही कसौटी है कि जितनी रकमों की मांग की गयी है, वह मांग सरकार ने फिजूलखर्ची के लिये की है, शान शौकत को बढ़ाने के लिये की है अथवा प्रदेश के विकास, उसकी प्रगति तथा जनहित के लिये की है। १४ करोड़ रुपये की मांग हमारे सामने इस सप्लीमेन्टरी बजट के द्वारा उपस्थित की गयी है। माननीय विजय सिंह जी यदि गणित की दृष्टिकोण से इसको देखें तो इस १४ करोड़ में ४ करोड़ रुपया सिंचाई के पूंजीगत व्यय के लिये मांगा गया है। यह उस कार्य में खर्च होगा जिसके द्वारा सरकार को सिंचाई रेट के द्वारा रिटर्न मिलेगा। आप एक पूंजी लगा रहे हैं जिससे आपका लाभ होगा, जनता का लाभ होगा, इसमें न तो कोई पोलिटिकल करप्शन है और न कोई धोखाधड़ी की की बात है।

दूसरी मांग जो सबसे बड़ी है वह ३ करोड़ रुपये की है स्टेट ट्रेडिंग स्कीम के लिये, यानी तमाम प्रदेश में खाद्यान्न पहुंचाने, चीनी, आटा आदि जनता तक पहुंचाने के लिये स्टेट ट्रेडिंग का कार्य होगा और इस तरह से तमाम आवश्यक वस्तुओं का इन्तजाम करके जनता को दिया जायगा। इससे जनता को लाभ होगा और पूंजी का रुपया भी सरकार को प्राप्त हो जायगा। इस तरह से १४ करोड़ में ७–८ करोड़ रुपया बिलकुल इसी तरह के खर्च के लिये मांगा गया है जिससे आप जो पूंजी लगायेंगे उसका रिटर्न भी आपको मिल जायगा और विकास के कार्य भी होते रहेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी मांग भी हो सकती हैं जिसका रिटर्न न मिल सके। जैसे एजूकेशन के लिये

७१ लाख रुपये की मांग की गयी है उन डिग्री कालेजों के लिये जिन्होंने तीन-तीन साल तक अपनी क्षमता से उन कालेजों को चलाया है और सरकार को अब उनको ग्रांट देना है। अब उसके लिये भी यदि ७०–७१ लाख रुपये की मांग की जाती है कि उन डिग्री कालेजों को ग्रांट दी जाय तो उसके लिये भी पोलिटिकल करप्शन या लूट की बात कहना मेरी समझ में नहीं आता।

एक बड़ा आइटम २२ लाख रुपये का परिवहन विभाग का है। जेल में कैदियों के लिये कुछ सामान आदि खरीदने के लिये भी २०–२१ लाख रुपये का खर्चा है। इस तरह से १४ करोड़ में ११–१२ करोड़ रुपया इस ढंग का है जिसके लिये किसी प्रकार का एतराज नहीं किया जा सकता। एक माननीय मित्र ने यह आशंका प्रकट की कि इसकी क्या इमर्जेंसी पैदा हो गयी जो सप्लीमेन्टरी के रूप में इतनी बड़ी मांग की गयी है।

अगर आप प्रोजेक्ट्स को देखें तो इस प्रदेश में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने ५ प्रोजेक्ट्स सघन विकास केन्द्र की स्थापना की है और उसके लिये केन्द्रीय सरकार ने भी कुछ रुपया दिया है और प्रादेशिक सरकार का भी उसमें कुछ सहयोग है। एक वर्ष से यह योजना प्रदेश में लागू हो गयी है। इसके लिये मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं कि गाजीपुर जिले में भी इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट खोला गया है। जब ६ करोड़ रुपये की सप्लीमेंटरी ग्रांट्स पर बहस हो रही थी तो मैंने यह आरोप लगाया था कि गाजीपुर के लिये एक पैसा भी ६ करोड़ में हमारे सामने नहीं था लेकिन आज एक पूरा पृष्ठ गाजीपुर जिले के लिये दिया है जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। १५ लाख रुपया तीन प्राजेक्ट के लिये स्वीकृत हुआ था, इस तरह से प्रत्येक प्राजेक्ट के हिस्से में ५ लाख रुपया डिस्ट्रिब्यूशन में आया। लेकिन इस बार केवल १० लाख रुपये की व्यवस्था ही ६३–६४ के बजट में की गयी है। इस ढंग से दो ही लाख रुपया प्रत्येक प्रोजेक्ट को दिया गया है, हालांकि चाहिये यह था कि इस धनराशि को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता। इस के संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि यह योजना जिन जनपद में खोली गयी है उनके खास खास ब्लाक को लेकर ही उनमें सघन औद्योगिक विकास करने का प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन ज्यादा अच्छा होता है कि इस प्रकार की पैरलल स्कीम न चलायी जाती। एक तरफ तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट उद्योग के लिये ऋण की व्यवस्था करता है और कुछ ब्लाक में प्रोजेक्ट की स्कीम के अन्तर्गत ऋण की व्यवस्था उद्योग के लिये होती है। जब इस ढंग की चीज होगी तो जाहिर है कि एफिशिएंटली काम नहीं हो पायेगा। उदाहरण के लिये २, ३ लाख रुपये देने हैं। जिस ब्लाक में प्रोजक्ट है उसको ऋण दे दें तो एक जिले के एक हिस्से में ही सब रुपया बंट जाय और नतीजा यह होगा कि सरकार लाखों रुपये लगा कर जिस जनपद में उद्योग खोलेगी वहां उसकी रकम का सही बटवारा नहीं हो सकता। ज्यादा अच्छा होता कि जहां पर आपका प्रोजेक्ट खुलने को हो वहां आप उद्योग विभाग की ग्रान्ट और प्रोजेक्ट की ग्रान्ट का समीकरण या कोआर्डिनेशन कर दें। इससे रुपए का सदुपयोग हो सकेगा और हर तरह के कामों का विस्तार हो सकेगा और जैसा कि वहां के लोग अनुभव कर रहे हैं कि उद्योगों के ऋण से ठीक से उद्योग के यूनिट नहीं खुल पाते। इस तरह से सरकार विचार करती तो मेरी समझ से ज्यादा अच्छा काम हो सकता था। यह कहा गया कि सप्लीमेन्टरी बजट, जब तक कोई आकस्मिक व्यय न आ जाय तब तक नहीं लाना चाहिये। अब आकस्मिक व्यय की परिभाषा क्या हो सकती है। आप इसमें देखें कि पुलिस के लिये ७२ लाख की मांग रखी गई है, अब उस के व्यय में क्या आकस्मिकता दिखाई पड़ेगी। मुझे भी पहले उस पर कुछ आश्चर्य सा हुआ लेकिन जब मैंने उसके स्मृतिपत्र को देखा तो मुझे मालूम हुआ कि पिछले साल जो पुलिस फोर्स में बढ़ोत्तरी हुई है विशेष संकटकालीन परिस्थिति के कारण, सीमाआदि की रक्षा के कारण उनके वेतन, भत्ता आदि का प्राविजन करने के लिये यह मांग आई है। तो मेरा कहना है कि यदि डिटेल्ड रूप में सब अनुदानों को देखा जाय तो इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो फजूलखर्ची में या सरकार की शानोशौकत के बढ़ाने के लिये रखा गया हो। अधिकतर जनहित में हैं और जो हमारे विकास के कार्य चल रहे हैं उनकी पूर्ति के लिये ही वह रखा गया है और इसलिये किसी को एतराज नहीं होना चाहिये और सदन को उन्हें स्वीकार करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट सदन के समक्ष रखी गई है, मैं समझता हूं कि अभी आप कल ही नये साल का मुख्य आय-व्ययक रखने जा रहे हैं इसके पहले भी आप दिसम्बर में एक सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट पेश किये हैं और आज फिर एक दूसरी सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स को स्वीकृति के लिये सदन में लाये हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप संविधान को पढ़ें और देखें तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेण्ट के समय पेश करना चाहिये था, हो सकता है कि कुछ नया खर्च हुआ हो और नई मदें आपके सामने आई हों, लेकिन अगर बीच में कोई मदें सामने आती हैं तो यह आवश्यक है कि वह खर्च सप्लीमेन्टरी ग्रान्टस के जरिये से यहां लकर आप लायें और उनको सदन की स्वीकृति मिलना चाहिये। आप इस बजट की हर ग्रान्ट को गौर से देखें तो मालूम होगा कि हर विभाग में किसी न किसी रूप में नई मदें बनाई गई हैं लेकिन अगर वही नये बजट में लाई जातीं तो बर्जटिंग पर उससे कुछ अच्छा प्रभाव पड़ता। लेकिन यहां १० प्रतिशत से ऊपर जब सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट लेकर सदन से उसकी स्वीकृति मांगी जाती है तो हमें ऐसी शंका होती है कि बर्जटिंग में कहीं न कहीं खराबी जरूर है। अगर ऐसा न होता तो मूल बजट २०० करोड़ का था उसके बाद दोनों मिलाकर यह सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स २१ करोड़ की हैं। अगर आपका बर्जटिंग अच्छा होता तो इसकी जरूरत न होती। इसके अलावा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मंत्री जी जब भी ग्रान्ट्स लेकर आयें तो उसके साथ विभिन्न व्याख्यायें अवश्य होनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि उस जरूरी चीज को आगे जब भी बजट आये उसे जरूर लाना चाहिये और वह लायेंगे।

दूसरे मुझे यह कहना है कि कोई विभाग सप्लीमेंट्री ग्रांट से छूटा नहीं है, मुझे बहुत से विभागों पर बोलना भी था लेकिन समय कम है फिर भी कुछ मैं इस तरफ इशारा करूंगा। जैसे आपका लेबर डिपार्टमेन्ट है। लेबर डिपार्टमेंट में आप ४,७०० रु० ग्रांट सप्लीमेंट में ले आये और जिसको आप स्वीकार कराना चाहते हैं क्योंकि लेबर वेलफेयर की जरूरत है।

श्रीमन्, जहां तक आप यह महसूस करते हैं कि प्रोडक्शन के लिये श्रम एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट पहलू है और उसकी वेलफेयर के ऊपर खर्च करने की जो भी मैशीनरी है, उसके ऊपर खर्च करने की बात जरूरी है। दूसरी तरफ हम यह भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप अपने कांग्रेस प्रस्ताव को देखें इसमें आपने स्वीकार कर लिया कि हम जनतांत्रिक समाजवाद को अपनाना चाहते हैं। जनतांत्रिक समाजवाद के अपनाने की बात को, मजदूर जो हैं, यह समझते हैं कि सरकार का जो दृष्टिकोण होगा वह समाजवादी दृष्टिकोण होगा, लेकिन ७ अक्तूबर को हाई कोर्ट का फैसला होता है और ७ अक्तूबर के फैसले पर आज तक आपकी सरकार उस हाई कोर्ट के जजमेन्ट के ऊपर कोई निर्णय नहीं ले सकी। श्रीमन्, वह मामला सहजनवा जूट मिल, जो गोरखपुर में है, का सन् १९५३-५४ का है जिसमें १,००० मजदूरों का एक नोटिस देकर एक पोस्ट कार्ड भेजकर हनन कर दिया था। उसमें कोई चार्ज शीट भी नहीं दी थी। श्रीमन्, उसके ऊपर सन् १९५३-५४ से आज १९६४ का जमाना आ गया है मजदूरों को लड़ते-लड़ते और अन्त में मजदूर यूनियन ने हाई कोर्ट से निर्णय पाया और हाई कोर्ट ने यह साफ तरीके से जजमेन्ट दे दिया कि सरकार को और उसके अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं था कि इस मामले को एडजुडीकेशन में न भेजा जाता। जस्टिस धवन ने ७ अक्तूबर को फैसला दिया कि लेबर कमिश्नर को कोई अधिकार नहीं था इस मामले को डिपाजिट करने का। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें पूरी साजिश सरकारी अफसरों, सरकारी कर्मचारियों और मिल मालिकों की है। इस पर सरकार को गौर करना चाहिये। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री को खुद एक पत्र भेजा, लेबर मिनिस्टर साहब से मिला, लेकिन आज तक हमें केवल माननीय मुख्य मंत्री का पत्र मिला कि वे मामले पर गौर कर रही हैं। क्या नतीजा हुआ? क्यों मामला ऐडजुडिकेशन में नहीं भेजा गया? यह हाल तो श्रम विभाग का है जिसके लिये आप उपरोक्त ग्रान्ट लाये हैं।

दूसरा आपका विभाग है फूड डिपार्टमेन्ट। अभी हम माननीय नेगी साहब से मिले ५ तारीख को और उनसे प्रार्थना की कि शिवरात्रि के पर्व पर हलवाइयों को स्पेशल कोटा दिया जाय। प्रदेश भर में सरक्युलर घुमाया गया कि शिवरात्रि के लिये स्पेशल चीनी का कोटा दिया जायगा। सारे प्रदेश की जनता को विश्वास हुआ होगा कि उनके सरक्युलर का उनके अधिकारी पालन करेंगे। हलवाई एसोशियेशन के लोग जब मंत्री जी से मिले तो उन्होंने बताया कि सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को सरक्युलर भेज रहे है और आपको भी स्पेशल चीनी का कोटा मिल जायगा। उपाध्यक्ष जी, मुझे उनका एक तार मिला कि उन्हें कोई स्पेशल कोटा नहीं मिला। सरक्युलर से यह हुआ कि कोटा मिलेगा। अखबारों में छप गया। यह हाल हमारे फूड विभाग का है। इससे आप देख रहे हैं कि जिला हमीरपुर में भूखी जनता ने मार्च कर दिया और आपको लाठी चार्ज करना पड़ा और गिरफ्तारियां करनी पड़ीं। सेक्रेटेरियट में बैठे हुए सेक्रेटरीज पर अगर आपने नियंत्रण नहीं किया तो लाखों सर्कुलर निकालने पर भी उनका फायदा जनता तक पहुंचने वाला नहीं है।

माननीय खाद्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उनके सेकेटेरियट की कम्पलीट ओवरहालिंग की जरूरत है वर्ना आज जो जनता भूख की ज्वाला से पीड़ित है उसकी आग को आप दबा नहीं सकेंगे और जब वे ऐसा खर्च लाये हैं तो इस तरफ भी ध्यान दें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स पेश की गयी हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। विरोधी दल की ओर से जो भाषण हुए उनको मैंने सुना। यह जो फाइनेन्स की व्यवस्था है उसमें सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स का आना नार्मली एक रोटीन वर्क है।

इस बात को मैं मानता हूं कि डेवलपमेन्ट का जमाना है और यह बहुत आसान नहीं है कि हर चीज को पहले से फोरसी कर लिया जाय। प्रश्न यह नहीं है कि कौन-सा ऐसा हेड गलत है और इसमें फिजूलखर्ची होगी या नहीं होगी सवाल यह होता है क्या वे खर्च पहले से फोरसी किये जा सकते थे। आज सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स को १२ तारीख को पेश किया जा रहा है और कल १३ तारीख को वित्त मंत्री नया बजट पेश करेंगे। बीच में २४ घंटे का अन्तर है। इसमें जितनी मदें हैं उनका अपना महत्व है। कुछ चीजें ऐसी है कि कीमतें बढ़ गयीं जिससे एस्टिमेन्ट बढ़ गया। प्लानिंग कमीशन ने भी कह दिया है कि साढ़े १२ परसेंट कीमतों की बढ़ोत्तरी को रख कर एस्टिमेट बनाया जाय। मैं नहीं जानता कि कीमतें साढ़े १२ परसेन्ट बढ़ी हैं या कितनी बढ़ी हैं। जो स्टटेमेन्ट दिया गया उसके हिसाब से ८ परसेन्ट कीमतें बढ़ने की बात कही गयी थी। इसमें जो सालाना तरक्की होती है उसके लिये भी पैसा मांगा गया तो मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि यह बात सोचने की है कि विभाग के अन्दर जो काम होता है, जो उनकी प्लानिंग है वह बहुत अच्छी नहीं है। वैसे बहुत-सी अच्छी चीजें इसमें हैं। ४ करोड़ रुपये सिंचाई पर खर्च होंगे। ३ करोड़ से अधिक स्टेट ट्रेडिंग पर खर्च होंगे। इसके साथ स्पिनिंग मिल्स तथा फैक्टरीज खोलने की बात भी है। यह महत्वपूर्ण बातें हैं लेकिन जो बुनियादी बात देखने की है वह यह कि वित्त का सही नक्शा हमारे सामने आना चाहिये। १०० रुपये टोकेन ग्रान्ट के मांग लिये और ढाई लाख खर्चा दिखा दिया और कहा कि सेविंग से मीट कर लेंगे। तो विभाग के अन्दर कोई सेविंग नहीं होती। सेविंग के मानी हैं जो पैसा खर्च न हो सके। इसमें यह पता नहीं चल पाता कि किन स्कीमों को काटा गया और किन में पैसा खर्च किया गया। उसकी प्रायोरिटी क्या थी, वह ज्यादा इम्पार्टेन्ट स्कीम थी या अब जो स्कीम है वह ज्यादा इम्पार्टेन्ट है। इसलिये हमारे सामने साफ नक्शा आना चाहिये जिससे यह पता चल जाय कि जो पैसा बचेगा वह कहां से बचेगा और अगर वह काम इतना इम्पार्टेन्ट नहीं था तो बजट में उसको इन्क्लूड क्यों किया गया था। प्लानिंग के माने यह हैं कि डिपार्टमेन्ट के सामने एक कट एन्ड ड्राइड नक्शा हो कि इतना काम हमें करना है। फिर हमने पी० ए० सी० में यह भी देखा

[श्री नवलकिशोर]

कि सप्लीमेन्टरी ग्रांट लेने के बाद भी पैसा खर्च नहीं होता है और डिपार्टमेन्ट को उसे सरेन्डर करना पड़ता है। सप्लीमेन्टरी ग्राट लाये, उसमें कोई आपत्ति नहीं है मगर डिपार्टमेन्ट का जो तरीका है कि उनको जितना कांशस होना चाहिये ओरिजिनल बजट बनाते वक्त, उतना कांशस वे नहीं होते हैं, यह ठीक नहीं है। मैं डिटेल्स में तो जाऊंगा नहीं, मगर बहुत सी स्कीम्स ऐसी हैं जिनके लिये फरवरी में पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ तो स्कीमें ऐसी हैं जिनमें गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने पैसा देने का वायदा किया है। उसका मैं स्वागत करता हूं। जब गवर्नमेन्ट आफ इंडिया वायदा करे तो फिर तो हमको जरूर उन स्कीमों को लेना चाहिये। एक स्कीम इसमें ऐसी भी आयी जिसमें गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने वायदा किया था और वह स्कीम थी शायद टेस्टिंग आफ बुल्स की और बाद को पता चला कि उसने देने से इन्कार कर दिया। एक और मद इसमें है कि ६८ पंखे खरीदे जायंगे। अब वित्त मंत्री जी इत्तफाक करेंगे कि जो कल बजट आने वाला है उसमें भी अगर इसके लिये प्राविजन होता तब भी शायद अप्रैल या मई में पंखे खरीद सकते थे। यह मैंने एक मिसाल दी क्योंकि डिपार्टमेन्टस को इस बात का बड़ा विश्वास है कि हम जो चीज लिख देंगे वह यह हाउस पास कर ही देगा। यह बात देखी गयी है कि एस्टीमेट्स बनाते वक्त जितने साइंटिफिक ढंग से सोचना चाहिये उतना वक्त वे देते नहीं हैं।

एक आध बात मैं और कहूंगा और वह यह कि शायद गंगवार जी ने मुआवजे की बात कही। उनका कहना था कि रबर फैक्टरी वालों को, किसानों को कम मुआवजा देना पड़ा और हवाई अड्डे वालों को ज्यादा दिया गया। मैं उसके डिटेल्स नहीं जानता लेकिन यह प्रश्न बहुत दिनों से है कि मुआवजे का कानून बहुत आउट मोडेड हो गया है और प्लानिंग अगर किसान के सिर पर ही होगी तो बहुत उचित नहीं होगा। तो मैं वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि मेहरबानी कर के कानून को बदल दीजिये और जो आजकल बाजार भाव जमीन का है उससे चाहे दो, चार पैसे कम दे दीजिये मगर मुनासिब कीमत देना नितान्त आवश्यक है। इस पर मुझे और कुछ कहना नहीं है। गंगवार जी को मालूम पड़ा कि सरकार में बुद्धि की कमी है। तो उन्हीं के पास बुद्धि का ठेका नहीं है। इसमें बुद्धि की बात भी नहीं है, फैक्ट्स की बात है। बहुत से आइटम्स जरूर ऐसे थे जिनको अगर हम छानें तो बजाय सप्लीमेन्टरी के कल के बजट में पेश कर सकते थे। इसलिये मैं वित्त मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा सा डिपार्टमेन्ट्स को टाइटेन करें ताकि उनकी डिमांड्स वक्त पर आयें।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, इस अनुपूरक मांग के ऊपर वित्त मंत्री जी के सम्मुख कुछ अपने सुझाव मैं भी रखना चाहता हूं। जैसा कि पहले के वक्ताओं ने कहा, अभी दो महीने पहले दिसम्बर में ६ करोड़ ३९ लाख के लगभग अनुपूरक मांग मांगी गयी थी और अभी दो महीने भी नहीं बीत पाये कि उससे दुगुने से भी अधिक की अनुपूरक मांग मांगी गयी है।

श्रीमन्, मैं मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं कि आज जब भौतिक उन्नति और विकास के युग में अपना देश हर तरह से पिछड़ा हुआ है, हमारे देश का महत्वपूर्ण अंग हमारा उत्तर प्रदेश है जिसमें हम योजनाबद्ध ढंग से उन्नति के काम १२-१३ साल से करते चले आ रहे हैं, किन्तु अब भी आपका बजट बुद्धिमत्ता और तत्परतापूर्ण वित्तीय ढंग से नहीं चल पा रहा है, यह मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। हमारे संविधान के २०५ अनुच्छेद में अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया गया है कि किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के वास्ते व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिये अपर्याप्त पाई जाय तो अनुपूरक मांग की जा सकती है अथवा उस वर्ष के वार्षिक वित्त विवरण में अवेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है तो अनुपूरक मांग की जा सकती है अथवा किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा के लिये अनुदान की गई

राशि से अधिक धन व्यय हो गया है तो अनुपूरक मांग की जा सकती है। अनुपूरक मांग करना यह अपवाद की बात है। यह सही है कि आपका राज्य बहुत बड़ा है और इसके लम्बे-चौड़े खर्च हैं, आपके अनुमान संतुलित नहीं हो सकते हैं, लेकिन वित्त मंत्री जी और अन्य मंत्रियों का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि संतुलित बजट बनाया जाय। यदि न बन सके तो अनुच्छेद २०५ में तीन मदों के ऊपर अनुपूरक मांग की जो छूट दी गई है और जो अपवाद के रूप में होना चाहिये उसके मेल में अनुपूरक मांग की जाय। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसका सहारा लेकर आप अविचारित बजट बनाते हैं और आप लापरवाही के साथ राजस्व की आय और व्यय का अनुमान और लेखा जोखा ठीक ढंग से नहीं करते हैं और जैसा चाहते हैं बजट बना देते हैं क्योंकि संविधान ने आपको अनुपूरक मांग की छूट जो दे रखी है। इस साल दो महीने के भीतर दो बार अनुपूरक मांग मांगनी पड़ी है और इसको आप एक सामान्य चलन ही नहीं बना रहे हैं बल्कि जोरदार बनाना चाहते हैं। यह एक तरह से संविधान के साथ बहुत अच्छा कार्य नहीं किया जा रहा है और जनतांत्रिक निश्चित रूप से नहीं है।

श्रीमन्, बजट को बुद्धिमता से बनाना चाहिये और आय-व्यय के लेखा-जोखा का काम ठीक ढंग से होना चाहिये। इसके आधार के लिये सरकार ने एक 'बजट मैनुअल' बनाया है और उसमें बजट बनाने के कुछ निर्देश दिये गये हैं कि किन-किन बातों का ध्यान रख कर बड़ी सावधानी से विचार करके संतुलित बजट बनाना चाहिये। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को बताऊंगा कि एक जगह इसमें लिखा हुआ है कि बजट के आय के अनुमान में होने वाली अतिरिक्त धन की व्यवस्था उसी हद तक वित्तीय अनियमितता है जिस हद तक स्वीकृत धनराशि से अधिक धन व्यय हो जाना। आप अगर कोई आय राजस्व की अनुमानित करें और कम हो या अधिक हो तो वह भी उतना ही अनियमित कार्य है जितना कि आप स्वीकृत धनराशि से अधिक धन व्यय करें। यह स्थिति कभी-कभी गम्भीर परिणाम उत्पन्न कर सकती है जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये। हर साल हम बजट में देखते हैं कि हम आय-व्यय का अनुमान ठीक नहीं लगा पाते जिसके कारण हमने देश की गरीब जनता पर, शोषित जनता पर जो कि अनेक प्रकार की दैवी आपदाओं से, सरकार के अविचलित कार्यों के कारण त्रस्त है, और जिसकी कमर टूट रही है उस पर अतिरिक्त और नये कर लगाये और दूसरी ओर अपना व्यय ठीक से न कर सके। नतीजा यह होता है कि आप एक ओर कर लगाते हैं, जनता की कमर टूटती है, दूसरी ओर किन्हीं-किन्हीं विभागों में अनुमान से अधिक व्यय करते हैं और किन्हीं-किन्हीं विभागों में लापरवाही के कारण खर्च नहीं हो पाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि वर्ष के अन्त में धनराशि कहीं समर्पित न करनी पड़े इस लिये अन्धाधुन्ध खर्च करते हैं। हर साल लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन आया करता है। उसमें भयंकर त्रुटियां मिलती हैं। अभी ३० अक्तूबर, १९६३ का जो प्रतिवेदन आया है समिति ने बड़े दुख के साथ एक बात कही है "समिति को यह लिखना पड़ता है कि कुछ अधिकारी जो समिति के समक्ष उपस्थित हुये पूर्ण रूप से तैयार होकर नहीं आये थे जिस कारण मामले के तथ्यों की यथावृत जांच करने में समिति को कठिनाई हुई। अधिकारियों को पूर्ण रूप से तैयार होकर समिति के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता को समिति और अधिक जोर नहीं दे सकती"। किसी विभाग का अधिकारी गलत बजट बनाये और समिति उस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के लिये उस अधिकारी को बुलाये और अधिकारी स्पष्टीकरण न कर सके यह बुरी बात है समिति के सदस्य अपनी-अपनी अक्ल लगाते हैं और तथ्य को ढूंढ़ने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी समिति को कठिनाई हो, यह बड़ी दुख की बात है। जो स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं उनको विभागीय अधिकारी नहीं दे पाते हैं समिति ने इस तरह की परिशिष्ट ४५ में ७१ भयंकर त्रुटियों की ओर संकेत किया है, जो रोमांचकारी हैं। उसमें से एक बात बता देना चाहता हूं : "विभागों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से समिति को संतोष नहीं है क्योंकि यह कठिनाइयां ऐसी नहीं थीं कि जो कि विभागों की दृष्टि में न आ सकती हों अथवा जिस पर बजट मैनुअल में लिखित प्राविधानों का अनुसरण करके और विभिन्न प्रक्रमों को उचित रूप में शृंखलाबद्ध करके विजय न पायी जा सकती हो। जब किसी योजना में प्राविधिक अथवा अन्य प्रकार के कर्मचारि-वर्ग

[श्री रघुनाथसिंह]

को लगाना हो और कठिनाइयों के आने की सम्भावना हो तो आय-व्ययक में प्रबन्ध अल्प अवधि के लिये यह समाविष्ट करना चाहिये। समिति ने यह देखा है कि बहुत से विभागों में यह प्रवृत्ति है कि वे योजनाओं अथवा समारम्भ को पूर्ण करने की प्रारम्भिक कार्यवाहियों को किये बिना ही अथवा उनको समय के अन्दर पूर्ण करने के लिये अपनी सामर्थ्य का अनुमान लगाये बिना ही वे विधान मंडल से बड़े-बड़े वित्तीय अनुदानों की मांग करते हैं।

"समिति इस प्रवृत्ति को अत्यन्त निन्दनीय समझती है। वित्त सचिव ने समिति को आश्वासन दिया है कि आय-व्ययक में वित्तीय प्राविधान समाविष्ट करते समय अब और सुदृढ़ नियंत्रण रखा जाता है। समिति दत्तचित्त से इस आश्वासन के प्रतिफल की प्रतीक्षा करेगी"। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप अपने बहुमत के बल पर बजट तो पास करवा ही लेंगे, जो-जो अनुदान मांग हैं वह तो पास हो ही जायेंगे। आप चाहें तो हर महीने अनुपूरक अनुदानों की मांग पास करा सकते हैं क्योंकि आपको पार्टी का अनुशासन प्राप्त है और आपकाबहुमत है। लेकिन जब सरकार ने जब यह लोक लेखा समिति बनायी है, उस पर इतना पैसा खर्च करती है, इतनी बड़ी पोथी में वह अपनी रिपोर्ट देती है, तो सरकार इस पर ध्यान देकर कोई वैधानिक कार्यवाही करे और जिसका दोष पाया जाय उसको आप दंड दें ताकि आपका बजट सुधार की ओर जाय और जनतांत्रिक पद्धति में आप काम कर सकें। जो आपकी समाजवाद लाने की बात है, वह तो पता नहीं आप कब ला पायेंगे, लेकिन जो कुछ काम करें वह ठीक से करें।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा जो सप्लीमेंटरी बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ मशविरा भी वित्त मंत्री जी और उनकी सरकार को देना चाहता हूं। निवेदन यह करना है साल का जो बजट बनता है उसके अब २०० करोड़ से कम होने की उम्मीद नहीं है और इस सदन में ४३१ सदस्य बैठते हैं और इसमें केवल माननीय वित्त मंत्री और सरकार के सदस्य ही बजट को जानते हैं। मेरे खयाल में इस सदन के हर कोने में बैठने वाला सदस्य कोई सदस्य यह नहीं जान पाता है कि इस पूरे बजट में हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत आदि जिलों को क्या मिलने वाला है। इनमें क्या विकास और क्या निर्माण का काम होगा। वित्त मंत्री जी के मातहत पूरा प्रदेश है इसमें एक तरफ के लिये बड़ी तेजी है भारत सरकार में, पार्लियामेन्ट के मेम्बरों में, विधान सभा के मेम्बरों में, चाहे यहां या वहां वे विरोधी पक्ष में हों अथवा सरकारी पक्ष में, लेकिन उन सबकी राय एक हो जाती है। उसके लिये समर्थन तो हमारा भी है कि पिछड़े हुये प्रदेश को आप सम्हाल लें, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा रंज भी है। यहां पूर्वी और पश्चिमी प्रदेश की ओर तो सरकार का बड़ा ध्यान है, लेकिन यह अवध के जो १२ जिले हैं, जहां ताल्लुकेदारों ने और जमींदारों ने काश्तकार की रीढ़ तोड़ रखी है और वह अभी तक सिर नहीं उठा पाया है, उस पर माननीय वित्त मंत्री और हमारी सरकार का ध्यान कुछ विशेष रूप से नहीं गया है। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी और उनकी सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुराने ताल्लुकेदारों और जमींदारों के सताये हुये अवध के लिये आप एक आर्थिक कमीशन मुकर्रर करें और वह देखें कि इसमें कितना ऐसा इलाका है कि जो ताल्लुकेदारी का मारा हुआ है। मुझे माननीय वित्त मंत्री जी से यह भी निवेदन करना है कि इस प्रदेश में आज हजारों फर्जी ट्रस्ट बन गये हैं और उनके मालिक वे ही ताल्लुकेदार और जमींदार आज तक बने हुये हैं और इलाके के इलाके उन ट्रस्टों के मातहत आज मौजूद हैं इन ट्रस्टों पर सरकार कानूनन कोई कार्यवाही नहीं कर सकती अथवा वह करना नहीं चाहती, यह मुझे नहीं मालूम। मेरा अपना खयाल है कि अवध के ताल्लुकेदारों ने, दो दर्जन फर्जी ट्रस्ट खड़े कर लिये हैं और अगर उनकी आमदनी और खर्च को देखा जाय तो मालूम होगा कि ताल्लुकेदारी और जमींदारी खत्म होने के बाद आज भी अवध के किसान का शोषण ज्यों का त्यों जारी है जैसा कि पहले था।

दूसरी बात जिसकी ओर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी और उनकी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि कल आप बजट पेश करेंगे साल भर का और यह है सप्लीमेंटरी बजट। एक बात माननीय वित्त मंत्री जी आपको अच्छे तरीके से विदित हो गई कि यह प्रदेश कृषि प्रधान देश है और कृषि करने वाले आज खून के आंसू बहा रहे हैं। खरीफ की फसल सैलाब के खाते गई और रबी की फसल पाले क खाते गई। अब काश्तकार साल भर तक जब तक, कि नई फसल न मिले क्या खायेगा? कैसे अपना पैसा अदा करेगा और कैसे जो तमाम आपके कर के बोझ उसके कंधे पर लदे हैं, उनको अदा करेगा? यह मैं स्वयं नहीं समझ पाता। माननीय वित्त मंत्री जी महान तजुर्बेकार रहनुमां और नेता हैं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी बजट में आप कृपा करके काश्तकार के ऊपर पैसा बढ़ाने का इरादा न कीजिये। यह मैं माननीय वित्त मंत्री जी आपसे व आपकी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कामनमैन के ऊपर किसी कीमत पर भी एक नये पैसा कर बढ़ाने का आपका इरादा न हो और अगर आपका इरादा हो तो उसे बदल दें। उत्तर प्रदेश का कामन मैन, जिनमें ७०, ७५ फीसदी काश्तकार हैं आज कर का बोझ नहीं झेल पायेगा। उसके कन्धे बिलकुल दबे हुये हैं। अगर आप और बोझ लादते हैं तो कामनमैन की क्या हालत होगी यह भगवान् जाने। आप ४० साल से इस प्रदेश के और देश के नेता हैं आप स्वयं अच्छी तरह से इसको समझते होंगे। श्रीमन्, करोड़ों रुपया आपको काश्तकारों के लगान में छोड़ना है और बगैर काश्तकार के लगान में छूट मिले उसके लिये कोई सम्भावना नहीं है कि उसकी गाड़ी चल सके। जिस तरह से कृषि को पाले ने मारा है उसके लिये ऐसा करना जरूरी है। आपको करना यह है कि सारा पैसा आपको कृषि, सिंचाई और उद्योग इन तीनों से लाना है। अगर सप्लीमेंटरी बजट में आपने यह कह दिया होता कि पाले से मारे हुये काश्तकारों के लिये हमें ५,१० करोड़ रुपया निकाल कर आगे ले लेना है तो मैं इसका स्वागत करता। जिन काश्तकारों को सताया गया है और पाले से जिनकी फसल मारी गयी है उनके लिये आप जरूर ध्यान रखें।

एक बात मैं अपने जिले हरदोई के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मैं पहले भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। हरदोई जिला उनका घूमा हुआ जिला है ९, ९ नदियां हरदोई जिले में हरसाल सैलाब लाती हैं। अब रबी भी चली गई है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि हरदोई जिले में अगर आपने टेस्टवर्क नहीं चालू किये तो चैत के महीने में जब देश में हंसिया चलेंगे तो हरदोई जिले का क्या होगा? वह जिला एक क्रिमिनल जिला है। आपने बजट में उसका विचार करके इन्तजाम नहीं किया? ठाकुर हरगोविन्द सिंह जी को इस असेम्बली में जवाब देना मुश्किल हो जायगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरदोई जिले में प्राम्ट टेस्ट वर्क आप शुरू कर दें ताकि वहां आगे आने वाली भुखमरी और लालेसनेस से लोगों की हिफाजत हो सके। मुझे आशा है कि जो बजट आप ला रहे हैं उसमें उन बातों का आप लिहाज रखेंगे। भुवनेश्वर प्रस्ताव को इस बजट में बहस में नहीं लाया जा सकता है। वह तो अगले साल के बजट में आयेगा। यह आपका १९६४–६५ का साल टेस्ट इयर है और अगर उसमें आप भुवनेश्वर प्रस्तावों पर तवज्जह नहीं देते और किसान मजदूरों की ओर ध्यान नहीं देते तो बड़ी विषम स्थिति पैदा हो सकती है। मैं समझता हूं कि वह उत्तर प्रदेश की सरकार के लिये एक प्रकार का आदेश है। आप जैसा चाहें इंटरप्रेटेशन करें। मैं समझता हूं कि भुवनेश्वर प्रस्ताव में किसान मजदूर की जिन्दगी है। अगर आप उसे कार्यान्वित कर सकें तो साल दो साल में हम इस प्रदेश का नक्शा बदल सकेंगे और इसे समृद्ध बना सकेंगे।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको समय देने के लिये धन्यवाद देता हूं। मैं देख रहा हूं कि यह सप्लीमेंटरी बजट उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि मिनिस्टरों का बजट है। वे आपस में बंटवारा कर लेते हैं और कुछ रकम दिखाने के लिये इधर-उधर के जिलों में बांट दी जाती है, लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

ज्यादातर वह अपने जिले में ही खर्च होती है। इसके अतिरिक्त सप्लीमेंटरी पेश करने की यहां एक परिपाटी चली आ रही है और मैं नहीं समझता कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है। इनकी संख्या भी बहुत अधिक हो गई है जो मैं समझता हूं कानून के खिलाफ है। पहला दिसम्बर में पास हो गया तो फिर यह दूसरा हमारे सामने है। इसमें एक तरफ तो बचत होती है और दूसरी तरफ घाटा दिखाया जाता है। बचत इसलिये होती है कि जिन विभागों को पैसा दिया जाता है उसे वे खर्च नहीं कर पाते। सरकार खर्च पूरा करने के लिये टैक्स लगाने को मजबूर होती है। विभाग ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन का नाम लेकर रुपया खर्च नहीं करते और नतीजा यह होता है कि ३१ मार्च के बाद फर्जी रसीदें ले कर तमाम रुपया खर्च किया जाता है और रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। दूसरे, पूर्व और पश्चिम का सारा झगड़ा सरकार ही लगाती है और वही इसके लिये भी जिम्मेदार भी है। पी० डब्लू० डी० में पूर्व के लेबर और मेट की तनख्वाह, पश्चिम के लेबर और मेट की तनख्वाह से भिन्न है। ३७ रुपया पूर्व में मिलता है और ४७ रुपया पश्चिम में मिलता है। मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री से इस बारे में बात की तो बतलाया गया कि यह लोकल वेजेज पर आधारित रेट्स हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह पूर्व और पश्चिम का झगड़ा इस प्रकार यह सरकार ही नहीं लगा रही है? जब वेजेज में भिन्नता है तो मैं नहीं समझता कि इस सरकार ने या माननीय मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की इस भेदभाव को मिटाने के लिये? अगर आप इसको मिटाना चाहते हैं तो आप एक उदाहरण पेश कीजिये और आप अपने लेबर विभाग में लेबर का एकीकरण कीजिये और इस भेदभाव को मिटाइये।

आज राजस्व विभाग की बात सबेरे जब मैं बता रहा था, तो मैंने देखा कि इस शीतकाल से जो गड़बड़ी हुई है उसमें नयी नयी बातें सामने आयी हैं। जो कारनामें आपके हैं, उनको आपने कबूल किया है।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

कारनामें भगवान के हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

आपके ही हैं, इसीलिये आप पटवारी की जो रिपोर्ट होती है उसी पर अपनी मोहर लगा देते हैं उसी का यह दुष्परिणाम आज किसान भोग रहा है। श्रीमन्, फसल का जो नुकसान हुआ उसको हर आदमी जानता है। मगर सवाल यह है कि जो फसल मौजूद है उसको बचाने के लिये आपने क्या किया? जिन खेतों में सिंचाई हो गयी थी, उनमें असर कुछ कम हुआ है, मगर जिन पर असर हुआ है अगर उनकी सिंचाई फौरन हो गई होती तो बहुत कुछ अनाज तो बचाया जा सकता था। मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री सिंचाई विभाग को यह आदेश दे दें कि कोई भी किसान यदि पानी ले तो उसको मुफ्त पानी दिया जाय। अगर आप मुफ्त सिंचाई की इस समय व्यवस्था कर देंगे तो बहुत कुछ मौजूदा फसल को बचाया जा सकेगा। इसलिये आप फौरन इसकी व्यवस्था करें, यह मेरा आपसे निवेदन है। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा।

दूसरी बात मैं चकबन्दी के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। चकबन्दी के संबंध में आपसे एक कान्ट्रेक्ट था। अंग्रेजों के जमाने में जो चकबन्दी हुई थी, जो बन्दोबस्त का काम हुआ था वह कितना बढ़िया था। अगर कोई जमीन किसी दूसरे खेत में चली जाती थी तो उसका फौरन पता चल जाता था। लेकिन आज जितने चक बनाये गये हैं उनमें कुछ पता नहीं चलता। आज यह पता नहीं चल पाता कि किसका चक कहां है। किसी की हद का आज पता नहीं चल पाता। अगर आप यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि उनका ठीक तरह से नाप हो, तो मेरा निवेदन है कि जो नकशा आपने बनाया है उसके मुताबिक चकों को मौके पर लोगों को दिलवा दिया जाय। आपने जनता से पैसा लिया है और एक कान्ट्रेक्ट किया है। इसलिये आपका फर्ज

है कि नक्शे के मुताबिक आप उनको चक दिलवायें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उन किसानों के साथ बड़ा अन्याय करते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि जो नक्शे आपके मौके पर बने हैं हर गांव में उनके मुताबिक आप चकों को ठीक करवा दीजिये। इस बजट में गाजीपुर का नाम केवल उद्योग में है। इसके बारे में उद्योग विभाग की ओर से कुछ और काम भी हो रहे हैं। उनको एक साथ मिला दिया जाता तो ज्यादा फायदा हो सकता था और एक अच्छा उद्योग कायम हो सकता था और उससे लोगों का कुछ फायदा भी हो सकता है। देखा यह जाता है कि उद्योगों के लिये जो रुपया रखा जाता है उसका अधिकांश भाग कर्मचारियों पर खर्च कर दिया जाता है। वहां से पैसे को बचाकर अगर उद्योग पर ज्यादा खर्च किया जाय तो जनता की अधिक सेवा हो सकती है।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी बजट पर अपने विचार रखने के लिये जो आपने मौका दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे बहुत से मित्रों ने कहा कि इस तरह से सप्लीमेंटरी बजट लाना गैरमुनासिब है। एक राज्य में हर समय नयी नयी प्रकार की चीजें आती रहती हैं और नयी नयी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं इसलिये उन सब परिस्थितियों को जानना बड़ा कठिन होता है। अगर वाकई कोई जान सकता है तो वह बधाई का पात्र है। एक मित्र ने कहा कि यह बजट के २४ घंटे पहले ही लाया गया है। मुझे उनसे ऐसी बात सुनकर खेद हुआ। अभी तो २ महीने शेष हैं और बहुत से कामों को पूरा करना है। अगर आप कोई पैसा खर्च कर डालते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है।

बहुत से मित्रों ने इस बजट की सारी जिम्मेदारी वित्त मंत्रीजी पर ही डाली लेकिन उनको मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वित्त मंत्री तो केवल हरएक विभाग को मिलाकर एक खरीता रख देते हैं। वह सारे रुपये को खुद बैठकर खर्च नहीं करते। यह बात सही है कि वे खर्चे पर नियंत्रण कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन बिना इस चीज को समझे हुये यह कहना कि खर्चे की जो मदें आयीं हैं वे सब गलत हैं, उचित न होगा।

हमारा सूबा एक कृषिप्रधान सूबा है। उसका मुख्य आय का स्रोत कृषि है। लेकिन कृषि के ऊपर, बाढ़, ओला और पाला आदि दैवी आपदायें बराबर आ रही हैं। फिर भी यह बात सही है कि हमको चाहिये कि अपने बजट पर नियंत्रण रखने के लिये पहले से सावधान रहें। फिर भी हमारे प्रदेश के सामने अभी जो चाइनीज इनवेजन हुआ, हम तो फ्रांटियर पर थे, हमारे सामने पी० ए० सी० की नयीफोर्सेज या लड़ाई के लिये औ चीजों की तैयारी या वहां पहाड़ों पर आवागमन के साधन वगैरह की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया। चाहे बाकी और प्रदेश जो नीचे के हैं, उनको तो बाद को तैयार होना था, उसके लिये हमें सबसे पहले तैयार होना पड़ा, लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता कि क्यों ऐसे पैसे खर्च कर डाले। साथ ही यह बात सही है, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि जब पब्लिक एकाउंट्स कमेटी बैठती है वह देखती हैकि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत से पैसे मांग लेते हैं और उन्हें खर्च नहीं कर पाते। खैर, मुमकिन है कि ऐसा पहले किसी ने सोचा हो कि इतना खर्च होना है, और उसे खर्च न कर सका हो और फिर वह चीज आपके सामने आ गयी कि रुपया उसने बचा कर रख दिया है, तो हम उसको नहीं कहेंगे कि अपव्यय हुआ या गबन हुआ। ऐसी परिस्थिति में आप जो देख रहे हैं कि आय व्यय का संतुलन गलत है, मेरी समझ में यह बात नहीं आयी। यह बात जरूर सोचने की है कि जो खर्च जिस मद के लिये सोचा गया था उसके लिये उस खर्चे का सही उपयोग हुआ या नहीं। ऐसी चीजें भी सामने आती हैं कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स या जो उसके विचार करने वाले होते हैं, उनके विचार पर यह निर्भर करता है। हमारे सामने एक उदाहरण है।

वरुणा नदी में एक रेगुलेटर इस दृष्टि से बनवाया गया कि गंगा से जो पानी पीछे की ओर आता है उसको रोका जा सके। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा में कच्चा बांध बना कर १० फीट पानी जहां रोका जाता था वहां अब १५ फीट पानी रोकने की आवश्यकता समझी गयी। वहां पानी

[श्री ऋषिनारायण शास्त्री]

रोक कर दोनों किनारों पर काफी सब्जी तैयार होती है लेकिन उस समय से लेकर आज तक उसका उपयोग नहीं हो सका। इसके लिये हमने सरकार का ध्यान उस तरफ जरूर आकृष्ट किया और सरकार ने आश्वासन दिया कि उसका उपयोग सही तरीके से करायेंगे।

इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रदेश के भीतर बहुत सी महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिन पर सरकार काफी खर्चा करती है और उनकी मेनटेन भी कर रही है। हमारे सामने एक पंचक्रोशी रोड बनारस में है जो न बनारस की रोड है, न तो यू० पी० की रोड है, समस्त हिन्दुस्तान के आदमी उस पर चलते हैं। खास तरीके से जिस साल अधिक मास होता है, जैसे इस साल चैत से अधिक मास लगने वाला है, तो उस समय लाखों यात्री तमाम हिन्दुस्तान से आयेंगे, वहां बहुत थोड़ा सा रकबा उन लोगों के ठहरने के लिये है। जो वहां की जिला परिषद् है उसके साधन इतने सीमित हैं कि अगर वह चाहे भी तो वहां की सफाई का माकूल इन्तजाम नहीं कर पाती जिससे भयंकर बीमारी फैलने का अन्देशा बराबर बना रहता है। हमारे प्रदेश की सरकार को चाहिये कि वह केन्द्रीय सरकार से कहे कि ऐसी महत्वपूर्ण चीजों की जिम्मेदारी वह ले। केवल हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि बाहर के भी आदमी कभी कभी वहां घूमने के लिये आते रहते हैं ऐसी महत्वपूर्ण चीजों को इस तरह से लावारिस की तरह से सरकार को नहीं छोड़ देना चाहिये। पंचक्रोशी सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है जहां हिन्दुस्तान के सभी स्टेट्स के और ज्यादातर दक्षिणी भारत के जितने स्टेट्स हैं वहां से बहुत से लोग आते हैं और वहीं के कुछ लोगों ने वहां धर्मशालायें बनवा दी हैं लेकिन उनको मेनटेन करने वाला कोई नहीं है।

सारी स्टेट खत्म हो गई, जमीदारी खत्म हो गई और उसकी जिम्मेदारी सिवा सरकार के और कोई नहीं उठा सकता क्योंकि वहां बहुत से यात्री आयेंगे ही। साथ यह जो सप्लीमेंटरी बजट है उसके समर्थन के लिये ही मैं खड़ा हुआ हूं और मैं समझता हूं कि हमारे मित्र जो इसकी दूसरे रूप से आलोचना करते हैं तो वह गलत है। अगर कोई गलत आइटम उनकी समझ में आया हो या गबन की आशंका हो या हुआ हो तो खुले शब्दों में कहा जा सकता है, लेकिन जो चीज मुनासिब हो उसके संबंध में टीकाटिप्पणी करना मैं मुनासिब नहीं समझता। इन शब्दों के साथ मैं इस सप्लीमेंटरी बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन के और माननीय सदस्य भी उसका समर्थन करेंगे।

*श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स संविधान के आर्टिकिल ११५ के मातहत यहां आती हैं। यह आर्टिकल ११५ क्या है और सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स का असल में मतलब क्या है, इस नुक्तेनजर से अगर हम इस बजट को देखें तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं इसको समझने के लिये अगर आर्टिकिल ११५ को पढ़ दिया जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा। मेरे पास यह बस की कमेंटरी है जो हमारे देश के संविधान के ऊपर एक अथारिटेटिव किताब मानी जाती है। इसमें सप्लीमेन्टरी एस्टीमेट्स के बारे में लिखा हुआ है कि

"Supplementary estimates are looked upon with jealously by popular legislatures, as they tend to diminish control of the legislature over the national expenditure, but even in England supplementary estimates are occasionally necessary owing to the exigencies of Government or unforeseen circumstances."

तो इससे हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यह सप्लीमेंटरी बजट २ चीजों पर निर्भर करते हैं, एक तो यह कि कोई आफते नागहानी हो जाय जैसे ओला सूखा वगैरा जिसको कि हम पहले से न फोरसी कर सके यानी जिन चीजों को बजट बनाते वक्त हम संभावनाओं में न ला सकें जैसे कि इसी साल जबरदस्त पाला पड़ गया, वर्षा न हो, आग लग जाय या कोई और कुदरत का प्रकोप हो जाय जिसका कि कोई कयास बजट बनाते वक्त न लगाया जा सके, या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह मदें जिनको कि हमने बजट में रखा हो । लेकिन इसके माने यह बिलकुल नहीं हैं कि जिन चीजों को हम सालाना बजट के समय सोच सकते थे उनके बारे में और क्या कहूं, सख्ती के शब्द में इस्तमाल करना नहीं चाहता लेकिन अपनी इनएफीशिएंसी के कारण और जल्दबाजी के कारण और अगर मैं हाथ जोड़कर यह कहूं कि इस सदन को धोखा देने के कारण आपने इन चीजों को सालाना बजट में नहीं रखा और आज उनको सप्लीमेन्टरी बजट में ला रहे हैं तो यह संविधान की धारा ११५ का खुला उल्लंघन है। अगर हम इस सप्लीमेंटरी बजट की ग्रान्ट नम्बर १ को देखें तो इसमें हम देखते हैं कि १ लाख ३० हजार ५०० रुपए के खर्च की मांग की गई है, वह अधिकारियों के वेतन के लिये, कर्मचारियों के वेतन के लिये, भत्ते और मानदेय के लिये और आकस्मिक व्यय के लिये। अब सवाल यह है कि इसमें वेतन की मद के लिये पैसा मांगा गया है। इस समय वित्त मंत्री महोदय नहीं हैं, छोटे मंत्री जी हैं तो क्या मैं आप के माध्यम से उनसे यह बात जानने की दरख्वास्त कर सकता हूं कि क्या आपने जिस वक्त सालाना बजट बनाया था उस वक्त इन चीजों को फोरसी नहीं किया था और यह आर्टिकिल ११५ की कौन सी चीज में आती है, कि कौन सी आफतेनागहानी आई हैं? कौन सी बात हुई कि इस मद के लिये आप इस बात को नहीं सोच सके। अगर आप पूरे बजट की कापी निकालें और अगर उसके आधार पर इस डिमांड को भी रखते तो ज्यादा भली बात होती। मुझे बड़ा दुःख है कि बार-बार नुक्ताचीनी करने का और वह भी वित्त मंत्री जी के विभाग का क्योंकि वे बहुत कुशल आदमी हैं लेकिन पता नहीं क्यों यह बात उनकी निगाह से रह गयी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये चीजे क्यों रह गयीं। इस चीज का जिक्र मैंने ५२-५७ के टर्म में भी किया था और इस बात की सरकार से प्रार्थना की थी कि इस तरह की बातें बजट में नहीं होनी चाहिये। इससे, सिवाय इसके कि आपको तो मालूम नहीं, आपकी नौकरशाही, जो फाइनेन्स विभाग से संबंधित है, उसके लिये क्या कहूं, निकम्मेपन की बात है और वह किस के लिये है क्योंकि आप अपने बहुमत के बल पर जो भी चाहें पास करा लेते हैं अल्पमत कितने ही अच्छे सुझाव दे आपको क्यों न दें आप उनको सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि एनुअल बजट बनाते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें। ऐसे ही अगर जांच करके देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह ब्यूरोक्रेसी ही इनएफिशियेन्सी का कारण है। और आप अपने बहुमत के आधार पर इस बजट को पास करा लेते हैं। ऐसी बड़ी भूल करने की कोई वजह नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि एन्युअल बजट तो इस समय छप रहा होगा, इस मौके पर हस्तक्षेप करना माननीय वित्त मंत्री की इच्छा होते हुए भी संभव नहीं हो सकेगा लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा कि आइन्दा जब वे बजट बनायें भरसक प्रयत्न करें कि ऐसी भूल न हो कि जिससे हर सप्लीमेन्टरी बजट में हमारे कांस्टिट्यूशन का उल्लंघन हो। यह बहुत जबरदस्त मसला है इंगलैण्ड में।

"The need for an excess grant arises when a department has carried expenditure upon a service beyond the amount granted to that service, during the financial year for which the grant was made". The Commons recorded a permanent disapproval of these departmental excesses by resolving in 1849 that "when a certain amount of expenditure for a particular service has been determined upon by Parliament, it is the bounden duty of the department which has that service under its charge and control, to take care that the expenditure does not exceed the amount placed at its disposal for that purpose."

हम इस बात को मानते हैं कि हमारी एकोनामी एक बैकवर्ड कन्ट्री की एकोनामी है और बहुत से एक्सपेन्डिचर ऐसे करने पड़ते हैं जिनको नहीं देख सकते। वहां तब तो मैं मानता हूं, लेकिन ऐसी बातें जहां हम देख सकते थे नहीं होनी चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि इस वर्ष रबी की फसल की हालत बहुत खराब है। और उस दिन मैंने महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन पर बोलते हुए कहा था कि

[श्री भगवान सहाय]

वह हालत इतनी बुरी है कि सारी रबी की फसल किसानों के एक महीने के खाने के लिये भी काफी न होगी, और इस ओर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। मेरा सुझाव इस संबंध में यह है कि फौरन रबी की मालगुजारी माफ कर दी जाय। तकावी और बकिया मालगुजारी जो काश्तकार पर है उसे सस्पेन्ड कर दिया जाय अच्छी फसल तक के लिये और पहली तकावी पर जो सूद पड़ता है वह भी कम से कम इस रबी से लेकर अगली रबी तक माफ कर दिया जाय और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे। इससे न केवल अन्न की समस्या को खतरा है, खाने की समस्या को खतरा है बल्कि सबसे बड़ा खतरा जो है वह जरायम बढ़ने का भी है।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन पूरक अनुदानों का समर्थन करता हूं। इस संबंध में जो अब तक की बहस मैंने सुनी उसमें विपक्ष के विचारों को मूलतः दो दृष्टियों में देखा जा सकता है। उनका विचार था कि यह जो बजट पेश किया गया है मूल बजट पेश करते वक्त ही इन परिस्थितियों को कंटैम्प्लेट नहीं किया गया और वित्तीय वर्ष में होने वाली तमाम परिस्थितियों को दृष्टि में न रखने के कारण ही जल्दी जल्दी सप्लीमेन्टरी बजट पेश करने पड़े। इस तरह से हमारे वित्तीय अधिकारियों की उन्होंने खामी बतलाई। मैंने बजट के सभी अनुदानों को देखा और उसके संबंध में जो स्मृति पत्र है उसे भी देखा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बजट है या ऐसे जितने बजट पेश होते हैं मैं उनको इस दृष्टि से देखता हूं कि किस विभाग ने कितना ज्यादा खर्च किया, या किस विभाग ने किस अनुदान में अधिक धनराशि रखी है, न कि यह कि किस विभाग ने शिथिलता से काम किया और अधिक खर्च नहीं किया और अपनी नई नई योजनाओं को विस्तृत नहीं किया जिससे अपने अनुमान से वह कम ही खर्च कर सका। जितनी भी प्रोग्रेसिव स्टेट्स होती हैं, उनकी इकोनामी विकसित होती है हर दिशा में, वे जीवन के प्रत्येक अंग में विकास करना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं, जैसे सिंचाई में तथा शिक्षा में विस्तृत योजनायें चलती है। उसमें उनका अधिक खर्च होता है। पुलिस पर कितना खर्च होता है यही उद्देश्य नहीं होता। यही उद्देश्य उनका नहीं होता कि केवल शान्ति व सुरक्षा ही बनाये रखें। वेलफेयर स्टेट के अन्दर जनता व देश की सेवा के लिये इस तरह की योजनायें होना चाहिये जैसे सिंचाई के लिये साढ़े ४ करोड़ रुपये रखे गये हैं। यह किस बात का द्योतक है? सिंचाई के साधनों से कृषि उत्पादन बढ़ेगा। इस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। बजट पेश करने का यह उद्देश्य नहीं है कि रिजिड बजट होना चाहिये, इलास्टिक बजट होना चाहिये जिसमें कुछ न कुछ परिवर्तन तथा सुझावों के समावेश के लिये हम तैयार रहें।

सहायक बिक्रीकर अधिकारियों की नियुक्ति की बात कही गयी; तो यह कोई लायबिलिटी की बात नहीं है। अगर उसमें अधिकारी नहीं होंगे तो आपका रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? वह पुलिस डिपार्टमेन्ट नहीं है। कभी तो हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि कानपुर में बिक्रीकर की वसूली नहीं हो पाती, व्यापारी लोग दबाये बैठे हैं, लेकिन जब हम उसकी वसूली करने के लिये साधनों को इकट्ठा करते हैं तो कहते हैं कि खर्चा करते हो। तो अगर हम अपने यंत्र को ठीक नहीं करेंगे तो कैसे वसूल करेंगे?

मुझे दुख है कि हरिजन विभाग के लिये इस बजट में कुछ भी स्थान नहीं है। मैं सरकार को एक वार्निंग देना चाहता हूं कि हरिजन विभाग में ब्लाक स्तर पर जो अनुदान दिया गया है उसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है। अभी मैंने हलिया ब्लाक में देखा कि जो अनुदान कुंए बनाने के लिये दिया गया उसका बिलकुल दुरुपयोग हुआ। सरकार इस पर एक कमेटी बनाये और देखे कि उसका उपयोग कहां हुआ। सरकार को चाहिये कि जो एक हरिजन कमेटी पहले थी उसके पुनर्जीवित करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्त में मैं उन सरकारी विभागों का समर्थन करता हूं जिन्होंने सरकारी नीति को कार्यान्वित करने के लिये नयी विकास योजनायें खोली हैं। मैं उन विभागों को और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस नजरिये से बजट को नियन्त्रित किया है और इस नजरिये से मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक अनुदान पेश हुआ है यह जो बार बार पेश होता है यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है। हमारे वेचनराम जी कह रहे थे कि जितना खर्चा बढ़ता जाय उतने ही रोज अनुपूरक अनुदान मांगे जायं। यह स्वस्थ परम्परा नहीं है और बजेटिंग प्रिन्सिपिल के विपरीत है। बजेटिंग के प्रिन्सिपिल्स यह हुआ करते हैं कि शुरू में जितनी मदों में जितना खर्चा होना हो उतना पहले से ही मांगा जाय। और इसमें हमारे अधिकारियों की अयोग्यता समझी जायगी कि मदों का वे प्रापर बजेटिंग न कर सकें। अभी दिसम्बर में ४ करोड़ का एक अनुपूरक अनुदान मांगा गया था और अब दो ही महीने बाद उसके दूने से भी ज्यादा का मांगा गया है। जैसा कि माननीय नवल किशोर जी ने कहा था कि सेक्रेटरी तो यह समझ लेते हैं कि बहुमत में पास तो हो ही जायगा, जो चाहें सो लिख दें चाहे उपयोग में आये या न आये। इसे इतनी सरलता से नहीं मानना चाहिये कि सेक्रेटरी ने जो लिख दिया वह ब्रह्म वाक्य हो गया और वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया और पास हो गया।

अभी माननीय कृष्णानन्द राय जी ने बताया कि उनके जिला गाजीपुर का कहीं नाम नहीं था जिसकी वजह से बहुत नाराज थे और जब नाम मिल गया तो बहुत खुश हो गये और उसके समर्थन में खड़े हो गये। उनको तो सारे प्रदेश को देखना है, केवल अपने अपने जिले को ही नहीं देखना है।

मिश्रा जी उठे, उन्होंने भुवनेश्वर प्रस्ताव की ढोल पीटी। यह कांग्रेस जो सिद्धान्त लेकर चली थी राम राज्य का वह आखिर में आयी वासना यानी कामराज पर। और फिर होता क्या है? भुवनेश्वर प्रस्ताव ने कौन-सा ऐसा मंत्र फूंक दिया है। प्रस्ताव तो हर साल पास होते हैं। कभी कल्याणकारी राज्य हो जाता है और कभी सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी हो जाती है। अंग्रेजी आथर का कहना है—

"for forms of Government let fools conten what is administered best is best."

हर साल एक प्रस्ताव पास होता है और होता रहेगा, दूसरी साल दूसरा होगा। इसमें कौन सी विशेषता है जो सोशलिज्म इसी प्रस्ताव से मान लिया जाय कि इसी आधार पर चलना चाहिये? आधार तो शुरू से ही होना चाहिये और जो आधार हो उसी पर चलना चाहिये। लेकिन वह कोई चीज नहीं है। देखना यह है कि जो बजट हमारे सामने आया जाया करता है उससे कुछ लाभ भी होता है या नहीं और उसका क्या असर होता है? ऐडमिनिस्ट्रेशन की हालत सब देख रहे हैं कि आज अनाज के भाव किस दिशा में बढ़ रहे हैं। एक सेर ६ छटांक का गेहूं मिल रहा है और चीनी बिल्कुल नहीं मिलती लेकिन ब्लैक मारकेट में जितनी चाहे उतनी मिल जाती है। इसी प्रकार से अन्य वस्तुओं की हालत है। इन प्रश्नों पर हमें बिचार करना चाहिये। जो अनुपूरक अनुदान मांगे जाते हैं उनको कोई देखता नहीं है। वित्त मंत्री जी को भिडे साहब से कहना चाहिये कि इस तरह से क्यों खर्चा किया जाता है। इस पर कोई विचार नहीं होता है, अनुदान आता है और पास हो जाता है। ऐसे भी बहुत से अनुदान मांगे गये हैं जो लोन और एडवांसेज से संबंधित है। लोन्स के इस समय देने की क्या जरुरत थी? उनको रोक सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से खर्चे है जिनको बाद में किया जा सकता है। इन शब्दों साथ मैं अनुपूरक अनुदानों का विरोध करता हूं और इस तरह से बार बार मांग पेश नहीं करना चाहिये, जैसा कि माननीय नवलकिशोर जी ने कहा है कि कल दूसरा बजट आने वाला है और आज अनुदान मांगते हैं।

*वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने सदन के सामने सुझाव दिये हैं, बहुत आभारी हूं। हम उनके सुझावों का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। श्रीमन्, यह जो सप्लीमेन्टरी बजट लाया गया है, यह विधान अनुसार ही है और ऐसा सोचना कि यह संविधान की किसी धारा के खिलाफ पड़ता है, ठीक नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

श्रीमन्, लौबी में बहुत शोर मच रहा है।

*श्री जयराम वर्मा--

अनुपूरक अनुदानों की मांग तीन परिस्थितियों में की जाती है। एक तो यह कि किसी मद पर व्यवस्थित धनराशि किसी काम के लिये कम पड़ती हो या किसी मद पर जो धनराशि व्यवस्थित की गई है उसके खर्च होने की संभावना न हो और उसका उपयोग उसी हैड में किसी दूसरी मद पर हो सकता हो या ऐसी अन्य मद पर खर्च करने की आवश्यकता हो जिनके बारे में बजट बनाते समय बिचार नहीं किया जा सका। इन परिस्थितियों में ये अनुपूरक अनुदान आते हैं और इसी के अनुसार यह अनुपूरक मांग सदन में प्रस्तुत की गई है इस बात की बराबर कोशिश की जाती है कि अनुपूरक अनुदानों में ज्यादा धनराशि की मांग की जरुरत न पड़े। लेकिन जब वह आवश्यक हो ही जाता है तो इस माननीय सदन के सामने मांगो को लेकर आना ही पड़ता है। विभिन्न विभागों की ओर से मांगें आती हैं वित्त विभाग में उनको अच्छी तरह से देखा जाता है और जब यह देख लिया जाता है कि वह खर्च जरुरी है, वह रोका नहीं जा सकता, तभी उसकी मंजूरी दी जाती है और फिर माननीय सदन के सामने उसकी मंजूरी के लिये आता है। किसी हेड में जो रुपये की व्यवस्था की गयी है, अगर उतने रुपये से उतना काम पूरा नहीं हो रहा है, तो अगर माननीय सदन के सामने और धन की व्यवस्था के लिये मांग लेकर न आयें तो माननीय सदन को शिकायत होगी कि वित्त विभाग ने या संबंधित विभाग ने उस बात को क्यों नहीं देखा और क्यों नहीं रुपये की मांग की। या अगर किसी मद में रुपये के खर्च करने की संभावना नहीं है और उसका उपयोग उस हेड की किसी दूसरी मद में हो सकता है तो भी जरूरी हो जाता है कि उसकी स्वीकृति इस माननीय सदन से ली जाय। या हमने किसी काम को नहीं सोचा, लेकिन साल के अन्दर उस काम का करना जरूरी हो गया तो उसके लिये इंन्तजार करना उचित नहीं। आज हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था प्रगतिशील है, वह पुराना पुलिस स्टेट का जमाना नहीं है जबकि खर्चा हर साल करीब-करीब वही हुआ करता था। आज रोज खर्चों में तब्दीली हुआ करती है। इसलिये अगर कोई बात जरूरी मालूम पड़ी तो उसके लिये माननीय सदन के सामने आना पड़ता है। यह बात सही है कि अगर ऐसी व्यवस्था हो सके कि जो अनुपूरक मांगे पेश की जायं उसमें ज्यादा धन मांगने की जरूरत न पड़े, या कम मांगने की जरूरत पड़े, तो अच्छी बात है लेकिन अगर वह संभव न हो सके शुरू के बजट में तो मजबूरी हो जाती है।

दो एक मदों की तरफ खास तौर से ध्यान आकर्षित किया गया। एक तो पहली मद, जिसमें शिकायत की गयी कि ओरिजीनल बजट में क्यों नहीं सोच लिया गया। वृहतजोत कर के संबंध में मांग की गयी है। अगर माननीय सदस्यों ने लिटरेचर को पढ़ा होता तो पढ़ लिया होता कि इसमें व्याख्या दी हुई है। यह ऐक्ट अप्रैल में पास हुआ था। उसके बाद उसके कार्यान्वियन की व्यवस्था हुई है। उसके पहले सोच नहीं लिया गया। जब वह ऐक्ट बना उसके कार्यान्वियन के लिये व्यवस्था करने की जरूरत पड़ी इसमें कोई बड़े तर्क की जरूरत नहीं है कि क्यों ऐसा किया गया। फिर अनुदान संख्या ४ की तरफ इशारा किया गया। उसमें कुछ नियुक्तियां की गई हैं। माननीय सदस्यों को मालूम है कि बिक्री कर से इस प्रदेश को बहुत आमदनी होती है। राजस्व के अतिरिक्त वह इस प्रदेश का सबसे बड़ा और लचीला आमदनी का जरिया है। इसलिये अगर उसकी वसूली के सम्बन्ध में कोई कठिनाई पड़ रही हो तो व्यवस्था करना जरूरी है। माननीय सदस्यों को यह बहुत शिकायत करने की जरूरत पड़ती है कि बिक्री कर का बकाया बहुत है और उसको वसूल करने की बहुत जल्दी जरूरत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह मुकदमे असेसमेंट के बहुत पिछड़े हुये हैं। बहुत से मुकदमे अपील और रिवीजन में पड़े हुये हैं जिनकी वजह से बहुत-सा रुपया स्टेड है। अगर उन मुकदमों के फैसले को जल्दी व्यवस्था हो जाय तो यह बहुत सी रकम जो रुकी है अदालतों के फैसलों के कारण वह रकम स्टे के बाहर आ जाय और उसकी वसूली की व्यवस्था हो। इसी वास्ते कि रिवीजन में तेजी हो दो और एडीशनल रिवाईजिंग एथारिटीज की नियुक्ति की जरूरत पड़ी और उसके लिये व्यवस्था की गई। अपील में बहुत से मुकदमे पड़े हुये है। ६०–७० हजार उन मुकदमों की संख्या हो गई है। उनका निपटारा जल्दी हो इसलिए ६ असिस्टेंट कमिश्नर्स जूडिशियल की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ी और यह इसी वास्ते किया गया कि अपील के मुकदमों और रिवीजन के मुकदमों में तेजी हो और जो रकम स्टे है वह स्टेड के बाहर हो जाय और उसकी वसूली हो सके और इस प्रकार सरकार का बहुत सा रुपया जो बकाया में पड़ा है वह वसूल करके प्रदेश की सेवा में लगाया जा सके। यह बात सही है कि अनुपूरक अनुदान के द्वारा बहुत बड़ी रकम की मांग की गई है। १४ करोड़ ६९ लाख रुपया मांगा गया है। इसमें से ७ करोड़ २२ लाख ३२ हजार २ सौ रुपया प्लान के ऊपर है और ७ करोड़ ४७ लाख ६६ हजार ५ सौ रुपया नान प्लान आइटम्स के ऊपर है। इसके पहले पिछली बार भी २ करोड़ २२ लाख ३० हजार ४०० रुपया प्लान के लिए मांगा गया था। इस तरह से दोनों सप्लीमेंटरी मिलाकार कुल ९ करोड़ ४४ लाख ६२ हजार ६०० रुपये की मांग प्लान के लिये की गई। ओरिजीनल बजट में हमारा प्लान ९२.६४ करोड़ रुपये का था। वह हमारा रिवाइज्ड प्लान अब ९४.४८ करोड़ का हो गया है। प्लान में लगभग दो करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है और यह वृद्धि केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से की गई है और जो हमारा अतिरिक्त खर्च हो रहा है उसके लिये भी केन्द्रीय सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपया देना स्वीकार किया है। एक करोड़ रुपया पूरा पूरा जो बढ़ाया गया है वह माइनर इर्रीगेशन के कामों के लिये वह पूरा रुपया केन्द्रीय सरकार दे रही है लोन के रूप में और एक करोड़ रुपया जो प्लान में शिक्षा के ऊपर बढ़ा है उसका आधा ५० लाख रुपया वह दे रही है ग्रांट के रूप में। इस तरह से यह वृद्धि केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से की गई है और वह अतिरिक्त खर्च का बहुत-सा हिस्सा दे रही है। इन सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के द्वारा जो प्लान की स्कीम्स के ऊपर मांग की गई है वह सब पूरा खर्चा जो रिवाइज्ड प्लान की सीलिंग है उसके अन्दर ही ऐडजस्ट हो जायगा और ऐडजस्ट करने के लिऐ यह बात सही है कि एक मद की बचत को दूसरी मद में डाइवर्ट करना होगा। और इसमें कोई खास डिफिकल्टी हमारे सामने पैदा हो, ऐसी बात नही है। इस प्लान में दोनों सप्लीमेंट्री बजट्स को मिलाकर के रेवेन्यू एक्सपेंडीचर १५५.०२ लाख रुपये का है वह जो थोड़ी हमारी आमदनी में वृद्धि होगी और कुछ बचत होगी उससे मीट हो जायगा। उसमें कोई डिफीकल्टी नहीं पड़ने वाली है। नान-प्लान में जो ७ करोड़ ४७ लाख ६६ हजार ५ सौ रुपये की मांग की गई है उसमें से ३ करोड़ ४३ लाख ९८ हजार ७०० रुपया रेवेन्यू एक्सपेंडीचर है। इस रेवेन्यू एक्सपेंडीचर से भी कोई डिफीकल्टी नहीं पैदा हो रही है। वह राजस्व की प्राप्ति से और बचत के द्वारा मीट हो जायगा। ३,८५,४५,४०० रुपये कैपिटल एक्सपेंडीचर है। इसकी जरूरत इस वास्ते पड़ी जो कि बजट लेटरेचर को देखने से सब सदस्यों को मालूम हुआ होगा कि करीब ३ करोड़ २ लाख रुपया अरिरिक्त खरीद चावल और गेहूं के लिये स्टेट ट्रेडिंग पर खर्च किया जा रहा है। यह शिकायत हो सकती है कि साल के बीच में ऐसी व्यवस्था क्यों की जा रही है? लेकिन यह मुनासिब बात नहीं है। इसकी व्यवस्था अगर न की जाती तो शिकायत हो सकती थी। आज गल्ले के दाम बढ़ने की वजह से जो ज्यादा गल्ले की मांग हो रही है उसकी व्यवस्था करना जरूरी था। इस वजह से रुपये की व्यवस्था करना जरूरी था। इसी तरीके से ७४ लाख रुपये की आर्गेनिक मेन्योर खरीदने के लिये इसमें व्यवस्था की गई है। वह भी जरूरी चीज थी। इसी वास्ते साल के बीच में ऐसा इंतजाम किया गया। अलग बजट में आगे उसका इंतजाम करना मुनासिब नहीं था। कुछ ऐसा खर्च है जो कि इर्रीगेशन पर किया जा रहा है। इस साल इस रबी के मौसम में वर्षा नहीं हुई। इस वास्ते इस बात की जरूरत पड़ी की ट्यूबवैल से काश्तकरों को ज्यादा पानी दिया जाय। इस वजह से बिजली का खर्च ज्यादा हुआ। इससे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

[श्री जयराम वर्मा]

को बिजली के दाम ज्यादा देने पड़ेंगे। इसी कारण इस साल के बीच में इंतजाम करने की जरूरत पड़ी। उसके लिये इंतजार करना बजट का मुनासिब नहीं था। इसी वजह से ऐसा किया गया। इसी तरह से इसमें कुछ और रुपया कर्जे के लिये रखा गया है। यह नान-प्लान्ड में १८,२२,४०० रुपये कर्जा देने के लिये हस्तिनापुर में है। विस्थापितों के लिये स्पिनिंग मिल खुलने वाली है। उसके लिये कर्जे की व्यवस्था की गई है। उसकी भी शिकायत करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। इसी तरह की जरूरी चीजों को लेकर रुपये की इसमें व्यवस्था की गई है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा शिकायत का मौका हो।

शिक्षा के बारे में एक सदस्य महोदय उल्लेख कर रहे थे कि ७१ लाख की व्यवस्था क्यों की गई है। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि यह बराबर मांग रही है कि प्राइमरी स्कूलों में और जूनियर स्कूलों में अध्यापकों की बहुत कमी है। उस मांग की पूर्ति के लिये यह व्यवस्था की गई है कि प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में ११ हजार से अधिक अध्यापकों को रखने का प्रबंध किया जाय। उनके लिये ७१ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। वह खर्च १ करोड़ से ऊपर होगा। कुछ तीस लाख रुपया सेविंग से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यह पूरी व्यवस्था की गई है। यह जरूरी खर्चे थे जिनको देख कर इस सप्लीमेंट्री बजट में इंतजाम किया गया है। इसी वास्ते माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना की गई है कि इसकी स्वीकृति प्रदान करें। जो और जनरल एतराज किये गये हैं उनका संबंध बजट से था। उनके बारे में यहां पर कुछ कहना जरूरी नहीं समझता हूं। जिनका संबंध सप्लीमेंट्री बजट से था उनका मैंने यहां पर साधारण रूप से जिक्र कर दिया है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे।

१९६३-६४ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर मतदान—

अनुदान संख्या १—वृहत् जातकर

मालमन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—वृहत् जोत कर के अन्तर्गत १,३०,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—वृहत् जोतकर के अन्तर्गत १,३०,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी के अन्तर्गत ४,०४,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी के अन्तर्गत ४,०४,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४—बिक्रीकर

वित्त उप मन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४—बिक्री कर के अन्तर्गत १,४५,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४—बिक्री कर के अन्तर्गत १,४५,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६—स्टाम्प

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत १,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत १,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हुं कि अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ५,१७,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ५,१७,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १३—कारागार

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३—कारागार के अन्तर्गत २१,४९,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—कारागार के अन्तर्गत २१,४९,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १४–पुलिस

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्पाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४—पुलिस के अन्तर्गत ७३,२३,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४–पुलिस के अन्तर्गत ७३,२३,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १५—खाद्य तथा रसद तथा अन्य संगठन

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५—खाद्य तथा रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत ४,२५,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—खाद्य तथा रसद तथा अन्य संगठन के अतर्गत ४,२५,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १७—शिक्षा

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—शिक्षा के अन्तर्गत, ७१,००,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—शिक्षा के अन्तर्गत ७१,००,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १८--चिकित्सा

श्री बंशीधर पांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८--चिकित्सा के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८--चिकित्सा के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १९--जन-स्वास्थ्य

श्री बंशीधर पांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्पाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९--जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत २०,२०,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९--जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत २०,२०,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २०--कृषि सम्बन्धी विकास

श्री बलदेवसिंह आर्य--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०--कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २२--पशुपालन और मत्स्यपालन

श्री बलदेवसिंह आर्य--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हुं कि अनुदान संख्या २२-पशुपालन और मत्स्य पालन के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२-पशु-पालन और मत्स्य पालन के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २४—उद्योग

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत ७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत ७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २५—नियोजन और एकीकरण

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५—नियोजन और एकीकरण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—नियोजन और एकीकरण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३०---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य

श्री बंशीधर पांडेय--

उपाध्यक्ष जी, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०–राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १,४०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०–राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १,४०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३१---सिंचाई अधिष्ठान

श्री बंशीधर पांडेय--

उपाध्यक्ष जी, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१–सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत २९,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१–सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत २९,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३२---अभियंत्रण (इन्जीनियरिंग संस्थायें)

श्री बंशीधर पांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफरिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२–अभियंत्रण (इंजीनियरिंग संस्थायें) के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२–अभियंत्रण (इंजीनियरिंग संस्थायें) के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३५---सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५–सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं---के अन्तर्गत २०,००,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५-सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, के अन्तर्गत २०,००,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३६--संचार-साधनों का सुधार

श्री जगनप्रसाद रावत--

उपाध्यक्ष जी, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६-संचार-साधनों का सुधार के अन्तर्गत ६,२६,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६-संचार-साधनों का सुधार के अन्तर्गत ६,२६,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७--सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान

श्री जगनप्रसाद रावत--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७-सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७-सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान

श्री बलदेवसिंह आर्य--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८--सार्वजनिक निर्माण-कार्य के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत २,५५,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८--सार्वजनिक निर्माण-कार्य के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत २,५५,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९--परिवहन

श्री हरीदत्त कांडपाल--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९--परिवहन के अन्तर्गत १७,८८,९०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९––परिवहन के अन्तर्गत १७,८८,९०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१––अधिवर्ष भत्ते तथा निवृत्ति वेतन (पेंशनें)

श्री जयराम वर्मा––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१––अधिवर्ष भत्ते तथा निवृत्ति वेतन (पेंशन) के अन्तर्गत ५,१३,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१–अधिवर्ष भत्ते तथा निवृत्ति वेतन (पेंशनें) के अन्तर्गत ५,१३,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३––लेखन सामग्री और मुद्रण

श्री बंशीधर पांडेय––

उपाध्यक्ष जी, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३–लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत १,७९,९०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३–लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत १,७९,९०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४––वन

श्री बल्देवसिंह आर्य––

उपाध्यक्ष जी, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४––वन के अन्तर्गत ६,२७,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४––वन के अन्तर्गत ६,२७,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४७––कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत

श्री बलदेवसिंह आर्य––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७–कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ७४,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७-कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ७४,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४८--औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत

श्री बंशीधर पांडेय--

उपाध्यक्ष जी, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८-औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८-औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९--सिंचाई-निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत

श्री बंशीधर पांडेय--

उपाध्यक्ष जी, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९-सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ४,३२,३०,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९-सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ४,३२,३०,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत

श्री जगनप्रसाद रावत--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१-सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ३,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१-सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ३,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५२--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत

श्री हरीदत्त कांडपाल--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत २२,१४,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२––सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत २२,१४,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५४––निवृत्ति वेतन की संराशि का भुगतान

श्री जयराम वर्मा––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५४––निवृत्ति वेतन की संराशि का भुगतान के अन्तर्गत १,७०,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४––निवृत्ति वेतन की संराशि का भुगतान के अन्तर्गत १,७०,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५५––राज्य व्यापार की योजनायें

श्री हरीदत्त कांडपाल––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५––राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत ३,२४,११,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५––राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत ३,२४,११,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५६––ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री जयराम वर्मा––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५६––ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत १,७९,७२,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५६––ब्याजवाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत १,७९,७२,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का द्वितीय अनुपूरक) १९६४

श्री जयराम वर्मा (वित्त उपमंत्री)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब इसकी कापी बांट दी जायं।

(विधेयक की प्रतियां बांटी गयीं।)

श्री जयराम वर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय।

श्रीमान् जी, अभी माननीय सदन ने विभिन्न अनुदानों के सम्बन्ध में जो उनसे मांग की गयी थी, उसकी स्वीकृति दे दी है। उन्हीं धनराशि को संचित निधि से निकाल कर उन्हीं की सेवा में खर्च करने की मांग इस विधेयक के द्वारा की गयी है। मुझे आशा है कि माननीय सदन अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, माननीय वित्त उप मंत्री ने जो विधेयक पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं और इसलिये विरोध करता हूं कि इस विधेयक के द्वारा माननीय वित्त मंत्री करीब सवा तीन करोड़ रुपया राज्य व्यापार के अन्तर्गत लेना चाहते हैं। राज्य व्यापार के बारे में सरकार की जो नीति है वह आज तक साफ नहीं है और इसकी जितनी भी आलोचना की जाय, वह बहुत कम है। इसलिये सरकार ने बड़े-बड़े व्यापारियों व बड़े-बड़े खत्ती वालों को छूट दे रखी है कि वे मनमानी तरीके से जनता को लूटें। आज माननीय वित्त मंत्री जी राज्य व्यापार के नाम पर यह रुपया लेना चाहते हैं लेकिन पूरे प्रदेश के पैमाने पर प्रदेश की जो हालत है वह आप से छिपी नहीं है। कल ही कानपुर में आटा का भाव १८ रुपये से लेकर २० रुपये बोरी तक तक बढ़ गया और उसे खुले आम बाजार में बेचा गया। इसी तरह से चीनी, अरहर की दाल, चावल, गेहूं व सारी चीजों की हालत है। इस तरह से राज्य व्यापार करने की जो सरकार की नीति है मैं समझता हूं कि वह कुछ है ही नहीं। यह केवल सदन को धोखा देना है और धोखा देकर, सवा ३ करोड़ रुपया लेना सदन के साथ और प्रदेश की जनता के साथ अन्याय करना है।

मैं आपके सामने आजमगढ़ के जिलाधीश ने जो एक प्रेस कानफरेंस की थी उसकी तीन चार लाइनें पेश करता हूं जो उन्होंने पत्रकारों से खाद्यान्नों के भाव में महंगी और उनकी पूर्ति में अव्यवस्था की आलोचना की है। "सम्मेलन में पत्रकारों ने जिले में सस्ते गल्ले की दूकानों में चल रही चोर बाजारी की ओर जिलाधीश का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि जिले में जनता भूखों मर रही है। जिले में एक रुपये का १।। सेर जो, १।। सेर मटर और १२ छटांक की अरहर की दाल बिक रही है। इधर सस्ते गल्ले की दूकानों की हालत यह है कि उनमें से आधी खुलती ही नहीं। उनका सारा गल्ला चोर बाजार में बेंच दिया जाता है। जो थोड़ी बहुत खुलती भी हैं, वे गरीबों को गल्ला नहीं देतीं। जिलाधीश ने कहा कि इस सम्बन्ध में मैंने परगना हाकिम से जांच करवाई थी, जो बातें आप लोग कह रहे हैं बिल्कुल सत्य हैं। परगना हाकिमों ने बहुत सी दूकानों को स्थगित कर दिया है। इसके कारण मेरी कठिनाई बढ़ गयी है। प्रभावशाली लोग उन दूकानों को पुनः प्राप्त करने के लिये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आप लोग

भली-भांति जानते हैं कि आजमगढ़ जिले में विगत पांच वर्षों से सस्ते गल्ले की दूकानें किन लोगों के हाथ में हैं। उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित अधिकारियों से पूछा कि आप लोगों को चीनी मिलती है। अधिकांश अधिकारियों ने कहा––"नहीं।"

इस तरह से राज्य व्यापार के अन्तर्गत रुपया लेकर लोगों को आप धोखा देना चाहते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि इन प्रभावशाली लोगों को ही आप दूकान देना चाहते हैं। दूकानों के जरिये चोरी बहुत बढ़ेगी, इसीलिये मैं चाहता हूं कि आप अपनी नीति साफ करें। राज्य व्यापार के जरिये आप बड़े बड़े व्यापारियों व खत्तियों वालों की मदद करना चाहते हैं। ये लोग किसानों से सस्ते दामों में गल्ला खरीद कर जमा करके रखना चाहते हैं ताकि मौका आने पर ऊंची से ऊंची कीमतें देकर फिर वे उन्हीं के हाथ बेंचें। आप उनको नाराज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप तो पूंजी परस्तों के बन्धन में बंधे हुए हैं, इसीलिये मैं कहता हूं कि आप राज्य व्यापार नहीं कर सकते हैं। इसके करने के लिये एक ठोस नीति की आवश्यकता है, एक निर्देशक की आवश्यकता है। यह सवा ३ करोड़ रुपया आप इस विधेयक के द्वारा लेना चाहते हैं, मैं फिर कहता हूं कि यह आप सदन को और प्रदेश की जनता को धोखा देना चाहते हैं। मैं प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि यह सरकार की राज्य व्यापार की योजना एक धोखाधड़ी है।

दूसरे, मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि वृहद् जोतकर की उगाही के बारे में आप स्टाफ बढ़ाना चाहते हैं, यह कानून हदबन्दी के कानून के पहले ही पास हुआ था और उस वक्त कहा गया था कि माल विभाग के अधिकारियों से वह रुपया वसूल कराया जायगा तो अब आप क्यों यह लाखों रुपया अब नई सर्विसेज को कायम करके खर्च करने के लिये इस बिल के द्वारा मांग लेकर आये हैं?

तीसरे, आप यह एक्साइज में ३ लाख ८० हजार रुपया ले रहे हैं। जब पिछला बजट आया था तो इस मद में १ हजार की ग्रान्ट रखी गई थी। आप के अधिकारी इस योजना को कब तक चला सकते हैं और कब तक नहीं चला सकते? अब आखिर वर्ष के अन्त में आप कहते हैं कि अब चलने की सम्भावना बढ़ गई है और यह करीब ४ लाख की रकम आप मांग रहे हैं। यह आपके वित्त विभाग का और इन विभागों का बहुत गैरजिम्मेदारी का तरीका है। आप के सामने कोई मूल्यांकन किसी चीज का नहीं है। यह सरासर धोखा है और हम विधान सभा के सदस्यों को आप गुमराह करना चाहते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको राज्य व्यापार करना है तो आपको उसकी एक ठोस नीति अख्तयार करना होगी और उसके लिये एक समानान्तर एजेंसी आपको बनाना होगी, उसकी २ एजेंसी नहीं हो सकतीं, कुछ लोगों को छूट दी जाय और अलग से सरकार भी व्यापार करे यह नहीं चल सकता। जब सरकार की ही अकेली एजेंसी होगी तभी मूल्यों पर नियंत्रण हो सकता है और किसानों को उचित मूल्य तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्न मिल सकते हैं और चोरबाजारी रुक सकती है और राज्य व्यापार की योजना सफल हो सकती है। कुछ दुकानें खोलने से काम नहीं चल सकता, कुछ लोग जो असरदार हैं उन्हीं को दूकानें दी जाती हैं और सीमेंट व चीनी का कोटा उन्हीं को दिया जाता है जिसको सरकार चाहती है नतीजा यह है कि चोर बाजारी होती है और २ रुपया किलो खुले आम चीनी बिकती है। इसलिये मैं अदब से साथ निवेदन करूंगा कि राज्य व्यापार योजना के बारे में आप एक मीटिंग बुलायें और सबकी राय जानकर एक ठोस नीति इस सम्बन्ध में अपनायें, तभी आपकी योजना सफल हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

†श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के द्वारा जो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। मंत्री जी ने कहा कि सब ग्रान्ट्स पास हो चुकी हैं, केवल इस विधेयक के द्वारा इस खर्च को एक औपचारिक रूप देना है, लेकिन हमारी राय में गलत काम चाहे जब हो उसका हर स्टेज पर विरोध करना चाहिये। मैं इन मांगों के विषय में मंत्री जी से जानकारी करना

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रक्षपालसिंह]

चाहता हूं कि सिंचाई और स्टाफ ट्रेनिंग में ७ करोड़ का व्यय है और ७ करोड़ में और सब ग्रान्ट्स आ जाती हैं, संविधान के अनुसार अनुपूरक मांगें लाने का अधिकार उनको है लेकिन क्या आपने इसमें इतनी बड़ी बाढ़ सूबे में आई उसके नाम पर एक पाई भी रखी है ? ५–७ जिलों में तो बिल्कुल फसल बरबाद हो गयी है परन्तु उसके सम्बन्ध में कोई मांग नहीं रखी गयी। सरकार जो आंकड़े इकट्ठा करवाती है लेखपालों के ज़रिए वे ऐसा करते हैं कि काग़ज न भरने पड़ें और वे गलत आंकड़े देते हैं। फसल सब जगह बरबाद हो गयी है। अरहर पर छूट देने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अरहर यद्यपि पूरी नष्ट हो गयी है पर आपकी सरकार ने उस पर कोई छूट नहीं दी। पाला पड़ने पर अगर सरकार यह कहती कि १० लाख रुपये की जरूरत है तो हम कहते कि ले लीजिए परन्तु यह सब कुछ नहीं है। सेन्टर में स्वर्ण नियंत्रण कानून बन गया। उस कानून से प्रदेश में हजारों और लाखों स्वर्णकार बेकार हो गये हैं लेकिन उनके पुनर्वास के लिए कोई रुपये की मांग नहीं की गयी है। अगर यह सरकार सम्पूर्णानन्द एवार्ड को लागू करने के लिए कुछ रुपया मांगती या आपके रोडवेज कर्मचारियों को जिनके भत्ते आदि जो पड़े हुए हैं उनको दिलाने के लिए मांग पेश करती तो हम कहते कि ले लो परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि जो कालिजों के सम्बन्ध में, लायब्रेरियों के सम्बन्ध में, जो अनावश्यक बातें थीं उन पर अतिरिक्त अनुदान मांगी जा रही है। होता यह है कि जब कोई खास या कांग्रेसी व्यक्ति मंत्री जी के पास यहां पर पहुंचते हैं और उनकी गर्दन दबाते हैं तो वे कार्य पूरे करा दिए जाते हैं। अगर कुछ रुपया प्रश्नों के आश्वासनों को पूरा करने के लिए मांग पेश की जाती तो भी किसी हद तक मुनासिब था। एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि बिन्दकी में एक बिल्डिंग १६ हजार रुपये लगा कर बनी है पर वहां पर अस्पताल चालू नहीं हुआ है। अगर उसके लिए धन मांगा जाता तो हमें किसी प्रकार का एतराज न होता। पर होता यह है कि दबाव और प्रभाव वाले व्यक्ति मंत्री जी के पास आ जाते हैं और उनसे दबाव डालकर काम करवा लेते हैं। अभी जो मांगें पेश हो रही हैं उनमें कुछ रुपया ऐसा भी है जिसके बारे में कहते हैं कि हम इतना रुपया के खर्च का अनुमान करते हैं। अगर ये मांगें स्वीकार की जायं और इन मांगों को ३१–३–६४ तक खर्च करना हो तो कैसे बिल बनेंगे, कैसे पेमेंट होगा और कैसे काम भी पूरा होगा ? श्रीमन्, यह एक विचित्र-सी बात है। जो भी बातें हैं वे रुपया गोलमाल करने की बातें हैं।

जहां तक स्टेट ट्रेडिंग का प्रश्न है, यद्यपि समाजवाद का दावा करते हैं परन्तु फायदा होता है केवल २–४ होलसेलर्स को। जिनको पैसा मिलेगा वे किसके रिश्तेदार होंगे, किसके सम्बन्धी होंगे ? जब माल कम होगा तो दफ्तर के बाबू लिख देंगे कि चूहे खा गये। बटवारा होगा। पैसा होगा इसलिए स्टेट ट्रेडिंग की व्यवस्था है। सरकार ने चीनी का वितरण अपने हाथ में लिया। जिस समय सरकार ने यह काम अपने हाथ में लिया उस समय चीनी १ रु० १० न० पै० में खुले आम मिलती थी। जिस समय इन्होंने अपने हाथ में लिया इन्होंने इसका दाम १ रु० १६ न० पै० और अब १ रु० ३१ न० पै० पर पहुंच गयी है। डेढ़ रुपये सेर शकर बाजार में मिल सकती है। सरकार द्वारा नियंत्रण लेने के बाद जनता को शकर मिलना बन्द हो गया। देहात वालों को शादी ब्याह में जरूरत पड़ती है लेकिन अधिकारियों के पास वह जा नहीं पाते। गल्ले में भी ऐसा ही होने वाला है। सरकार ने दूकानें खोल रखी हैं लेकिन वह गल्ला बाजार में चला जाता है और सरकारी दूकानों पर वह गल्ला नहीं मिलता। सिंचाई का भी यही हाल है। किस किसान को सरकार सस्ते दर पर सिंचाई के लिये पानी दे देती है ? तो इस विनियोग विधेयक में बड़ा गोलमाल है; यह पास करने योग्य नहीं है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिद्धान्ततः एक बात जरूर मानता हूं। कोई भी सरकार रहे उसे कर लगाने का अधिकार है लेकिन यह सरकार जो कर वसूल करती है और जितने रुपयों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का अनुदान यह सरकार पास करवाती है उसका उचित ढंग से उपयोग करने की व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। इसलिये नम्र निवेदन करके मैं इस विनियोग विधेयक का विरोध करना चाहता हूं।

एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सामान्य प्रशासन में आप देखें कि एक गाड़ी खरीदने के लिये सरकार को ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर साहब ने सलाह दी और कहा कि पुरानी बेच दी जाय। इस परिवहन विभाग में गाड़ियों की खरीद में बड़ा गोलमाल है और इसकी जांच होनी चाहिये। लखनऊ में एक नारायण आटोमोबाइल कम्पनी है। सारी गाड़ियां वहीं से खरीदी जाती हैं। कानपुर तथा लखनऊ में तमाम फर्म्स हैं जो सरकार से स्वीकृत हैं लेकिन उन फर्म्स से गाड़ियां नहीं खरीदी जातीं। ५० फीसदी से ज्यादा गाड़ियां केवल नारायण आटोमोबाइल्स, लखनऊ से खरीदी जाती हैं और ५० फीसदी से कम दूसरी फर्म्स से खरीदी जाती हैं नाममात्र को दिखाने के लिये। कोटेशन इसलिये मांगे जाते हैं कि डायरेक्टर पर्चेज एण्ड सप्लाइज के यहां से यह धनराशि मुकर्रर कर दी गयी है और उससे कम कोटेशन पर भी मिल सकती है तो नहीं खरीदी जातीं। यह परिवहन विभाग एकदम भ्रष्टाचार का प्रचार का अड्डा बना हुआ है। इसकी खुली जांच होनी चाहिये। अगर हिम्मत हो तो मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण कर दें वर्ना माननीय सदस्यों को भ्रम रहेगा। अगर सफाई नहीं होती है तो हम मजबूर हैं इस तरह के विनियोग विधेयक को पास करने से। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शेर से शुरू करता हूं--

इस कदर बदला जमाना जो नेक थे वे बुरे हो गये,
शहर अशराफों से खाली हो गये जो अच्छे थे वे बुरे हो गये।

जो अच्छे कांग्रेसी थे वे गड्ढे में गिर गये और जो बुरे थे वे आगे आ गये। खत्म करने से पहले दूसरा शेर कहता हूं:--

उठा जो मीना बदस्त साकी रहा न कुछ भी ताब जब्त बाकी,
तमाम मयकश पुकार उठे यहां से पहले यहां से पहले।

इतना जब्त नहीं रह गया है। टैक्सेज की भरमार है और हड्डियां उधड़ गयी हैं।

श्री जयराम वर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट ट्रेडिंग के अन्दर जो ३ करोड़ और २४ लाख रुपये की मांग की गयी है उसकी खास तौर से आलोचना की गयी है। माननीय सदस्यों ने बार-बार मांग की है कि चीजों के बढ़ते हुए दामों को रोका जाय और सरकार की ओर से ज्यादा गल्ले की व्यवस्था हो और ज्यादा दूकानें खोली जायं। अगर लोगों को यह मालूम हो जायगा कि उनकी जरूरत के मुताबिक उनको गल्ला मिल जायगा तो बाजार में कीमतों का बढ़ना बन्द हो जायगा। इसकी व्यवस्था इसी तरह से हो सकती है कि जितने गल्ले की जरूरत हो उसकी खरीद की व्यवस्था की जाय और अनुपूरक अनुदान के जरिये यही बात की गयी है कि गेहूं और चावल की अतिरिक्त खरीद के लिये रुपया हो जिससे हमारे पास इतना गल्ला हो जाय कि जितनी दूकानों की जरूरत हो वे खोली जा सकें और लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक गल्ला दिया जा सके और इस तरह से बाजार में बढ़ती हुई चीजों की कीमतें रुक जायं। इसके नामंजूर करने से कीमतें कैसे रुकेंगी। लोगों की तकलीफ कैसे दूर होगी। यह तभी हो सकता है कि जब आप सब का सहयोग प्राप्त होगा। माननीय सदस्यों के सहयोग से ही ज्यादा गल्ले को प्राप्त किया जा सकता है और फिर उसका वितरण किया जा सकता है और तभी बुराई दूर हो सकेगी। केवल यहां शिकायत करने से बुराई दूर नहीं हो जायगी और बिना सहयोग के कोई काम नहीं चलने वाला है।

[श्री जयराम वर्मा]

पाले से नुक्सान की बात कही गयी। उसके बारे में माननीय राजस्व मंत्री देख रहे हैं और जितने पैसे की किसानों की मदद करने के लिये जरूरत होगी वह खर्च करेंगे। यह आश्वासन तो उन्होंने दे ही रखा है। अब इस अनुपूरक अनुदान में उसकी व्यवस्था कैसे हो जाय? वह तो अगर उस व्यवस्था में कमी हो तब आपको शिकायत करने का मौका होगा। और जो यह शिकायत की गयी कि बाढ़ या उसी प्रकार के अन्य कारणों से फसल का नुकसान हुआ उसके लिये इसमें व्यवस्था नहीं की गयी, तो माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि दैवी आपत्तियों के कारण जो छूट देनी पड़ती है उस छूट के बाद ही तो मालगुजारी वसूल होती है। उसकी व्यवस्था करने की क्या जरूरत है?

एक आध बात और कही गयी। बहुत तफसील के साथ उन सब के बारे में यहां कहना तो बड़ा मुश्किल है। माननीय सदस्यों ने पूरी तरह से सभी अनुदानों पर विचार कर लिया है और इसके पहले वे हर एक मांग को अलग-अलग स्वीकार कर चुके हैं। अब तो केवल इतनी ही मांग है कि जितनी धनराशि की उन्होंने मन्जूरी दी है उतनी धनराशि संचित निधि से निकाल कर उन सेवाओं में लगायी जासके जिसके लिये आपने मन्जूरी दी है। इसलिये यह प्रार्थना है कि माननीय सदन जिस चीज को स्वीकार कर चुका है उसको निकालने की स्वीकृति अवश्य प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

खंड २, ३ तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९६३–६४ के लिये १४,६९,-९८,७०० रुपये का दिया जाना

२—ऐसे विधि परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९६४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग १४,६९,९८,७०० रु० (चौदह करोड़ उनहत्तर लाख अट्ठानवें हजार सात सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें २ व ३ देखिये)

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत् जोतकर ..	१,३०,५००	३,३००	१,३३,८००
२	भू-राजस्व ..	..	१२,७००	१२,७००
३	राज्य आबकारी ..	४,४०,०००	..	४,०४,०००
४	बिक्री- कर ..	१,४५,०००	..	१,४५,०००
६	स्टाम्प ..	१,००,०००	..	१,००,०००
९	सामान्य प्रशासन ..	..	१,११,३००	१,११,३००
१०	आयुक्त और जिला प्रशासन ..	१००	..	१००
१२	न्याय-प्रशासन ..	५,१७,६००	..	५,१७,६००
१३	कारागार ..	२१,४९,६००	..	२१,४९,६००
१४	पुलिस ..	७३,२३,५००	..	७३,२३,५००
१५	खाद्य तथा रसद तथा अन्य संगठन ..	४,२५,७००	..	४,२५,७००
१७	शिक्षा ..	७१,००,७००	..	७१,००,७००
१८	चिकित्सा ..	५००	५,७००	६,२००
१९	जन-स्वास्थ्य ..	२०,२०,४००	.	२०,२०,४००
२०	कृषि-सम्बन्धी विकास ..	२००	८,७००	८,९००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२२	पशुपालन और मत्स्य पालन	.. ६००	..	६००
२४	उद्योग	.. ७००	..	७००
२५	नियोजन और एकीकरण	.. १००	..	१००
२६	श्रम और सेवायोजन	.. ..	४,७००	४,७००
२७	सूचना निदेशालय	.. २००	..	२००
२९	समाज कल्याण	.. २००	..	२००
३०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य।	१,४०,००,०००	..	१,४०,००,०००
३१	सिंचाई अधिष्ठान	.. २९,०००	..	२९,०००
३२	अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग संस्थायें)	.. १००	..	१००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	.. २०,००,२००	..	२०,००,२००
३६	संचार साधनों का सुधार	.. ६,२६,४००	..	६,२६,४००
३७	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान	.. १००	..	१००
३८	सार्वजनिक निर्माण- कार्यों के लिये सहायक अनुदान ..	.. २,५५,५००	..	२,५५,५००
३९	परिवहन	.. १७,८८,९००	..	१७,८८,९००
४१	अधिवर्ष भत्ते तथा निवृत्ति वेतन (पेंशनें)	५,१३,०००	..	५,१३,०००
४३	लेखन सामग्री और मुद्रण	.. १,७९,९००	..	१,७९,९००
४४	वन ..	.. ६,२७,५००	..	६,२७,५००
	ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज	.. ..	३१,००,०००	३१,००,०००
४७	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत	.. ७४,००,०००	..	७४,००,०००
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत	.. ३००	..	३००
४९	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत	४,३२,३०,२००	..	४,३२,३०,२००
५१	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत	३,४००	..	३,४००
५२	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत	.. २२,१४,२००	..	२२,१४,२००
५४	निवृत्ति वेतन की संराशि का भुगतान	.. १,७०,०००	१०,०००	१,८०,०००
५५	राज्य-व्यापार की योजनायें	.. ३,२४,११,४००	..	३,२४,११,४००
५६	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	.. १,७९,७२ ६००	..	१,७९,७२,६००
	योग	..१४,३७,४२,३००	३२,५६,४००	१४,६९,९८,७००

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६४

३१ मार्च, १९६४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम — १—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६४ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६४ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष—

एक मुझे सूचना देनी है और वह यह कि श्री अध्यक्ष ने निम्न विधान सभा के सदस्यों को ३ फरवरी, १९६४ से आरम्भ होने वाले सत्र के लिये अधिष्ठाता मण्डल का सदस्य मनोनीत किय है।—

श्री जगदीश शरण अग्रवाल
,, जगदीश प्रसाद
,, कृष्णानन्द राय
,, चन्द्रजीत यादव,
,, वीरसेन,
,, काशीनाथ मिश्र,
श्रीमती सुशीला रोहतगी,
श्री नेकराम शर्मा,
,, रामायण राय,
,, माधोप्रसाद त्रिपाठी।

श्री प्रेमसिंह,—

श्रीमन्, स्वतन्त्र पार्टी से कोई नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो अध्यक्ष जी ने मनोनीत किया है।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ के अननुमोदनार्थ संकल्प

*श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर) —

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

यह सदन उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ का अननुमोदन करता है।

(इस समय ५ बजकर २९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद पीठासीन हुये।)

अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस अध्यादेश को देखा तो इसमें यह लिखा हुआ है कि ६ जनवरी को उस ऐक्ट की अवधि समाप्त हो रही थी इसलिये ५ जनवरी को महामहिम राज्यपाल को यह सलाह दी गयी सरकार के द्वारा कि वे संशोधित अध्यादेश के द्वारा बद्रीनाथ टेम्पिल का शासन चालू करें। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ यह देख कर कि जब यह ऐक्ट बना उस समय से लेकर और बीच में, यहां तक कि २६ दिसम्बर, जिस दिन इस सदन की पिछले सत्र में आखिरी बैठक थी, तब तक सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया कि ६ जनवरी को इस ऐक्ट की अवधि समाप्त होने वाली है। हुआ यह कि २६ दिसम्बर को जब इस सदन की बैठक समाप्त हुई और ३ फरवरी, को जब पुन: राज्यपाल महोदय ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की उसके बीच में उनको ऐसी सलाह दी गयी कि इस संशोधन को करने की आवश्यकता हो गयी इसलिये वे इसे कर दें। मैं सिद्धान्तत: ऐसे अध्यादेश का घोर विरोधी हूं क्योंकि यह संविधान की उस मंशा का हनन् करता है जहां यह लिखा हुआ है कि अगर राज्यपाल को यह पूरी तरह जानकारी हो जाय कि इस मामले में अविलम्ब ऐक्शन की जरूरत है तभी अध्यादेश लागू किया जा सकता है। लेकिन २६ दिसम्बर तक तो कोई अर्जेन्सी नहीं थी और ५ जनवरी को तुरन्त अर्जेन्सी महसूस हो गयी। इसी कारण मुझे मजबूर होना पड़ा उनके अध्यादेश के अननुमोदन का प्रस्ताव लाने के लिये। ज्ञापन-पत्र में बताया गया है कि कुछ समय पूर्व इस मन्दिर के प्रशासन की जांच करने के लिये एक सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी जिसमें नैनीताल के तत्कालीन सैशन जज खरे साहब थे। उन्होंने इन मन्दिरों की निधियों के उपयोग के सम्बन्ध में टैम्पिल के सेक्रेटरी के आचरण के विरुद्ध प्रतिकूल आलोचनायें की थीं। यह कारण बताया जाता है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री न जानता होऊं तो उधर के कोई माननीय सदस्य या मन्त्री जी मुझे करेक्ट कर दें। क्या यह सही नहीं है कि १९५६ में शिकायत हुई और उसके आधार पर खरे समिति नियुक्ति की गई जिसने अपनी रिपोर्ट १९५८ में दे दी? उसके बाद आज तक यह सरकार उस रिपोर्ट को शहद की तरह से चाटती रही और जो गड़बड़ घोटाले का जिक्र किया गया और सेक्रेटरी के आचरण के विरुद्ध आलोचनायें की गईं, उन सबको सरकार ने दबाये रखा। सरकार ने कोई संकेत तक नहीं किया। मेरी जानकारी यह है कि इस समिति ने तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व के अध्यक्षों के प्रति भी टिप्पणी लिखी है। सरकार में हिम्मत होनी चाहिये थी कि इस रिपोर्ट को सदन में रखकर डिस्कस करती। लेकिन सरकार इतने दिनों तक मामले को दबाये रखी। आज संशोधन अध्यादेश के द्वारा उसने ठीक करने की कोशिश की है। सरकार अध्यादेश के जरिये करती या बिल के जरिये करती, लेकिन उसको इन बातों का जवाब देना पड़ता। वैसे जवाब न देना चाहती तो कोई बात नहीं थी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्योंकि एक चुप सौ को हराये। आडिट रिपोर्ट में इसका जिक्र होना चाहिये था। कई लाख का गोलमाल है और तमाम द्रव्य लूटा गया लेकिन यह सरकार कुछ कार्यवाही न कर सकी।

श्रीमन्, अब देखें कि जब सेक्रेटरी को निकाला गया तो उसने रिट दाखिल कर दी और उसके मंजूर होने का कारण सरकार की नालायकी बनी। इस सरकार ने जो प्राविजन किये थे वे इस प्रकार के थे कि हाई कोर्ट को भी मानना पड़ा कि सरकार ने गलती की। इसलिये मन्दिरों की अर्थ व्यवस्था और प्रबन्ध दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ा। तीन साल का वेतन सेक्रेटरी को दिया गया, बीच-बीच में दलबन्दी होती रही और मन्दिर कमेटी के सदस्य दो हिस्सों में विभाजित होते रहे। पैसा जिन मामलों में शामिल था उस पर परदा डाला जाता रहा। लेकिन जब हाई कोर्ट ने मजबूरी डाल दी कि यह सरकार जिस प्रकार कमेटी का गठन किये है वह गलत है और फिर से उसका गठन होना चाहिये तब इस सरकार ने इस सदन के सामने इस मामले को लाने की कोशिश की। वरना अगर हाईकोर्ट ने यह फैसला न किया होता तो आज करीब बीसों लाख रुपये की गड़बड़ी का मामला ज्यों का त्यों रह जाता। आखिर यह बद्रीनाथ, केदारनाथ टेम्पिल है क्या? उत्तर प्रदेश के ही नहीं समूचे भारतवर्ष के हिन्दुओं के तीर्थस्थान हैं। जिस बद्रीनाथ केदारनाथ का और जिस गंगोत्री जमनोत्री की बात हम बड़े गर्व से करते हैं कि यह हिन्दुस्तान के तीर्थस्थान हैं, यह हिन्दुस्तान के वह स्थान हैं जिन पर अगर चीनियों के नापाक कदम आ गये तो वह नापाक हो जायेंगे और उस धार्मिक स्थान के बारे में जब इस तरह की गड़-बड़ी होती है, जब वहां पर इस बात के झगड़े होते हैं कि पुजारी कौन होगा, तो बड़ा अफसोस होता है। एक ही मन्दिर यहां सरकार के जिम्मे है, कोई दूसरा मन्दिर नहीं है। और दूसरे प्रदेशों में आप दक्षिण में देखें तो तमाम ऐसे मन्दिर हैं जिनकी व्यवस्था वहां की सरकारें करती हैं। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार ने जहां इस प्रदेश के आर्थिक राजनीतिक और दूसरे जीवन के क्षेत्र में लोगों को तबाह किया है वहीं धार्मिक क्षेत्र में भी गुटबन्दी कायम करके लोगों को तबाह करने का वह रास्ता निकाल चुकी है, जिससे इस प्रदेश पर ही नहीं पूरे देश के नाम पर कलंक लगता है क्योंकि बर्मा में रहने वाला हिन्दू भी बद्रीनाथ केदारनाथ जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस लीपापोती से काम नहीं चलने वाला है। यह कमेटी के मेम्बर टेहरी के राजा साहब नामजद करेंगे या यह जो तत्कालीन बैठी हुई सरकार है जो दूसरे राजा के रूप में है वह नामजद करेगी; इससे काम नहीं चलने वाला है। कोई किसी की सदस्यता को नामजद करे इससे कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। बनने बिगड़ने वाला तो तब है जब इस पूरे मामले की जूडिशल इन्क्वायरी हो और यह मेरी मांग है कि वह इन्क्वायरी किसी भी जज या हाईकोर्ट को सुपुर्द कर दी जाय जो उस पर इम्मीडिएट ऐक्शन ले और हाई कोर्ट या किसी दूसरे जज के अंडर में यह सारी कमेटी भंग करके उसका ऐडमिनिस्ट्रेशन सौंपा जाय। उसकी व्यवस्था ठीक होने के बाद तब आप फिर से कमेटी का पुनर्गठन करें तो यह ठीक हो सकता है। वरना इस मर्ज का वह इलाज नहीं है जो आप करना चाहते हैं इस अध्यादेश के द्वारा और न इसमें तत्काल कोई ऐसी बात निहित है कि अगर यह सदन इसको नहीं मान लेगा तो उसकी व्यवस्था पर आघात पहुंचेगा। अधिष्ठाता महोदय, वहां की एक-एक बात, चाहे अर्थ की बात हो, चाहे क्षेत्र की बात हो, मैं तो यहां तक कहता हूं कि पूरा जितना मन्दिर है उसमें गंगोत्री और जम-नोत्री को भी शामिल करिये और उसके लिये एक अगल प्रशासन की व्यवस्था कीजिये। यह कहने से कि यह आदमी, यह सेक्रेटरी, उनका यह सेक्रेटरी, इनका यह सेक्रेटरी, एक गुट का यह सेक्रेटरी, एक गुट का यह सेक्रेटरी, यह अफसर, यह पोलिटिकल सफरर, इससे काम नहीं चलने वाला है। काम इससे चलने वाला है कि इस देश के नाम पर जो कलक लगा हुआ है उसको धोने के लिये आपको साफ और उज्ज्वल कदम उठाना पड़ेगा। आपको अपना दिमाग साफ करना पड़ेगा कि हमको किस रास्ते पर जाना है। मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी हमारे ऐसे धार्मिक स्थान के रहने वाले हैं जिसका इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि बदरीनाथ जी और केदारनाथ जी की तरह उस काशी नगर का भी ऊंचा स्थान है। संयोग से आप ऐसे कुल में हैं जिस कुल को यह गौरव प्राप्त है कि जो भारतवर्ष में अपना एक ऊंचा स्थान रखता है। मुझे यह कहने में रत्ती भर भी हिचक नहीं है कि काशी और उस में

[श्री कल्पनाथसिंह]

भी ब्राह्मण और उसमें भी वह ब्राह्मण कि जो प्रतिष्ठा प्राप्त ब्राह्मण हो, ऐसे आप हैं। तो यह उत्तम होगा अगर यह बिल पेश करने का आइन्दा मौका लगे जैसा कि आशा की जाती है कि इस सदन की मेज पर वह रखा गया और आपको पेश करेंगे तो आप अगर आवश्यक समझते हैं तो इस अध्यादेश (संशोधन) के लिये उधर के अपने साथियों से यह कहें कि सब लोग मिलकर इसका अननुमोदन करें। इस बिल के अन्दर जो कमियां हैं उनको पूरा करने वाला बिल आप ले आयें तब इस मर्ज का कोई इलाज निकल सकेगा अन्यथा यह मर्ज ऐसा लाइलाज होता जा रहा है कि चाहे डाक्टर सीताराम उसके चैयरमैन रहें, चाहे आप उसके चैयरमैन रहें और चाहे इस सदन का कोई माननीय सदस्य इसका चेयरमैन रहे कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं है। सारी गड़बड़ियां चलती रहेंगी और कोई उचित व्यवस्था नहीं होगी। इन शब्दों के साथ में इस अननुमोदन के प्रस्ताव को सदन के सामने पेश करता हूं।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने यह अननुमोदन का जो प्रस्ताव रखा है और इस संदर्भ में जिन बातों को कहा है, केवल अन्त में जो काशी के सम्बन्ध में और माननीय वित्त मंत्री जी के सम्बन्ध में जो बात उन्होंने कही उसका समर्थन करते हुये उसके अलावा सभी बातें बहुत ही भ्रामक समझता हूं। जो भी तर्क पेश किये उन्होंने इस अध्यादेश के विरोध में वे वही तर्क हैं जो कि इस अध्यादेश के समर्थन में पेश किये जा सकते हैं। श्रीमन्, ६ जनवरी को यह अध्यादेश आया। माननीय कल्पनाथ सिंह जी भी जानते हैं कि उस समय विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा था। जो कानून बदरीनाथ और केदारनाथ जी के मन्दिरों की सम्पत्ति का प्रबन्ध करने वाला है उसका जीवन समाप्त हो रहा था। उसका जो एक्सटेंशन का पीरियड है वह ६ जनवरी को समाप्त हो रहा था तो उस दिन यह अध्यादेश लाया गया। हमारी समझ में अध्यादेश के लिये संविधान में ऐसा प्राविजन है कि यदि विधान मंडल का सत्र न चलता हो या कोई इस प्रकार की इमर्जेन्सी आ जाय तो उस समय अध्यादेश पेश कर दिया जाता है। यह बात कही गई कि वहां पर गोलमाल हो रहा है और बड़ी भारी लूट हो रही है। यह इसमें बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है और खेर समिति की रिपोर्ट में था कि उस समय एक अधिकारी थे सेक्रेटरी महोदय। उनके विरुद्ध रिपोर्ट की गई। समिति ने इसीलिये उनको सेवा से निवृत्त कर दिया। वह हाई कोर्ट में रिट ले गये। उसमें यह केवल नहीं दिया कि सेक्रेटरी को सेवा से निवृत्त कर दिया चार्ज लगाकर, यह गलत हुआ है, यह हाई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। हाई कोर्ट का फैसला टेक्निकल था कि कमेटी लीगली कांस्टीट्यूटेड नहीं थी और इसलिये कमेटी के आदेश को कि सेक्रेटरी को सेवा से निवृत्त किया जाता है, हाई कोर्ट ने गलत माना। वह एक टेक्निकल आपत्ति थी। एक ओर तो आप लाखों का गोलमाल है इसकी बात कह कर जूडिशियल इन्क्वायरी की मांग की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब ऐसे अधिकारियों पर कोई ऐक्शन लिया जाता है, और हाई कोर्ट उस अधिकारी को टेक्निकल गलती के कारण रिइंस्टेट करता है, तो उसके लिये कुछ न कुछ प्राविजन होना ही चाहिये था और उसमें आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिये। वह प्राविजन या तो विधेयक के माध्यम से होता अथवा अध्यादेश के। चूंकि सेक्रेटरी के विरुद्ध समिति ने एक राय से फैसला दिया था कि उसको चार्ज न दिया जाय इसलिये इस प्रकार की कार्यवाही की गयी। इस समय श्रीमन्, यह विवाद हो सकता था कि यह अध्यादेश सही है अथवा नहीं। इसमें जो प्राविजन्स हैं उनके सम्बन्ध में ही कल विधेयक आ रहा है और इसके प्राविजन्स ही उस विधेयक में रखे गये हैं। उस पर पूरे विवाद का अवसर आप को मिलेगा। हमारे माननीय मित्र ने यह भी कहा कि इस कमेटी ने बदरीनाथ टेम्पिल कमेटी के अध्यक्ष के विरुद्ध भी बहुत सी बातें कही हैं। मैं समझता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि यह सही नहीं है। इस जांच समिति ने केवल सेक्रेटरी के विरुद्ध ही लिखा था, अध्यक्ष के विरुद्ध नहीं और इस रिपोर्ट के अनुसार ही जो दूसरी प्रबन्धकारिणी समिति थी उसने ऐक्शन लिया था। तो इसमें जूडिशियल इन्क्वायरी का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। एक सुलझे हुए ढंग से यह देख कर कि धार्मिक तीर्थ स्थान की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है समिति के सदस्यों ने एक ऐक्शन लिया और टेक्निकल प्वाइन्ट पर चूंकि हाई कोर्ट ने पुनः उस अधिकारी को उस मन्दिर पर लादने की कोशिश करनी चाही इसलिये यह अध्यादेश जारी करके यह कार्य नहीं होने दिया गया। उस समय विधान मण्डल का सत्र नहीं चल रहा था इसलिये यह अध्यादेश उपयोगी भी था और वैधानिक भी और इसके विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो कल्पनाथ सिंह जी का प्रस्ताव है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जो कारण अध्यादेश के मेमोरेंडम में दिये गये हैं वे बहुत पहले से वहां मौजूद थे। मैं इस सम्बन्ध में मन्त्री जी का ध्यान खरे साहब की रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं जो ११ जुलाई १९५८ को दी गयी थी। उसमें खरे साहब ने बतलाया है कि जो ऐक्ट में रूल्स और बाईलाज हैं वे ठीक नहीं हैं। वे एक दूसरे को कंट्रेडिक्ट करते हैं और उसके बारे में मैं एक शब्द रिपोर्ट का पढ़ देना चाहता हूं।

"In his opinion the peresent rules and bye-laws are not comprehensive and practical. I quite agree with the suggestion that has been made by the Secretary, Sri Bagwari."

सेक्रेटरी की पोस्ट के लिये उन्होंने सुझाव दिया था कि वह टेम्पोरेरी होनी चाहिये, परमानेन्ट नहीं। उसके लिये जो अध्यादेश है उसमें भी देखा जा रहा है कि पहले उसमें कुछ दूसरी बातें दी गयीं थीं और उसके बाद जो यह अधिनियम लाया जा रहा है उसमें उसको चेंज कर दिया गया है। अध्यादेश के खंड ८ में दिया हुआ है—

"And the State Government shall appoint an officer or a retired officer who holds or has held a rank not below that of a member of the State Civil Service and who professes the Hindu religion and accepts the form of worship practised at the Temple as Mukhya Karyadhikari, who will be the Chief executive Officer of the Committee :"

अब जो नया विधेयक लाया जा रहा है उसमें यह संशोधन कर दिया गया है जो इस प्रकार है—

"and the State Government shall, after consultation with the President of the Committee appoint a person possessing the prescribed qualifications as Mukhya Karyadhikari who will be the Chief Executive Officer of the Committee :"

तो इसमें शब्द प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी आ गया है। इसका मतलब यह होगा कि सरकार मुख्य अधिकारी जिस व्यक्ति को चाहेगी उसको चुनेगी। श्रीमन्, बद्रीनाथ टेम्पिल के सम्बन्ध में यह है कि जब टेहरी स्टेट के लोगों में और रावल लोगों में झगड़ा पैदा हुआ तब यह विधेयक लाया गया। इस विधेयक में झगड़े को तय करने के सम्बन्ध में प्राविधान किया गया है। इसके पहले इसके लिये १९३९ में एक विधेयक लाया गया था जिसका नाम था बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट, १९३९। उसका इतिहास इस तरह से है कि पहले इस मन्दिर में पूजा करने वाले वे लोग थे जो शंकराचार्य जी की पार्टी के थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उन्हीं लोगों ने ७वीं शताब्दी में इस मन्दिर की स्थापना की थी। कहा यह जाता है कि वहां जो मूर्ति है उसको पहले अलखनन्दा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

नाम की नदी में फेंक दिया गया था और ७वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने उस मूर्ति को निकाल कर वहां स्थापित किया था और उन्हीं की पार्टी के लोग पूजा आदि किया करते थे। बाद को जब उस पार्टी के लोग काफी संख्या में नहीं रह गये, तो रावल लोगों को, जिनकी संख्या बहुतायत में थी, उनको पूजा करने का अधिकार दिया गया, मगर वह तभी जब कि शंकराचार्य जी की पार्टी के लोग न मिलें। आज हम देख रहे हैं कि इस अध्यादेश द्वारा रावल लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और जो दंडी व सन्यासी लोग थे, जो शंकराचार्य जी की पार्टी के थे, उनको इस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। पहले परिपाटी यह थी कि अगर शंकराचार्य जी की पार्टी के दंडी व सन्यासी लोग मिलते थे तो उनको अधिकार पहले हासिल था। इस विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। रावल लोगों को ही पूजा का भार दिया जा रहा है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप खरे साहब की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, उसमें विस्तार से दिया हुआ है। इसके बारे में खरे साहब ने भी यह लिखा है कि ब्रह्मचारी को रखा जाय और वह भी एडवान्स्ड एज का हो और प्रगाढ़ विद्वान् हो तथा उसका आचरण शुद्ध रहा हो। लेकिन इस आर्डिनेन्स में कोई भी ऐसी बात नहीं है। एज जो उन्होंने सजेस्ट की है वह ५५ की है। जब आपने किसी चीज की इंक्वायरी करने के लिये एक जज को मुकर्रर किया तो सरकमस्टेन्सेज को देखते हुए उसकी जो फाइंडिंग्स थीं उनको सरकार को स्वीकार करना चाहिये था। वे सुझाव सही भी थे। पहले जब मन्दिर की शुरुआत हुई थी तब शंकर मत के ही दंडी सन्यासी रखे जाते थे, लेकिन इसके द्वारा रावल लोगों को ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

जहां तक सेक्रेटरी का सवाल है यह सभी को मालूम है कि वह पार्टीबंदी के आधार पर नियुक्त किया गया था। यह खेर कमेटी ने भी माना है कि जितना गड़बड़ घोटाला हुआ वह सब रावल लोगों के अधिकार में ही हुआ और सोचा यह गया कि अगर सरकार के हाथ में यह चीज दे दी जायगी तो बहुत बड़ी अच्छाई हो जायगी। मैं चाहूंगा कि सरकार का सुपरविजन शुरू से आखिर तक रहे। १९५८ में सरकार के नोटिस में यह बात आयी कि इस तरह की गड़बड़ी होती है। लेकिन अगर वहा पार्टीबन्दी के आधार पर कोई काम होता है किसी शख्स को पार्टीबन्दी के आधार पर रखा जाता है तो मैं समझता हूं कि उसका फल अच्छा न होगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ मन्दिरों की कमेटी में अगर देशव्यापी आदमी होते तो बहुत अच्छा होता। खेर कमेटी ने भी इस बात को कहा था कि हर स्टेट का प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिये लेकिन वह नामुमकिन होगा। लेकिन अगर कोई हिन्दू हो और जो क्वालीफिकेशन वहां रखी हैं उनको कोई एम० पी० पूरा करता हो तो उससे सारी स्टेट्स के रिप्रेजेन्टेशन की जो सलाह थी उसका पालन हो जायगा।

इसके साथ ही साथ एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमने रजवाड़ों को समाप्त कर दिया लेकिन दूसरी तरफ उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह विधेयक केवल बद्रीनाथ और केदारनाथ दो मन्दिरों के लिये ही है, और दूसरे मन्दिर जो उस क्षेत्र में हैं उनके लिये नहीं हैं। ये दोनों मन्दिर चमोली जिले में हैं लेकिन उसकी कमेटी में टेहरी राज्य के २ प्रतिनिधि रख दिये गये हैं। और पहले यह था कि टेहरी के दो प्रतिनिधि उसमें थे। इस तरह मैं समझता हूं कि उनके ४ प्रतिनिधि इसमें रखे जाने की व्यवस्था की गयी है।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो विवाद चल रहा है, माननीय सदस्य अननुमोदन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोल रहे हैं। कल जो विषय आने वाला है, इस अननुमोदन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहां तक व्यापित है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें कि क्या वे उसकी मेरिट में जा सकते हैं या और सम्बन्धित विषयों में जा सकते हैं? क्योंकि इस वक्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो यही हो सकता है कि ५ जनवरी को जो अध्यादेश आया, गवर्नर उसे कर सकते थे या नहीं और क्या उसके लिये स्थिति परिपक्व थी ?

श्री अधिष्ठाता—

उसको मैं देख लूंगा, आप बैठ जायं ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

दूसरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस समय सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनःआरम्भ हुई ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं उम्मीद कर रहा था कि माननीय बेचनराम जी इस अध्यादेश को पढ़े होंगे, लेकिन मुझे अफसोस है कि वे आइटम्स जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, उनसे वे अवगत नहीं हैं और मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं कि यदि वे इसे देख लेंगे तो शायद ऐसी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठावेंगे ।

श्री बेचनराम—

अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि एक निश्चित चीज दी गयी है और आप सब पर बहस कर रहे हैं। तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि उसकी मेरिट में जाना कहां तक उचित है ? आप कहते हैं कि मैंने पढ़ा ही नहीं है। मैंने पूरा पढ़ा है ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं बतला रहा था कि इस अध्यादेश में महाराजा साहब को दो नामिनी रखने के लिये अधिकार दिया गया है। पहले जब टेहरी स्टेट था उस समय तो यह सवाल ठीक था कि स्टेट का रेप्रेजेंटेटिव होना चाहिये, लेकिन जब वह स्टेट हमारे प्रदेश में मर्ज हो गया, तो राजा महाराजा के प्रतिनिधि होने की बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर यह कहा जाय कि राजा साहब के साथ कोई कंट्रैक्ट था और उसकी वजह से उनका प्रतिनिधि रखना जरूरी है तब बात दूसरी है । हो सकता है कि पहले रावल और टेहरी राज्य में झगड़ा था तो उस झगड़े को खत्म करने के लिये यह उपाय निकाला गया हो कि एक ला इस सम्बन्ध में बन जायगा तो झगड़ा नहीं हो सकेगा और इसलिये एक विधेयक सन् १९३९ में लाया गया। अगर आप उस परिपाटी को जारी रखना चाहते हैं जैसी कि रियासतों के अन्दर कायम थीं, तो फिर वही रियासतें कायम करने की बात हो जायगी और आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आज आप समाजवादी और प्रजातांत्रिक राज्य कायम करना चाहते हैं तो मर्ज हो जाने के बाद भी टेहरी राजा के नामिनी हों, इस पर आपको विचार करना होगा और यह सोचना होगा कि अब महाराजा के नामिनी को रखना इस विधेयक के अन्तर्गत कहां तक मौजूं है। मैं तो सदन को बताऊंगा कि राजा साहब की जो वहां की एक्टीविटीज हैं और जो मन्दिर से लाखों रुपये का गबन हुआ है उन के द्वारा जो सभापति रहे हैं उन की ड्यूटी है कि सदन के सामने वह सब चीज रखें कि किस तरह से राजा साहब टेहरी के द्वारा मन्दिर की सम्पत्ति का गबन हुआ है। एक तरफ तो सरकार वहां के सेक्रेटरी पर चार्ज लगाती है और उस को सजा दी गयी और बरखास्त किया गया, वहीं दूसरी तरफ राजा साहब ने भी गबन किया तो उन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि उनके २ नामिनी उस समिति में बने रहेंगे, यही इंसाफ आप करना चाहते हैं ? जैसे आप ने सेक्रेटरी को हटाने की कोशिश की है उसी तरह से राजा साहब को भी हटाया जाय और मैं नहीं समझता कि क्यों आप राजा साहब को यह अधिकार और मोनोपली देना चाहते हैं ? किसी भी, प्रजातन्त्र में ऐसी व्यवस्था उचित नहीं कही जा सकती, इसको हटाना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

अध्यादेश के बारे में मैं कहूंगा कि पिछली बार सन् ६३ में बद्रीनाथ विधेयक पास हुआ था और उस की ३ साल की मियाद बढ़ाई गई थी। जब खरे कमेटी की रिपोर्ट ५८ की थी तो, जब सरकार को सब बातें उस रिपोर्ट से मालूम थीं तो उसी वक्त यह चीजें क्यों नहीं लाई गईं और दोबारा जनता का रुपया इस तरह से बरबाद किया गया है, यह सब सन् ६३ के संशोधन विधेयक में ही किया जा सकता था। कौन सी नई बात अब हो गई जो यह अध्यादेश लाया गया? २६ दिसम्बर को यह सदन उठ गया था और ५ जनवरी को यह प्रमुलगेट कर दिया गया, आप को मालूम था कि इस का टर्म खत्म हो रहा है तो आप क्यों यह सेक्शन ८ में संशोधन लाये। यह कहां की नीति है कि एक एक सेक्शन में बार-बार संशोधन करने के लिये अलग-अलग विधेयक लाये जाते हैं? इस तरह से सरकार के पैसे की बरबादी होती है। मैं चाहता हूं कि जो अधिकारी और कर्मचारी इसके लिये जिम्मेदार हैं और जिसने उस वक्त इस चीज को सरकार के नोटिस में नहीं लाया कि जिस की वजह से यह अध्यादेश और संशोधन विधेयक लाना पड़ा उस आदमी को इसके लिये सजा दी जाय। अगर ला डिपार्टमेंट की ढील है तो उस को टाइटेन किया जाय ताकि आगे ऐसी गलतियां न हों। इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि इस अध्यादेश के संबंध में जो श्री कल्पनाथ सिंह अननुमोदन का प्रस्ताव लाये हैं उसको सदन स्वीकार करेगा।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हम जिस लिये सदन में बैठे हैं और जो हमारा अभिप्राय है वह यह नहीं है कि विधेयक में क्या-क्या खराबियां हैं या क्या-क्या संशोधन हमें उसमें लाना है बल्कि इस समय हमें केवल इतना विचार करना है कि सरकार की तरफ से जो यह अध्यादेश निकाला गया है वह उचित था या नहीं। उसी के संबंध में माननीय कल्पनाथ सिंह का प्रस्ताव आया है कि उसका अननुमोदन किया जाय।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह तो प्रेसीडेंट भी रहे हैं इसलिये राजा साहब टेहरी ने जो गबन किया है उसके बारे में जो उनको जानकारी है तो वह उसे सदन के सामने प्रस्तुत करें।

श्री बृजबिहारी--

श्री कमला सिंह जी वकील हैं और वकील होकर वह इर्रेलेवेंट होने का प्रयास करें तो उचित नहीं है। मुझे भी कचहरियों में काम करने का सम्मान प्राप्त रहा है इसलिये मैं समझता हूं कि उन्हें तो इर्रेलेवेंट बात नहीं करना चाहिये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस दिशा में मेरा निवेदन है कि हमें यह देखना है कि क्या यह आवश्यक था कि यह अध्यादेश लाया जावे। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं कि जिनका उत्तर देना आवश्यक हो गया है अन्यथा मेरा आज बोलने का विचार नहीं था। कल जब इस पर विचार होगा उस समय विस्तारपूर्वक निवेदन करूंगा। (श्री कल्पनाथ जी के सदन से जाने पर) अभी आप बाहर न जाइये। अच्छा यह होता कि इस अध्यादेश को माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने गौर से पढ़ लिया होता। इसके पहले जो विधेयक था उसे भी पढ़ लिया होता और जो खरे रिपोर्ट हैं उसका भी अध्ययन कर लिया होता। मैं जानता हूं कि वे एक बड़े परिश्रमी और विद्वान व्यक्ति हैं, फिर वे कभी भी ऐसी बातें न कहते जो असंगत होतीं। मैं उनके सूचनार्थ बता दूं। मेरा संबंध इस मंदिर से काफी अरसे तक रहा है। इसका मैं ६ वर्ष तक अध्यक्ष रहा हूं और ३ वर्ष तक सदस्य रह चुका हूं। यहां की कार्य प्रणाली को देखने का काफी अवसर मिला है और इसका इतिहास भी जानता हूं। आज तो उसके इतिहास का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन कुछ मोटी-

मोटी बातें सदन की जानकारी के लिये बताना आवश्यक समझता हूं। यह अध्यादेश क्यों लाया गया इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सन् १९५६ में यहां मंदिर का एक आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट था। उससे और जो हमारे सैक्रेटरी थे उनसे कुछ अनबन हो गयी। उसने हमारे भूतपूर्व माननीय संपूर्णानन्द जी को मंदिर की व्यवस्था के संबंध में बहुत कुछ सूचना दी। बहुत सी बातें उन्होंने कहीं। उसमें उन्होंने यह दिखाया था कि सेक्रेटरी महोदय ने बहुत अनियमितताएं की हैं। उसी के संबंध में.....

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मैं समझ नहीं सका, आपके सेक्रेटरी ने?

श्री बृजबिहारी--

क्या आप चाहते हैं कि डिटेल में बताऊं? आप फिर से सुन लीजिये। सेक्रेटरी पर आरोप थे बहुत सिरियस। उस सिलसिले में सरकार की ओर से एक सुझाव हुआ था मेरे लिये, क्योंकि मैं प्रेसीडेन्ट था सेक्रेटरी को निलम्बित करके इस मामले की जांच करने का....

एक सदस्य--

सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बृजबिहारी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि सेक्रेटरी को निलम्बित नहीं किया जाय बल्कि सी० आई० डी० द्वारा इंक्वायरी कराई जाय। सी० आई० डी० ने इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट पेश की और सदन में यह प्रश्न उठाया गया कि इसकी जांच किसी जुडीशियल अधिकारी से कराई जाय। इसी के अनुसार उस समय के मुख्य मंत्री माननीय सम्पूर्णनान्द जी ने श्री एस० डी० खरे, जो उस समय नैनीताल में सेशन जज थे, को जांच के लिये नियुक्त किया जो अब हाई कोर्ट के जज हो गये हैं। उन्होंने जांच की, सदस्यों के बयान लिये, प्रेसीडेंट का बयान लिया और बद्रीनाथ भी गये और विस्तृत रिपोर्ट दी। इस पर कमेटी के सामने रिपोर्ट रखने का आदेश हुआ और दिसम्बर, ५८ में यह प्रश्न समिति के सामने आया। कमेटी ने फैसला कर दिया कि चार्जेज साबित नहीं हैं इसलिये कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। गवर्नमेंट हमेशा अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक रही। माननीय कल्पनाथ-सिंह जी ने जो चार्ज लगाया है वह ठीक नहीं है। सरकार ने जरा भी कभी कोताही नहीं की। सरकार ने सुझाव दिया कि इसकी फिर से जांच की जाय और इस पर पुनः विचार होना चाहिये। अप्रैल, १९६० में कमेटी के सामने फिर यह प्रश्न आया और कमेटी ने सेक्रेटरी को सेवा मुक्त कर दिया।

इसके बाद सेक्रेटरी ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया और सम्भवतः नवम्बर, १९६३ में उसका फैसला हुआ कि कमेटी का कांस्टीट्यूशन उचित नहीं था। इसके बाद अध्यादेश जारी करना पड़ा क्योंकि सदन सेशन में नहीं था। इसके बाद दो मर्तबा ३-३ महीने के लिये कमेटी का समय बढ़ाया गया। जैसा कि माननीय कमलासिंह जी ने कहा कि २६ दिसम्बर को सदन उठ गया और फिर से कमेटी को कांस्टीट्यूट करना था, सेशन नहीं हो रहा था, इस-लिये अधिनियम नहीं लाया जा सकता था। अतः ५ जनवरी को यह अध्यादेश सरकार की तरफ से आया जिसमें यह रखा गया कि ऐक्ट को समाप्त करके फिर से कमेटी का निर्माण करें और प्रवधि के अन्दर ही विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया जो विचार होने के लिये हमारे सामने आ गया है तो ऐसी दशा में इसके इतिहास में जाना, यह कहना कि मंदिर में क्या-क्या हुआ,

[श्री बृजबिहारी]

क्या-क्या उसमें करना हमको चाहिये था और सरकार पर जो यह लांछन लगाया जा रहा है कि सरकार अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करती रही है, यह उचित नहीं है। सरकार अपने कर्त्तव्य का पालन सदैव करती रही है और कमेटी ने भी जहां तक उससे हो सकता था, अपने कर्त्तव्य का पालन ही किया है। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कुछ अध्यक्षों पर भी हमला कर दिया....

श्री कल्पनाथसिंह--

मैंने पूर्वाध्यक्षों कहा था, माफ कीजियेगा।

श्री बृजबिहारी---

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय कल्पनाथ सिंह जी को कि उन्होंने यह कहा कि उन्होंने पूर्व के अध्यक्ष कहा था। लेकिन पूर्व के किसी अध्यक्ष के बारे में भी एक शब्द भी खरे रिपोर्ट में नहीं है और व्यवस्था के संबंध में जो लिखा गया है, मैंने तो एक-एक शब्द पढ़ा है, उसमें जो कुछ भी है सेक्रेटरीज पर इल्जाम लगाया गया है और श्री कल्पनाथ सिंह को जब उसको पढ़ेंगे तो मालूम हो जायगा कि किसी अध्यक्ष या किसी दूसरे व्यक्ति पर एक शब्द भी उसमें नहीं है, हाई कोर्ट ने भी जजमेंट में अध्यक्ष के कार्य की प्रशंसा की है....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

यह गलत है। यह हाईकोर्ट ने गलत लिख दिया है।

श्री बृजबिहारी--

खैर, यह आपकी समझ से होगा। आप तो उलटा समझते हैं।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि कल्पनाथ सिंह जी का मन्तव्य जो था वह डाक्टर सीता राम से था जो कि अध्यक्ष थे कमेटी के, उसके बारे में स्पष्टीकरण आप दे दें।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मैं समझता हूं मान्यवर, कि खरे कमेटी की रिपोर्ट माननीय सदस्यों ने अभी देखी नहीं है शायद। (व्यवधान) आपने पढ़ा होगा इसलिये कि टैम्पिल कमेटी के पास उसकी एक रिपोर्ट है। मैंने भी उसको उलट-पुलट कर देखा और उसमें चाहे आज का अध्यक्ष हो, चाहे पहले का कोई अध्यक्ष हो, किसी अध्यक्ष के मामले को उन्होंने टच नहीं किया है।

श्री बृजबिहारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बस दो मिनट समय लूंगा। मैं यह कहूं कि किसी अध्यक्ष के प्रति जैसा माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि किसी प्रकार का एक शब्द भी नहीं है खरे रिपोर्ट में, कहीं पर भी यह इसमें नहीं लिखा गया है। इन शब्दों के साथ अधिक समय न लेते हुए मैं इस अध्यादेश का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय कल्पनाथ सिंह ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसे वह वापस लेंगे।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय टम्बेश्वरप्रसाद पांच मिनट ले लें।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

पांच मिनट में क्या होगा। मुख्य विरोधी दल में एक सदस्य को आप टाइम दे रहे हैं। कम से कम दस मिनट होने चाहिये. . . । (व्यवधान) मेरी बात दो मिनट में खत्म हो जाय तो दो मिनट में ही खत्म कर दीजियेगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं विशेष रूप से इस डिबेट में इसलिये भाग लेने के लिये खड़ा हुआ हूं कि जनसंघ सिद्धांततः सरकार का मंदिरों पर कब्जा और इस तरह की उनकी मनमानी को स्वीकार नहीं करता। जिस समय मैंने उस विधेयक को सुना कि सदन में पेश हुआ है उस समय मैं सदस्य नहीं था इस सदन का। जब यह इस आदरणीय सदन में पेश किया गया तो कहा गया कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके साथ-साथ यह कहा गया कि हम मंदिर की बड़ी उन्नति करने जा रहे हैं। लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस दिन से यह ऐक्ट बना कांग्रेसी सदस्यों ने या कांग्रेसी सरकार ने इस मंदिर को अपनी खान्दानी जायदाद बना लिया। कुछ नामिनेशंस सरकार, कुछ महाराज, कुछ गवर्नर साहब, उनका बहुमत था यहां, विरोधी दल का कोई सवाल ही नहीं था, उसके किसी आदमी को क्यों कमेटी में सरकार रखती, आज की जैसी स्थिति नहीं थी उस समय, इसलिये इसको उन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत सम्पत्ति बना ली क्योंकि उसकी अच्छी खासी आमदनी थी। बृजबिहारी जी ने कहा कि उस कमेटी ने अध्यक्षों के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। भला अध्यक्षों के खिलाफ वह कैसे कह सकते थे? माननीय अध्यक्ष हरगोविन्द पंत, माननीय अध्यक्ष बृजबिहारी मिश्र, मैं कहता हूं कि बेईमानी सेक्रेटरीज करते रहे तो अध्यक्षों ने क्या किया उसको पकड़ने के लिये? तमाम इम्बेजल्मेंट होते रहे तो एक भी अध्यक्ष ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं की। दरअसल कुछ और लोग जब वहां पर गये तो उन्होंने एजीटेशन किया तब जाकर यह बातें सामने आईं। श्रीमन्, जब इस प्रकार का कोई अध्यादेश जारी होता है तो सरकार अपनी पोजीशन को बचने के लिये जारी करती है। यह तो हमने माना कि सरकार एक अध्यादेश जारी करती है लेकिन यह ऐसे समय में जारी किया गया जब कि हाईकोर्ट का निर्णय सरकार के खिलाफ हो चुका था। यदि उस सेक्रेटरी के खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज हो तो मेरी यह बात उसके साथ न जोड़ी जाय और न मैं उस बात का समर्थन करता हूं। मैं सिद्धांत की बात कह रहा हूं। जो सिद्धांत अध्यादेश बनाने का है उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। जो सरकार की नीयत है उस के खिलाफ मैं इस अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अगर कोई कमेटी के ऊपर करप्शन की बात हो तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि यहां पर ऐसी बात कही जाती है कि सेक्रेटरी ने फलां करप्शन की बात की या दूसरे जो उस के अध्यक्ष रहे उन्होंने अपने ९ साल के कार्यकाल में उस करप्शन को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया या यह कहा जाता है कि बृज बिहारी जी जो उसके अध्यक्ष रहे तो उन्होंने भी अपने किसी सम्बन्धी को रख लिया। माननीय बृजबिहारी जी के खिलाफ मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं वह मुझे माफ करेंगे लेकिन जिस तरह की बातों का चर्चा है उन्हीं को मैं यहां पर कह रहा हूं। जब तक पूरी इन्क्वायरी कमेटी उसके लिये सेटअप नहीं होगी तबतक उसका पूरा सुधार नहीं हो सकता है। अगर किसी एक आदमी की जान पर खेला जाय तो इस से सरकार अपना सारा करप्शन दूर नहीं कर सकती है। मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं। इस वजह से कि जो बातें यहां पर सुनने में आई हैं जैसे कि बृज बिहारी जी ने ५० रुपये पर अपना रिश्तेदार कोई पी० ए० रख लिया या मंदिर कमेटी का कोई मुकदमा चला तो उसके लिये उन्होंने अपने साथी संगियों को ३००-३०० या ४००-४०० रुपया रोजाना के हिसाब से पेमेंट कराया, खाली मुकदमा चलाने के लिये या कोई मंदिर का काम हुआ और उसमें ५,००० का या ४,००० का यात्रा भत्ता ले लिया तो इस तरह की बातों का मैं विरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

यह मेरे साथ ज्यादती होगी, दस मिनट का समय सब को दिया गया है तो मुझे भी दस मिनट का समय दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने तो पहले ही कहा था कि आप ५ मिनट बोलेंगे ।

(श्री कल्पनार्थसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

विधेयक का मैं पहले भी स्वागत करता ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने कल्पनार्थसिंह जी को बुला लिया है । आप बैठ जायें ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

चूंकि आप हमें बोलने के लिये समय नहीं देते इसलिये आपके इस निश्चय के विरुद्ध हम लोग सदन त्याग करते हैं ।

(तत्पश्चात् जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

ऐसा मालूम होता है कि सरकारी पक्ष की पोलें खुल रही हैं और इसलिये आप हम लोगों को समय नहीं देना चाहते । इसलिये मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री नाथूराम शिक्षक ने भी सदन का त्याग किया ।)

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

श्रीमन्, सदन में तो कोरम ही नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी)

श्री कमलासिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, कितनी देर तक यह घंटी बजती रहेगी जब आप सदन ऐडजर्न करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

अभी एक मिनट और ।

श्री कमलासिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, कोरम होना मुश्किल दीख रहा है, आपका एक मिनट और भी हो गया ।

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि सदन में कोरम नहीं हो रहा है, अतः अब हम उठते हैं, कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ३९ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
१२ फरवरी, १९६४।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६९ पर)

श्रीमान् सहकारिता मंत्री,
सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि पीलीभीत जिले में इस वर्ष ऋण की वसूली का कार्य-क्रम सहकारी समितियां क्रय-विक्रय द्वारा चला है। वह क्रय-विक्रय समिति के हित में बाधक तथा विकास में विनाश का सूचक है। इस वर्ष पीलीभीत तथा बीसलपुर क्रय-विक्रय समिति में जो वसूली हुई है उसमें सदस्यों से पांच रुपया सैकड़ा आढ़त का खर्चा लेकर की गई है। जब से सदस्यों को अपने परचे काश्तकार का ज्ञान है और न उन तक ऋण नियंत्रण वसूली की रसीदें ही पहुंची होंगी। इससे अभिप्राय यह है कि सदस्य माल बेचने वाली भावना को केवल ५ रुपया सैकड़ा आढ़त के खर्चे पर टिक गया है जबकि आढ़त का खर्चा भी केवल १ रु० ८ आने ही व्यय आता है। शेष सब कर्मचारियों तथा अधिकारियों की जेब में गया। इससे वास्तव में बिक्री को धक्का लगा है। समिति पर भविष्य में माल की अब हैंडलिंग की संभावना कम है। फरजी हैंडलिंग चाहे जितनी दिखा दी जाय जिससे समिति की आय किसी भी खतरे में पड़ सकती है। इस वर्ष समिति पर लगभग ७० प्रतिशत डिमांड की वसूली इसी रूप में हुई है इससे कर्मचारियों तथा अधिकारियों को बेईमानी करने की सुविधा मिल गयी है और उनकी भावनाओं को बढ़ावा मिला है। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से दिनांक २९-७-६२ को आपके निवास स्थान पर मिला था और आपको इस बारे में जानकारी भी करायी थी। इसके अतिरिक्त डी० आर० महोदय, बरेली से भी मिला, कुछ गलत कागज भी दिखलाये किन्तु वह समय के अभाव होने के कारण पूर्ण जांच नहीं कर सके। मैंने काफी जोर के साथ कई बार ए० आर० महोदय, पीलीभीत से भी जांच हेतु कहा किन्तु उन्होंने भी आज तक कुछ नहीं किया और बराबर इस कोशिश में रहे कि किसी भी रूप से किशन लाल का सहकारिता से सम्बन्ध ही खत्म कर दिया जाय। चाहे जायज हो या नाजायज। उनको भरोसा है कि हम जिले के पूर्ण अधिकारी है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। जब से यह लगभग डेढ़ लाख रुपया कमाया गया है तबसे ए० आर० महोदय बड़े जोर पर है। इससे पहले आपने अपना तबादला करवाने के लिये अपना प्रार्थना पत्र दिया कि मुझको यहां की आबहवा माफिक नहीं है किन्तु जब तबादला हो गया तो तुरन्त रुकवाया गया न मालूम रुकवाने में कौन से कारण दिखलाये गये होंगे उसके बाद पी० पी० सिंह अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी का तबादला हुआ जिनका खास क्रय विक्रय से ही सम्बन्ध है, उनका भी तबादला न मालूम किन कारणों बस रुक गया। उपरोक्त व्यक्तियों को डर है कि हमारे जाने के बाद यह सब पोल उखड़ जायगी इस घपले बाजी के बारे में निबन्धक महोदय, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश भी दिनांक २२-८-६२, १-१२-६२ को रजिस्ट्री द्वारा यह सब बातें धांधले बाजी के बारे में लिख चुका हूं। और १०-१२-६२ को स्वयं भी मिला और सब पूर्ण कागजों की नकल पेश की जो आज तक प्रार्थनापत्र दिये है। महोदय जी ने बताया कि आप बरेली जाकर डी० ओ० महोदय से मिलें मेरे सब अधिकार कानून से डी० आर० को है जिले के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने एक और परपंच रचा है जो कि झूठा और बे बुनियाद है। दिनांक ४-१२-६२ को वार्षिक अधिवेशन क्षेत्रीय सहकारी समिति परेवा वेश्य लिमिटेड का हुआ उसमें एक झूठा प्रस्ताव यह पास किया कि किशन लाल पर ५०० रु० समिति का लगा हुआ है। इसलिये इनको सदस्यता से खारिज किया जावे जब कि वह अधिवेशन ही अवैधानिक और धांधले बाजी को दबाने का एक खुला प्रमाण है। (दृश्य है) को अधिवेशन प्रेसीडेंट के न होने के कारण उसकी अध्यक्षता बाईस-प्रेसीडेंट को करना चाहिये थी। और मैं वाइस-प्रेसीडेंट मौजूद होते हुये और गद्दी पर

बैठा था फिर भी और एक नये आदमी को अध्यक्ष बनाकर कार्यवाही की गयी । जब मैंने मना किया तो अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी पीलीभीत तथा ए० डी० ओ० कोआपरेटिव हुमरिया (पीलीभीत) ने यह उत्तर दिया कि जो हमें करना है वह करेंगे । और वही किया ही। अतः श्री मान्जी से प्रार्थना है कि ऐसे अवैधानिकता बरतने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को यहां से हटा कर प्रार्थना पत्र की जांच किसी और व्यक्ति से जो पीलीभीत क्षेत्र से अलग हो ऐसे व्यक्ति से जांच करायी जावे और इस आशय का एक आदेश जारी किया जावे कि इस वार्षिक अधिवेशन की जब तक वैधानिकता का निर्णय न हो जाय उस समय तक किशन लाल को सदस्यता से अलग न किया जाय और मेरी जो मान हानि हुई है उसकी अदालत में अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी तथा ए० डी० ओ० कोआपरेटिव करने की इजाजत दी जाय ।

नोटः—मुझ पर जो ५००रु० बताया गया है, मुझ पर समिति का एक पैसा नहीं, मेरा ही समिति में ७० रु० जमा है ।

दिनांक ११-१२-६२

प्रार्थी

किशनलाल वैश्य, वाइस प्रेसीडेंट,

क्षेत्रीय सहकारी समिति बरवावैश्य लिमिटेड, जिला पीलीभीत ।

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २३१ एल० ए० १९६४—८६० ।